राजस्थान विधान सभा

६० वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक—२४ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८—५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १५९०

गंगानगर जिले में चल रहे किसान आन्दोलन में पुलिस की अवैधानिक कार्यवाही

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगानगर जिले में चल रहे किसान आन्दोलन में ता० ३०-६-५४ तक सत्याग्रहियों पर कितना जुर्माना हुआ ?

(ख) सत्याग्रह के जुर्माने की वसूली में पुलिस व माल विभाग की ओर से की गई सख्ती की कितनी शिकायतें सरकार के पास पहुंचीं ?

(ग) क्या यह सच है कि जुर्माने की वसली के सिलसिले में पुलिस ने औरतों की बेइज्जतियां कीं और लोगों पर झूठे मुकदमे बनाये ?

(घ) क्या यह सही है कि ता० २६-६-५४ को सरदार बलवन्तसिंह, १७ जी० बी०, की मार-पिटाई की गई और सरदार बलवन्तसिंह की बहन को पुलिस अधिकारियों ने बन्दूक के बट से मारा और उनकी पसली की हड्डी टूट गई ?

(ङ) क्या यह सच है कि ता० २८-६-५४ को सरदार बलवन्तसिंह की औरत और २ बच्चे उम्र १३ व १५ साल को पुलिस ने दुबारा उनके घर जाकर मार पिटाई की और उन पर झूठा मुकद्दमा बना कर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया ?

(च) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने के लिए तैयार है ? यदि तैयार है तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) आन्दोलन के सिलसिले में ५०,७५० रु० जुर्माना हुआ ।

Page No.2

[श्री जयनारायण व्यास]

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी नहीं, श्री बलवन्तसिंह की माल विभाग से की गई शिकायत पर धारा २६२। ३५३ आई० पी० सी० के तहत मुकद्दमा चलाया गया है ।

(च) उक्त प्रश्नोत्तर में जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि १७ जी० बी० और २० पी० एस० की मार-पिटाई की गई ?

श्री जयनारायण व्यास—आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष—ये पूछते हैं कि १७।जी. बी. और २० पी. एस. के प्लॉट मालिक के साथ मार पिटाई की गई ?

श्री जयनारायण व्यास—यह कोई अलग प्रश्न है, तो फिर से पूछें; तो अलग अलग प्लोट्स के बारे में इत्तला दी जा सकती है ।

श्री गुरूदयाल सिंह सन्धु—इस प्रश्न के (ख) भाग में दिया गया है कि सत्याग्रह के जुर्माने की वसूली में पुलिस व माल विभाग की ओर से की गई सख्ती की कितनी शिकायतें आपके पास हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—इसका उत्तर दे दिया गया है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री गुरूदयाल सिंह सन्धु—क्या यह सच है कि सरदार बलवन्तसिंह की वाइफ और उसके २ बच्चों के खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है । बलवन्तसिंह के बारे में उत्तर दे दिया गया है ।

श्री गुरूदयाल सिंह सन्धु—यह उसी प्रश्न में आता है ।

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया गया है ।

Page No.3

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—साफ नहीं दिया गया है।

श्री **अध्यक्ष**—सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री **जयनारायण व्यास**—इस उत्तर को वापिस पढ़ देता हूं : "जी नहीं, श्री बलवन्तसिंह की माल विभाग से की गई शिकायत पर क्लॉज़ २६२।३५३ आई. पी. सी. की तहत मुकद्दमा चलाया गया है।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—मैं यह जानना चाहता हूं कि सरदार बलवन्तसिंह की औरत और बच्चों के खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया या नहीं ?

श्री **अध्यक्ष**—जवाब में आ गया कि मुकद्दमा नहीं चलाया गया, और सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं।

प्रश्न संख्या १५११

परबतसर तहसील की स्कूलों के भवनों पर जनता तथा सरकार द्वारा व्यय

श्री **चांदमल मेहता**—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) परबतसर तहसील की कितनी स्कूलों के लिये इमारतें नहीं हैं ?

(ख) ऐसी कितनी स्कूलें हैं जहां के निवासियों ने आधा खर्चा सरकार से लगाने की हालत में आधा खर्चा गांव वालों ने देने की मांग की है ?

(ग) ऐसी मांग आने पर किस किस स्कूल को कितने कितने रुपये पिछले वर्ष दिये गये ?

(घ) पिछले दो वर्ष में वाल (तहसील परबतसर) की इमारत के लिये सरकार द्वारा कितने रुपये दिये और गांव वालों ने कितना खर्चा किया ?

श्री **भोलानाथ** (शिक्षा मंत्री)—(क) २७

(ख) १३

(ग) स्कूल पिपलाद को ४८० रुपये।
स्कूल बवाल को ६०० रुपये।
स्कूल पीलवा को ७३० रुपये।

(घ) सरकार द्वारा १६०० रुपये।
गांव वालों द्वारा ३००० रुपये।

Page No.4

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बस्सी और बंवाल के निवासी गत दो वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि आधी रकम सरकार से दी जाय और आधी रकम हम लोग देने को तैयार हैं, फिर भी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है?

श्री भोलानाथ—यह आधी मांग का सवाल डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत है, वहीं से पूछने से मालूम हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन २ सी स्कूलें हैं जिनके आवेदन-पत्र सरकार के पास पहुंच गये हैं ?

श्री भोलानाथ—किस सम्बन्ध में ?

श्री चांदमल मेहता—आपने फरमाया कि स्कूलों की इमारत के लिए आधी रकम की मांग के सरकार के पास आवेदन पत्र आये हैं, तो वे कौन २ सी स्कूलें हैं जिनके आवेदन-पत्र आये हैं ?

श्री भोलानाथ—जैसी हमारे पास सूचना है, उसमें इस प्रकार है :—

"रीड, गच्छीपुरा, हरनावां, रतनपुर, खोलर, बंवाल, झाफेली, बगोट और बस्सी।"

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५१२

आर० ए० सी० द्वारा २१ जून सन्, १९५४ में किये गये वेरायटी शो में जनता से चन्दा

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगानगर में २१ जून, १९५४ को आर. ए. सी. द्वारा किये गये वेरायटी शो में कितना रुपया जनता से वसूल किया गया और कितना दो एक मनुष्यों से ?

(ख) क्या यह सच है कि यह चन्दा पुलिस द्वारा सख्ती से वसूल किया गया ?

(ग) क्या यह सच है कि उस वसूल की गई रकम का दुरुपयोग किया जा रहा है ?

(घ) क्या सरकार यह बतलायेगी कि वह रकम किस मद में जमा की गई है और गंगानगर की भलाई के लिए किस तरह खर्च की जावेगी ?

(ङ) क्या सरकार इस बात की जांच कराने के लिए तैयार है कि यह रकम पुलिस अधिकारियों ने जनता से सख्ती से वसूल की है ?

Page No.5

[श्री गुरुदयाल सिंह सन्धू]

(च) यदि है, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) वेराइटी शो से ५२७७) रू० प्राप्त हुए। बड़े से बड़ा टिकट १०१) रू० का था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह रूपया पुलिस वेलफेयर फण्ड में जमा हुआ है।

केवल गंगानगर ही नहीं बल्कि समस्त पुलिस कर्मचारियों के कल्याणार्थ, सुविधा तथा मनोरंजन के काम में लाया जायगा।

(ङ) यह रकम जनता से सख्ती से वसूल की गई, ऐसी शिकायत कोई नहीं आई अतः प्रश्न नहीं उठता।

(च) यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि यह रकम सख्ती से वसूल नहीं की गई ?

श्री जयनारायण व्यास—वसूल की गई, ५ हजार की रकम ही जाहिर करती है कि कोई सख्ती से वसूल नहीं की गई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि ५ हजार से कई गुना ज्यादा रकम वसूल की गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस स्टेटमेंट को मानने को तैयार नहीं हूं जब तक कि एक निश्चित रकम नहीं लाई जाय कि ६ हजार, ७ हजार या ८ हजार रुपया वसूल किया गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—६००० से कई गुना ज्यादा रकम वसूल की गई है।

श्री जयनारायण व्यास—६ हजार से ज्यादा कह देने से काम नहीं चल सकता, जब तक कि यह नहीं बताया जाय कि निश्चित रूप से इतनी रकम वसूल की गई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—अगर सरकार के पास इस तरह की लिस्टें पेश की जायं कि ६ हजार से ऊपर रकम वसूल की गई तो क्या सरकार जांच कराने के लिए तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर सरकार को विश्वास हो जाय कि ज्यादा रकम बताई गई है, वह वास्तव में ज्यादा दीखती है, तो जांच करवा सकती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जिन लोगों से रकम वसूल की गई उनकी नामवार लिस्टें पेश करने पर सरकार जांच करने के लिए तैयार है कि नहीं ?

Page No.6

श्री जयनारायण व्यास—हां, नामवार लिस्टें पेश करने पर जांच की जा सकती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इसकी वसूली में जो सख्ती की गई, क्या इसकी भी जांच करवाई जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—वसूली में सख्ती इसलिए नहीं मालूम पड़ती कि गंगानगर जैसे इलाके में ५ हजार की रकम वसूल की गई, जो वहां की आबादी को देखते हुए बहुत कम है और आसानी से वसूल हो सकती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह जो रकम वसूल की गई, ऐसी स्थिति में वसूल की गई जब कि लोग देने को तैयार नहीं थे, सरकार के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार नहीं थे; इसलिये वसूली में सख्ती की गई, क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि यह जो सूचना दी जारही है वह गलत है। सरकार के साथ सभी कोऑपरेशन करने वाले थे, सिवाय थोड़े से आदमियों के जो कि गड़बड़ी करना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५१३

किशनगढ़ शहर में इन्टरमीजियेट पास अध्यापकों की नियुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सन् ५३-५४ के वर्ष में कितने इन्टरमीजियेट तक शिक्षा पाये हुए अध्यापकों की नियुक्ति किशनगढ़ शहर की भिन्न भिन्न स्कूलों में की गई ?

(ख) उक्त अध्यापकों को किस किस ग्रेड की तनख्वाह मिल रही है ?

(ग) इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) सन् १९५३-५४ में १ मिडिल, ५ मैट्रिक, और एक इन्टरमीडिएट (बायलोजी साइन्स) और २ इन्टरमीडिएट (आर्ट्स) की नियुक्ति किशनगढ़ शहर की भिन्न भिन्न स्कूलों में की गई।

(ख) इन्टरमीडिएट (बायोलोजी साइन्स) को ७०.४.९० ग्रेड में, एक इन्टरमीडिएट (आर्ट्स) को ५०.४.७० ग्रेड में, एक इन्टर आर्ट्स को ३५.१.४० ग्रेड में और शेष व्यक्तियों की ३५.१.४० ग्रेड में नियुक्ति की गई।

[श्री भोलानाथ]

(ग) इन्टरमीडिएट बायलोजी कम मिलते हैं और कई जगह बी. एस. सी. बायलोजी न मिलने पर हाईस्कूलों तक में पोस्ट करना पड़ता है, अत: इनको आवश्यकतानुसार इन्टर ग्रेड ७०.४.९० में ही रखा गया और बाकी के अध्यापकों को जिस जिस ग्रेड के अध्यापकों की पोस्टें खाली थीं उन उन ग्रेड में रखा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि नये अध्यापकों की नियुक्ति के पहले जो इन्टरमीडिएट अध्यापक थे उनको ३५+१५ ही मिलेंगे ?

श्री भोलानाथ—हां, उन्होंने यह मंजूर किया है।

श्री चांदमल मेहता—जो पुराने अध्यापक हैं उन्हें क्या सरकार इस ग्रेड में नियुक्त करना आवश्यक नहीं मानती ?

श्री भोलानाथ—मानती है, परन्तु नियमानुसार।

श्री चांदमल मेहता—इस सम्बन्ध में क्या नियम हैं ? क्या यह है कि नये अध्यापकों को यह ग्रेड दिया जायगा और पुराने हैं उनको नहीं दिया जायगा ?

श्री भोलानाथ—यह नियम है कि ५० प्रतिशत पुराने अध्यापकों को दिया जाय और ५० प्रतिशत नये अध्यापकों को दिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—जो ३ अध्यापक नये लिये गये हैं उनके साथ कितने पुराने अध्यापकों को ये ग्रेड दिये गये हैं ?

श्री भोलानाथ—आपने पहले संख्या नहीं पूछी है, यह अलग प्रश्न पूछे जाने की सूरत में जवाब दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—अगर ५० पर्सेंट पुराने अध्यापकों को नये ग्रेड में लिय जायगा तो.........

श्री अध्यक्ष—'अगर' का सवाल नहीं है, Hypothetical questions cannot be asked.

श्री चांदमल मेहता—नयों को क्यों.......

श्री अध्यक्ष—There cannot be supposition. The Hon'ble Member can seek information on facts.

प्रश्न संख्या १५१४

मई से जुलाई सन् १९५४ तक कृषकों के, धारा १०७ के अन्तर्गत,

कोतवाल किशनगढ़ को प्रार्थना पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मई सन् १९५४ से १५ जुलाई, १९५४ तक काश्तकारों के कितने प्रार्थना पत्र दफा १०७ की कार्यवाही के लिये एस. डी. ओ. किशनगढ़ द्वारा कोतवाल किशनगढ़ के पास भेजे गये ?

(ख) उक्त प्रार्थनापत्र में पुलिस द्वारा कितने प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि अधिकांश प्रार्थनापत्र पुलिस द्वारा दबा दिये जाते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) ४० प्रार्थना-पत्र।

(ख) आवश्यक कार्यवाही के बाद ३१ प्रार्थनापत्र एस. डी. ओ. किशनगढ़ को वापिस लौटा दिये गये हैं; ९ पर अभी पुलिस की कार्यवाही चल रही है।

(ग) जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—यह ९ कितने अरसे से पेन्डिंग हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—एक एक की अलग मेरे पास इन्फोर्मेशन नहीं, अलग से सूचना मांगी जाय तो दी जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कोतवाली किशनगढ़ का अभी इन्स्पेक्शन किया गया उससे कई गुना ज्यादा प्रार्थना-पत्र दबा दिये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—हर कोतवाली का इन्स्पेक्शन करना चीफ मिनिस्टर का काम नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन्स्पेक्शन का जो जवाब अधिकारी दे देते हैं वही सही माना जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—अधिकारियों ने जो इन्स्पेक्शन किया है और जो अधिकारियों द्वारा जवाब दिये गये हैं वे खूब जिम्मेदारी से दिये गये हैं।

Page No.9

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ कोतवाली का इस साल किस किस ने इन्स्पेक्शन किया?

श्री जयनारायण व्यास—यह एक अलग प्रश्न है, अलग से प्रश्न किया जाय तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—इन्स्पेक्शन किया भी गया कि नहीं?

श्री जयनारायण व्यास—यह इन्स्पेक्शन का प्रश्न ही अलग है, मैं इसका जवाब देने को तैयार नहीं हूँ।

प्रश्न संख्या १५१५

टाउन म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान की नगरपालिकाओं (विशेषकर बाडमेर की) द्वारा अनधिकृत तामीरों के लिये जुर्माने

श्री तनसिंह—क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) टाउन म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत क्या कई नगरपालिकाओं ने, विशेषतया बाडमे की नगरपालिका ने, अनधिकृत तामीरों के लिये जुर्माने किये हैं ?

(२) क्या रीज़नल इन्सपेक्टर, बीकानेर ने ऐसे जुर्माने को अपनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट में कानून के विरुद्ध बतलाया है ?

(३) क्या इस प्रकार के आदेशों के होते हुए भी बाडमेर नगरपालिका बराबर जुर्माने कर रही है जब कि ऐसा करना किसी मजिस्ट्रेट के अधिकारों के ही अन्तर्गत है ?

(४) इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—केवल बाडमेर की नगरपालिका ने ही अनधिकृत तामीरों के लिये जुर्माने किये हैं। ऐसा न करने के उसको आदेश दे दिये गये हैं।

श्री तनसिंह—क्या इस प्रकार के आदेश जो सरकार द्वारा दिये गए उनका पालन हो रहा है ?

श्री रामकरण जोशी—आदेश पालन करने के लिए ही दिये जाते हैं।

प्रश्न संख्या १५१६

राजस्थान में औद्योगिक सर्वे तथा उसकी रिपोर्ट

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या राजस्थान में औद्योगिक सर्वे कराई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—(क) राजस्थान में औद्योगिक सर्वे अभी तक नहीं हुई है। बोर्ड ऑफ इकोनोमिक इन्क्वायरी सर्वे वगैरह के लिये नियुक्त हुई है, वह इस पर विचार कर रही है। इसके अलावा ग्राम उद्योग मंडल ने सन् १९५० में एक रेपिड सर्वे की थी।

(ख) उसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या सरकार अब राजस्थान की पूर्ण रूप से औद्योगिक सर्वे कराने का विचार रखती है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—मैं एक प्रश्न के उत्तर में कह चुका था कि सरकार ने कमेटियां बनादी हैं, जो प्रत्येक जगह की उद्योग की सर्वे करती हैं और सरकार को रिपोर्ट करती है; उद्योग चालू हो सकेगा कि नहीं, इस बारे में रिपोर्ट देते हैं। वह सिलसिलेवार काम चलेगा लेकिन सर्वे के लिये कोई अलग कमेटी बैठाई जाय या कोई अलग अफसर बैठाया जाय, ऐसा विचार नहीं है।

श्री **चांदमल मेहता**—जो कमेटी नियुक्त की गई है उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आई है कि नहीं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—उसकी रिपोर्टें आती रहती हैं और मैं यह बतादूं कि किशनगढ़ के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री **चांदमल मेहता** - अभी कहा गया था कि रेपिड सर्वे कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कराई गई, क्या सरकार उसको प्रकाशित करायेगी ?

श्री **जयनारायण व्यास**—सरकार ऐसी रिपोर्ट को तभी प्रकाशित करेगी जब वह समझेगी कि इतनी बातों को प्रकाशित करने से लोगों को उद्योग—धन्धे, मिल, फैक्टरी वगैरह चलाने में प्रोत्साहन मिल सकता है। जिस तरह के प्रकाशन से ज्यादा लाभ नहीं है उसको प्रकाशन कराने में कोई लाभ नहीं है।

श्री **चान्दमल मेहता** - क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होने की वजह से उद्योग विकास में काफी बाधा हो रही है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५१७

किशनगढ़ सब डिविजन में सन् १९५३-५४ में नये अध्यापकों की नियुक्तियें

श्री **चांदमल मेहता**—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री चांदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में ५३—५४ के वर्ष में कितने नये अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं ?

(ख) उक्त अध्यापकों में से किन किन को गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह दिलाना स्वीकृत किया गया ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) किशनगढ़ सब डिविजन में १९५३—५४ में २२ अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं ।

(ख) उक्त अध्यापकों में से निम्नलिखित १० अध्यापकों को गरमी की छुट्टियों की तनख्वाह मिली :

संख्या	नाम	स्कूल	वेतन ग्रेड
१	श्री चन्द्र शेखर शर्मा	मि० मदनगंज	७० रू० ७०.४.९०
२	श्री किस्तूर मल	मि० सरवाड	३५ रू० ३५.१.४०
३	श्री गोपीकृष्ण	प्रा० टिकावडा	३५ रू० ३५.१.४०
४	श्री सूरज सिंह	प्रा० भाडोल	३५ रू० ३५.१.४०
५	श्री सुरेन्द्र सिंह	प्रा० फराशिया	३५ रू० ३५.१.४०
६	श्री अमर सिंह	मि० करकेडी	३५ रू० ३५.१.४०
७	श्री नन्दलाल	मि० किशनगढ़	३५ रू० ३५.१.४०
८	श्री कल्याणमल	मि० अराई	३५ रू० ३५.१.४०
९	श्री गोपीकृष्ण शर्मा	मि० अराई	३५ रू० ३५.१.४०
१०	श्री ओम प्रकाश	मि० करकेडी	३५ रू० ३५.१.४०

श्री चांदमल मेहता—अन्य अध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—उनको लीव मिलती है ।

श्री चान्दमल मेहता—ऐसे कितने मास्टर हैं, जिनको मास्टरों के एवज रखा गया था और उनको गर्मी की छुट्टी की तनख्वाह नहीं दी गई ?

श्री भोलानाथ—यह आपकी सूचना गलत है। अस्थाई रूप से......

श्री चान्दमल मेहता—जिन मास्टरों को एवज में लिया गया उनकी नियुक्ति अस्थाई थी या कैसी थी ?

श्री भोलानाथ—ये दो तरह की बातें हैं : जिनको एवजी कहते हैं और दूसरा टेम्परेरी एपोइन्टमेंट कहते हैं। स्थानापन्न तो एवज में आ जाते हैं और जब एवजी वाला व्यक्ति आ जाता है तो वह हट जाते हैं। जो लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वे अप्रेल या मई में आ जाते हैं और जब वे आ जाते हैं तो एवजी चले जाते हैं। टेम्परेरी जो हैं उनको तनख्वाह मिलेगी।

श्री चान्दमल मेहता—ये स्थानापन्न नहीं थे। उनकी नई नियुक्ति की गई थी, मिसाल के तौर पर दुर्गालाल वगैरह।

श्री भोलानाथ—दुर्गाप्रसाद हैं, किसी के स्थान पर नियुक्त हुआ होगा। जब इसके लिए प्रश्न आएगा उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि वह एवजी में नहीं था ?

श्री भोलानाथ—मेरी जानकारी में यह बात नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या सरकार उन लोगों को तनख्वाह देने के लिये तैयार है जिनको एवजी में नहीं रखा है और जिनको अभी तक गर्मी की छुट्टियें नहीं दी गईं ?

श्री भोलानाथ—ऐसी दरख्वास्त आवेगी तो उस पर उसके मेरिट्स को देखकर विचार किया जावेगा। उसको जरूरत होगी तो वह खुद अपनी एप्लीकेशन दे देगा।

श्री चान्दमल मेहता—क्या इस तरह के कोई प्रार्थनापत्र माननीय मन्त्री महोदय के पास आये हैं ?

श्री भोलानाथ—सामुहिक रूप से कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। उनको व्यक्तिगत रूप से एप्लीकेशन लानी चाहिये, अगर उनको कोई ग्रीवेन्सेज़ हों।

श्री चान्दमल मेहता—क्या सरकार जिस ढंग से दूसरे मास्टरों को गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह देती है उसी प्रकार उन लोगों को भी दी जावेगी ?

श्री भोलानाथ—अलग प्रश्न आने पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोतीलाल चौधरी।

प्रश्न संख्या १५१८

थाना खुनखुना व लाडनू में सन् १९५२—५४ में गौहत्या के मामले

Page No.13

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) थाना खुनखुना व लाडनू में १९५२-५३, १९५३-५४ में गोहत्या करने के कितने केस हुए और उनका फाइनल परिणाम क्या २ हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—दो शिकायतें पेश हुई थी। मुकदमे जेर तजवीज़ अदालत हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १५१६

श्री शार्दूल स्कूल, मदनगंज, शासकीय नियन्त्रण में

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) श्री शार्दूल स्कूल मदनगंज को कब सरकारी नियंत्रण में लिया गया ?

(ख) नियन्त्रण में लेने के बाद उक्त स्कूल में किन किन नये अध्यापकों की नियुक्तियां की गई ?

(ग) उक्त अध्यापकों की योग्यतायें क्या हैं और उन्हें किस किस ग्रेड में नियुक्त किया गया है ?

(घ) नये अध्यापकों में किन २ को गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह दिलाने का हुक्म दिया गया और किन २ को नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) श्री शार्दूल स्कूल मदनगंज ता० ११.६.५३ को सरकारी नियन्त्रण में लिया गया था।

(ख) मदनगंज का सरकारी मिडिल स्कूल जो स्थानाभाव के कारण अन्य अनुपयुक्त स्थान पर चल रहा था, जुलाई १९५३ में शार्दूल स्कूल भवन में आ गया और निम्नलिखित नये अध्यापक इसमें बढ़ाये गये।

श्री चन्द्र शेखर शर्मा।

श्री दुर्गाप्रसाद कंभारिया।

(ग) उक्त अध्यापकों की योग्यता और ग्रेड इस प्रकार थे :

[श्री भोलानाथ]

नाम	योग्यता	ग्रेड
श्री चन्द्र शेखर	इंटर (बायलोजी साइंस)	७०.४.६०
श्री दुर्गाप्रसाद	मैट्रिक	३५.१.४०

श्री दुर्गाप्रसाद मिडिल ग्रेड के इंटर व्यू में आये थे।

(घ) श्री चन्द्रशेखर को गर्मी की छुट्टियों का वेतन मिला क्योंकि इनकी नियुक्ति बायलोजी साइंस के व्यक्ति होने के कारण रिक्त स्थान पर की गई थी और श्री दुर्गाप्रसाद को गर्मी की छुट्टियों का वेतन नहीं मिला क्योंकि वह ट्रेनिंग पर गये हुए अध्यापक के रिक्त स्थान पर एवजी पर लिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार बतलाएगी कि दुर्गाप्रसाद को किसकी एवजी में लिया गया था ?

श्री भोलानाथ—यह अलग प्रश्न पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—यह स्कूल नये सिरे से सरकार के नियन्त्रण में लिया गया था और उसकी एवज में लोगों को लिया गया था, क्या यह सही है ?

श्री भोलानाथ—सभी स्कूल्स सरकारी शिक्षा विभाग के हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह एक प्राइवेट स्कूल है, उसको सरकारी नियन्त्रण में लिया गया था वहां पर अध्यापकों को लिया गया था।

श्री भोलानाथ—जब अध्यापकों को ले लेते हैं तो वे सरकारी हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोतीलाल चौधरी।

प्रश्न संख्या १५२०

राजस्थान में हड्डी के व्यापार की मोनोपोली प्रणाली की समाप्ति

श्री मोतीलाल चौधरी—Will the Minister incharge of Commerce & Industry be pleased to state :

(1) Has the Government made a declaration to abolish the monoply system in Bone business in Rajasthan ?

(2) If so, when will it be implemented ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(1) Yes.

(2) It has been implemented.

श्री अध्यक्ष—List of Questions of 9th August, 1954.

प्रश्न संख्या १३२७

राजस्थान में अफीम की काश्त तथा उसका उत्पादन

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में पिछले ५ वर्ष में कितनी भूमि में अफीम की काश्त हुई ?

(२) उक्त काश्त किन किन जिलों में हुई ?

(३) पिछले ५ वर्षों में कितना २ उत्पादन हुआ ?

(४) उक्त उत्पादन में से कितनी अफीम राजस्थान के बाहर भेजी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अफीम की खेती आदि पर नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार का है, अतः राजस्थान सरकार का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—खेती होती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—खेती होती है, लेकिन इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है।

श्री हिम्मतसिंह—कितने एरिया में खेती होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कितनी अफीम बाहर जाती है और कितनी जगह खेती होती है और कितनी खेती होती है, इसकी सूचना हमारे पास प्राप्त नहीं है। प्राप्त करने के बाद सूचना दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चान्दमल मेहता।

प्रश्न संख्या १३२८.

महाराजा मिडल स्कूल, किशनगढ़ एवं किशनगढ़ तहसील की पाठशालाओं के अध्यापकों को वेतन विलम्ब से मिलना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या अध्यापकों को तनख्वाह मिलने की अन्तिम तिथि निश्चित है ? यदि हां, तो कौनसी ?

(२) क्या अध्यापकों के पे शीट बनाने की अन्तिम तिथि निश्चित है ? यदि हां, तो कौनसी ?

(३) महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ एवं किशनगढ़ तहसील की अन्य स्कूलों के पिछले ६ माह के पे-शीट बन कर किन तारीखों को दाखिल हुए और उन्हें तनख्वाह किन किन तारीखों को दी गई ?

श्री भोलानाथ—(१) हां निश्चित है । समस्त राजस्थान की स्कूलों के अध्यापकों को लगभग हर माह की १० तारीख तक वेतन का चुकारा कर दिया जाता है।

(२) अध्यापकों के पे शीट लगभग हर माह की तारीख २६–३० तक तैयार कर उस एरिया के ट्रेज़री ऑफिस को, पास होने के हेतु, प्रस्तुत कर दी जाती हैं।

(३) महाराजा मिडिल स्कूल, किशनगढ़ एवं किशनगढ़ तहसील की अन्य स्कूलों के पिछले ६ माह में पे-शीट बनाने व वेतन के चुकारे का विवरण निम्न प्रकार है :

महाराजा मिडिल स्कूल, किशनगढ़

	पे शीट दाखिल करने की तारीख	वेतन चुकाने की तारीख
जनवरी १९५४.	२७. १. ५४	६. २. ५४
फरवरी ,,	१. ३. ५४	५. ३. ५४
मार्च ,,	८. ४. ५४	२०. ४. ५४
अप्रेल ,,	२८. ४. ५४	१५. ५. ५४
मई ,,	२९. ५. ५४	२१. ६. ५४
जून ,,	२६. ६. ५४	८. ७. ५४

किशनगढ़ तहसील की अन्य स्कूल

जनवरी १९५४	२५.१ ५४.	१०.२.५४.
फरवरी ,,	२६.२ ५४.	५.३.५४.
मार्च ,,	५.४. ५४	२४.४.५४

[श्री चांदमल मेहता]

अप्रेल,,	२६.४.५४	१२.५.५४.
मई ,,	२६.५.५४.	२१.६.५४.
जून ,,	२४.६.५४.	८.७.५४

श्री ांदमल मेहता—माननीय मंत्री ने १० तारीख निश्चित तिथि बतलाई। फिर निश्चित तिथि के बाद में तनख्वाह मिलने का क्या कारण है ? अभी आपने बताया कि २५ और २६ तारीखों को तनख्वाह मिलती है। इतनी देरी का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—इसके दो कारण हैं। एक तो आप देखेंगे कि फाइनेन्शियल इयर खत्म होता है, उस समय कुछ देर होती है जो मार्च में देखेंगे या उस समय जब छुट्टियें होती हैं उस समय देखेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन महीनों को जैसे मार्च से जून तक के अलावा और महीनों में देरी से तनख्वाह मिलने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—आपने मेरा उत्तर ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा कि जून में छुट्टियें हो जाती हैं फिर वह कौनसा महीना है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अप्रेल, जून, और जुलाई इन महीनों के अलावा बराबर १० तारीख तक तनख्वाह मिल जाती है ?

श्री भोलानाथ—मैंने बताया आपको, सुना होगा आपने।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या आप जिन महीनों के लिए कठिनाई बता रहे हैं उनके बारे में निश्चित तिथि पर तनख्वाह मिलने के लिए व्यवस्था करेंगे ?

श्री भोलानाथ—इससे ज्यादा क्या हो सकता है ? मैंने आपको बहुत डेफिनेट बताया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रामदयाल उपाध्याय

प्रश्न संख्या ११२६

श्रीअध्यक्ष ... श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.18

प्रश्न संख्या १३३०

राजस्थान में १६५३-५४ में रुई की काश्त तथा उत्पादन

श्री चान्दमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में १६५३-५४ के वर्ष में कितनी भूमि में रुई की काश्त की गई ?

(२) उक्त वर्ष में प्रति एकड़ अधिकतम कितना उत्पादन रहा ?

(३) राजस्थान में पैदा हुई रुई से ऊंचे से ऊंचा कितने काउन्ट का सूत बनाया जा सकता है ?

(४) रुई की Quality में सुधार करने के लिए सरकार क्या योजना रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—(१) ३,८०,३६४ एकड़।

(२) आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(३) ३५ काउन्ट।

(४) रुई की किस्म में सुधार करने हेतु सरकार की ओर से उदयपुर में एक कॉटन ब्रीडिंग स्टेशन है जिसके अन्तर्गत सुधरे हुए बीजों के उत्पादन व वितरण की योजनायें चालू हैं।

श्री चान्दमल मेहता—उससे कहां तक प्रगति हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपने देखा कि ३५ काउन्ट की रुई का उत्पादन राजस्थान में होने लग गया है और ५० नम्बर के काउन्ट के (एम ४०६) के बीजों का प्रोसेस जारी है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान में अच्छी रुई के प्राप्त नहीं होने से यहां की अधिक मिलें बाहर से अच्छी रुई इम्पोर्ट करती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—एम....कौनसी वैराइटी बतायी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अमेरिकन वैराइटी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—कौन सी अमेरिकन होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पूरी जानकारी यहां उपलब्ध नहीं कर रखी है कि कौनसी वैरायटी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री श्रीदास गोयल ।

प्रश्न संख्या १३३१

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३३२

रूपनगर तहसील में नकदी लगान के पर्चे तकसीम करना तथा भूमि की उजरदारियां

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. रूपनगर तहसील में नकदी लगान के पर्चे तकसीम करने की अन्तिम तिथि कौनसी थी ?

२. इस तहसील में जमीनों के सम्बन्ध में कितनी उजरदारियां दाखिल हुईं और उनमें से कितनी फैसल हो चुकी हैं ?

३. क्या यह सही है कि पूरी उजरदारियों का फैसला करने के पूर्व ही उक्त अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

४. यदि हां, तो अब उजरदारियों की सुनवाई कहां होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(राजस्व मंत्री) १. रूपनगर तहसील में नकदी लगान के पर्चे तकसीम करने की अन्तिम तिथि ६–३–५३ थी ।

२. २८०० उजरदारियां पेश हुईं, उनमें से २४२६ तय कर दी गई हैं।

३. जी नहीं ।

४. यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या जो उजरदारियां पेन्डिंग हैं उनका फैसला क्या जयपुर में होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं । एस. डी. ओ. किशनगढ़ को रेफर कर दी गई हैं ।

Page No.20

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया था और जो उन्होंने फैसले किये उनकी सूचना सम्बन्धित पार्टीज़ को दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ऐसी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में तार और प्रार्थना पत्र रूपनगर तहसील से माननीय मंत्री महोदय के पास बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रार्थना पत्र पंहुचे हैं तो सेटलमेन्ट विभाग के पास भेज दिये गये होंगे और नियमानुसार कार्यवाही करने की हिदायत दे दी गई होगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि तीन चौथाई फैसले बगैर मौके पर गये ही किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात की जांच कराने का फैसला करेगी कि जो ऑब्जेक्शन्स सुनने के लिए ऑफिसर्स नियुक्त हुए थे उनके खुद के टी. ए. बिल के आधार पर वे कितनी जगह पहुंचे और कहां तक रहे और ऑब्जेक्शन्स कितने गांवों के नहीं सुने गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यदि निश्चित रूप से बताया जाय कि अमुक चीज़ यह है तब तो उसकी जांच की जा सकती है वरना अन्दाजी जांच नहीं की जा सकती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो ऑब्जेक्शन्स हुए हैं उनमें से कितने एक्सेप्ट किये गये हैं ? और रिजेक्ट कितने किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अलग बात है और जिसकी पूरी जानकारी चाही गई तो एक पूरा लम्बा चौड़ा स्टेटमेन्ट होगा जो कि इसमें भी नहीं चाहा गया है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सम्बन्धित ऑफिसर्स ने फैसले पार्टीज़ को सुने बगैर ही किये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऐसी शिकायतें मंत्री महोदय के पास आई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—शिकायतें तो कई प्रकार से आती हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन अधिकारियों ने घोषणा की कि एक जगह हैडक्वार्टर कर रहे हैं, १०-१२ गांवों के लोगों के ऑब्जेक्शन्स सुनने के लिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सप्लीमेन्टरी आ सकते हैं जिनका आधार नहीं। ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है कि उन्होंने फैसले वहां बैठकर किये होंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३३३

नोन जुडिशियल स्टाम्प्स की बिक्री पर स्टाम्प वेन्डर्स को कमीशन

श्री चान्दमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नोन जुडिशियल स्टाम्प्स की बिक्री पर स्टाम्प वेन्डर्स को क्या कमीशन दिया जाता है ?

(ख) ५३-५४ के वर्ष में कितनी रकम उक्त कमीशन के रूप में दी गई ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) नोन जुडिशियल स्टाम्प की बिक्री पर स्टाम्प वेन्डर्स को निम्न प्रकार से कमीशन दिया जाता है :

१. डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर	३ रुपये २ आने प्रतिशत।
२. सब डिविजन हैड क्वार्टर पर	४ रुपये ११ आने प्रतिशत
३. तहसील हैडक्वार्टर पर	६ रुपये ४ आने प्रतिशत।

(ख) सन १९५३-५४ के वर्ष में नोन जुडिशियल स्टाम्प्स पर कमीशन के रु० ११,९६९) दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के स्टाम्प वेन्डर को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भोलानाथ—बेचता ही नहीं होगा। (हंसी)

Page No.22

प्रश्न संख्या १३३४

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३३५

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।
(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या १३३६

बाडमेर जिले में अकाल-सहायता के लिये धन-राशि तथा उसका व्यय

श्री तनसिंह—क्या मंत्री, अकाल सहायता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर जिले में अकाल सहायता के लिए कितनी धन-राशि की स्वीकृति दी गई है :-

(२) उसमें से अब तक कितना व्यय हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (अकाल सहायता विभाग मंत्री)—(१) बाड़मेर जिले में अकाल सहायता के लिए सन् ५४.५५ में २० हजार रुपये सिविल रिलीफ कार्यों के लिए तथा ८७,००० रुपये बाडमेर की सड़कों के लिए स्वीकार किये गये थे।

(२) सन् १९५४.५५ में १४,२९७ सिविल रिलीफ कार्यों पर तथा ४२६ रुपये सड़कों के कार्य पर खर्च हुए।

श्री तनसिंह—इतनी अधिक राशि सड़कों के लिए स्वीकृत होने पर भी ४०० या जो भी इससे अधिक बतायी गई राशि है उतनी ही खर्च होने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वहां पर कार्य प्रारम्भ करने पर कई प्रकार की दिक्कतें समय समय पर आती रहती हैं। यही कारण है कि सड़कों के बजाय दूसरे कार्यों पर अधिक खर्च हुआ है।

श्री तनसिंह—कठिनाइयों की क्या कोई लम्बी सूची है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कठिनाइयों की सूची के लिए किसने कहा था ? कठिनाइयों के अन्दर मेटिरियल समय पर न मिलने की दिक्कतें आई हैं। कौन सी रोड कहां से शुरू हो, अलग अलग सजेशन्स आते हैं। इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। जो सजेशन्स आते हैं उनमें डिफरेन्स होता है। इसलिए दूसरे रिलीफ कार्यों को पहले किया गया और सड़कों के कार्य को पूरा नहीं किया जा सका।

श्री तनसिंह—जब सड़कों की स्वीकृति पहले हो गई थी तो फिर उसको क्यों नहीं पूरा किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हां, पहले एक साइड में रोड का तय हो गया था। फिर उसको शुरू कराने में मेटीरियल की दिक्कतें आ गई थीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३३७

सन् १९५३-५४ में राजस्थान से पशुओं का निर्यात तथा उस पर कस्टम-आय

श्री चांदमल मेहता—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) सन् ५३-५४ में कितने पशु कितने मूल्य के राजस्थान से बाहर भेजे गये ?

(२) उन पशुओं में मादा पशु कितने हैं ?

(३) गायें कितनी हैं ?

(४) उक्त पशुओं से राजस्थान सरकार को कस्टम ड्यूटी के रूप में कितनी आमदनी हुई ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(१) ५३-५४ के वर्ष में १३,२३,४४७ पशु राजस्थान से बाहर भेजे गये। पशुओं पर निर्यात ड्यूटी प्रति रास या नग है, अतः उनके मूल्य सम्बंधी आंकड़े कस्टम विभाग में प्राप्त नहीं हो सकते।

(२) इन पशुओं में मादा पशुओं की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :

(१) ऊंटनी २,६६६,

(२) बकरी १,६८,९६२,

[श्री भोलानाथ]

(३) भेड़ ११,४७३ ।

(३) गायों का निर्यात वर्जित है ।

(४) उक्त पशुओं से राजस्थान सरकार को कस्टम्स ड्यूटी के रूप में ४६,३७,५५६ रुपयों की आमदनी हुई ।

श्री चांदमल मेहता—मादा पशुओं की निकासी जारी रखने के क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ—कारण तो यही है कि ये ऐसे जानवर हैं जिनका बाहर जाना यहां के किसान आवश्यक समझते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मादा पशुओं की निकासी जारी रहने से राजस्थान के पशु-धन में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं होती है और उसमें रुकावट आती है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो कस्टम की आमदनी हुई है पशुओं के बाहर निकालने के सिलसिले में उन पशुओं को बाजार में बेचने से कितनी मूल्य की राशि प्राप्त हो सकती थी ? वे आंकड़े कितने गुना हो सकते थे ?

श्री भोलानाथ—नहीं हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—The State has charged Rs. 4 lacs as export duty. How do you consider the market value of these animals ?

श्री भोलानाथ—इसकी आवश्यकता नहीं है । एक बैल दस रुपये का भी हो सकता है और एक बैल दो हजार रुपये का भी हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम ।

प्रश्न संख्या १३३८

सिवाना तहसील में अकाल घोषित होने के कारण शासकीय अवकाश

श्री मोटाराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सिवाना तहसील में फैमिन (अकाल) घोषित होने के कारण सरकार की तरफ से कितनी रकम मन्जूर हुई थी ?

[श्री मोटाराम]

(ख) वह किस हिसाब से किन किन गांवों में खर्च हुई और फी गांव कितना रुपया दिया गया ?

(ग) दूसरे गांवों को सहायता क्यों नहीं दी गई और जिन गांवों की माली हालत खराब थी उन्हें मदद क्यों नहीं दी गई ?

(घ) क्या चार गांवों में अभी वर्षा होने के बाद ग्रामीणों को मजदूरी देने की मन्जूरी हुई है ? पहिले मन्जूरी क्यों नहीं दी गई ? इतनी देरी होने का क्या कारण था ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (राजस्व मंत्री)—(१) सिवाना तहसील के लिये सन् १९५४-५५ में ७४०० रू० की स्वी कृति दी गई थी।

(२) सन् १९५४-५५ में आठ कार्य स्वीकृत हुये तथा ५१७० रू० ५ आने की धनराशि तालाबों की खुदाई कार्य पर स्वीकृत हुई।

(३) और (४) निम्न ग्रामों में निम्न प्रकार स्वीकृत तथा व्यय हुये ?

नाम ग्राम	नाम कार्य	रकम स्वीकृत	रकम व्यय
१ देवन्दी के पास	तालाब की खुदाई	१०००रु०	१०००रु०
२ सनवारडा	,,	१०००रु०	१०००रु०
३ सेवाली	,,	१०००रु०	
४ देवन्दी के पास	,,	१०००रु०	६१६रु० १२ आ
५ सनवारडा	,,	१०००रु०	१०००रु०
६ गोलिया	,,	१०००रु०	६२६रु० १० आना
७ अरपन्डी	,,	१०००रु	
८ सनवारडा	,,	४००रु	३२६रु० १५ आने
	योग	७,४००रु०	५१७०रु० ५आना

क्रम संख्या ३ और ७ के कार्य वर्षा हो जाने के कारण चालू नहीं किये जा सके, इसके अतिरिक्त ४७०० रु० एक सड़क बनाने के लिये स्वीकार किये गये।

५. प्रत्येक ग्राम में कार्य चालू करना संभव नहीं था। कार्य उन स्थानों पर ही चालू

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किये जाते हैं जहां बड़े तालाब हों तथा निकटवर्ती ग्रामों से श्रमिक भी आ सकें। जहां सड़क का कार्य चलता है उसके आस-पास के ग्रामों में और दूसरे काम नहीं चलाये जाते क्योंकि समीपवर्ती ग्रामवासियों को सड़क पर कार्य मिल जाता है।

६. प्रश्न में ग्रामों का नाम स्पष्ट नहीं है,अतः जांच करवाना संभव नहीं हो सकता।

श्री मोटाराम—क्या यह रकम चार ही गांवों में खर्च की गई; ज्यादा एरिया जहां ज्यादा तकलीफ थी वहां एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने आपके सामने आठ गांवों की सूची बताई, इनमें से छ गांनों में पैसा खर्च हुआ है।

श्री मोटाराम—आपने जो नाम बताये हैं उनमें से चार गावों में ही खर्च हुआ, बाकी किसी में भी एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यह जो नाम बता रहे हैं गलत हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने आपके सामने जहां जहां खर्च किया गया, उनके नाम बताये। मैं फिर आपकी सूचना के लिए पढ़ दूं: "देवन्दी के पास, सनवारडा, सेवाली, देवन्दी के पास सनवारडा, गोलीया, अरपन्डी, सनवारडा।"

श्री संतोषसिंह कछवाहा—४,७००) रु० सड़क के लिये, जो बताये उससे कितने मील सड़क बनी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या इससे आधा मील भी सड़क बनी है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पक्की रोड के लिये यह रुपया नहीं दिया गया।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—तो क्या इस रकम से केवल सफेद पत्थर ही डाले गये?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जहां पर कच्ची रोड होती है उसके लिये मुरड वगैरह इकट्ठी की होगी।

प्रश्न संख्या १३३६

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १३४०

सेटलमेंट अधिकारी द्वारा तहसील सिवाना में मगरा सर्कल की रेट

श्री मोटाराम—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सेटलमेन्ट ऑफिसर ने तहसील सिवाना में मगरा सर्कल की रेट १० आना रखी है, वह किस आधार पर रखी है ?

(ख) क्या जागीरदार काश्तकारों को मगरा जमीन ४ आना बीघा के हिसाब से मुकाते पर दिया करते थे ?

(ग) क्या सरकार इनकी पूरी जांच करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—(क) इस बारे में उजरदारियों पर जांच हो रही है और अगर नीचे दर्जे की बारानी को ऊंचे दरजे में रख दिया गया है तो उचित रद्दोबदल कर दिया जायगा।

(ख) इसकी जानकारी अभी सरकार के सामने नहीं है।
(ग) जांच की जा रही है।

श्री मोटाराम—क्या सरकार को यह मालूम है कि हमारी तहसील में ऐसे इलाके है जहां लगान ४ आना लगता था वहां १० आने तक लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया— मैंने कहा कि ऐसी जानकारी अभी सरकार के पास नहीं है।

प्रश्न संख्या १३४१

श्री अध्यक्ष—श्री जुझारसिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १३४२

तहसील वल्लभनगर के कुछ ग्रामों के पटवारियों को समय पर वेतन न मिलना

श्री दिलीपसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील वल्लभनगर के गांवों: जैसे खेरोदा, मौडी, भटेवर, दरौली, खेड़ी आदि के पटेलों को तनख्वाह बराबर मिल रही है और अगर नहीं तो कब से नहीं और क्यों ?

Page No.28

[श्री दिलीपसिंह]

(ख) क्या बजट सन् १९५२. ५३ व ५३. ५४ में उपरोक्त तनख्वाहों के लिये प्रोवीजन किया गया था ?

(ग) सम्बन्धित मंत्री द्वारा मेरे प्रश्न संख्या १२१ के जवाब में तारीख ३१-३-५३ को यह कह देने पर भी कि तनख्वाह चुकाई जा रही है, अभी तक तनख्वाह क्यों नहीं दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) इन गांवों के पटेलों को वेतन बराबर मिल रहा है; सम्वत् २००६—१० तक का पेमेन्ट हो चुका है ।

(ख) वेतन के लिए सन् १९५२–५३ व ५३–५४ के बजट में कोई प्रोविजन नहीं था। विशेष रूप से मन्जूरी द्वारा वेतन चुकाया गया ।

(ग) सम्वत् २००६–१० तक पेमेन्ट तो हो चुका है और सम्वत् २०१०–११ के पेमेन्ट के लिये इस वर्ष के बजट में प्रोविजन है । आशा है अक्टूबर तक बकाया वेतन का भुगतान अवश्य हो जायगा ।

प्रश्न संख्या १३४३

तहसील बैराठ में तहसीलदार के विरुद्ध जनता की राजस्व मंत्री के पास शिकायत

श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील बैराठ के तहसीलदार के विरुद्ध वहां की जनता ने राजस्व मंत्री के पास जो शिकायतें की थीं उस पर यह आश्वासन मिला था कि तुरन्त ही इसकी जांच करवाई जावेगी ?

(ख) क्या इस जांच के लिये कमिश्नर को हुक्म जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां तो किस तारीख को ?

(ग) राज्य के एक जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये ऐसे आरोपों की जांच में सरकार को आमतौर पर कितना समय लग जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(राजस्व मंत्री) (क) हां ।

Page No.29

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) हां। तारीख की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इसके कोई निश्चत नियम नहीं हैं। जांच का समय कई बातों पर निर्भर करता है।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—जिन बातों का आवेदन-पत्र में जिक्र था क्या उन सब बातों की जांच हो रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उन सब की जांच की जा रही है।

श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल—कितने अरसे में जांच समाप्त हो जावगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने निवेदन किया कि जांच कई चीजों पर निर्भर करती है।

प्रश्न संख्या १३४४

मध्य भारत से राजस्थान में आये हुये ग्रामों में अभी तक मध्य भारत की राजस्व व्यवस्था

श्री सुगनचन्द—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य भारत से राजस्थान में जो गांव आये हैं क्या उनमें अभी तक भी रेवेन्यू कानूनी व्यवस्था मध्यभारत में थी वही चली आ रही है ?

(ख) क्या सरकार इन कानूनों के एकीकरण करने का विचार करेंगी ?

(ग) अब तक एकीकरण नहीं होने का क्या कारण है और अब कब तक एकीकरण हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(राजस्व मन्त्री) (क) जी हां।

(ख) यह कानून सदन के विचाराधीन है।

(ग) राजस्थान बनने के पश्चात् सरकार का यही प्रयत्न रहा है कि सारे राजस्थान के राजस्व संबन्धी कानूनों का एकीकरण शीघ्र हो और यह आशा की जाती है कि यह कार्य अब शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगा।

प्रश्न संख्या १३४५

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या १३४६, श्री जुझारसिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १३४७

ग्राम साकेला (त० मखली) में ग्राम पंचायत की स्थापना

श्री दिलीपसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गांव सालेरा तहसील मखली में ग्राम पंचायत की स्थापना हो चुकी है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) उपरोक्त ग्राम की ग्राम पंचायत कायम करने के लिये कब से क्या कार्यवाही हो रही है ?

(घ) पैरा (ग) में की गई कार्यवाही कबसे सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामकरण जोशी—(क) जी नहीं।

(ख) प्रस्तावित पंचायत के सालेरा गांव व इसके अधीनस्थ ग्राम पहले अन्य पंचायतों के क्षेत्र में सम्मिलित थे और इन पंचायतों में से १५ गांव निकाल कर दो पंचायतें चन्देसरा व उत्रोक पहले ही बनाई जा चुकी थीं जिससे उन पंचायतों का क्षेत्र काफी छोटा हो गया था। ऐसी स्थिति में अन्य पंचायतों का क्षेत्र और भी छोटा करके आर्थिक-संकट उपस्थित करना ठीक नहीं समझा गया। अब पंचायत अधिनियम के जारी होते ही पंचायतों का पुनर्गठन होना शुरू हुआ और उसी क्रम में इस सालेरा पंचायत को बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) इसकी कार्यवाही सन् ५० से ही चल रही है किन्तु उपरोक्त कारणों से यह पंचायत स्थापित नहीं हुई, अब प्रयास किया जा रहा है।

(घ) मई १९५४ से।

श्री दिलीपसिंह – यह प्रयत्न कब खत्म हो जायेंगे ?

श्री रामकरण जोशी--एक-दो हफ्तों में।

श्री भोपालसिंह—चन्देसर गांव ने पहले एप्लाई किया था या पहले मांग सालेरा वालों की तरफ से थी ?

श्री रामकरण जोशी—होगी; इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

Page No.31

श्री भोपालसिंह—क्या इसमें कोई खास कारण था जिसकी वजह से उनकी मांग को मन्जूर नहीं किया गया ?

श्री रामकरण जोशी—ऊपर जो कारण बताये गये हैं उनके कारण उनकी मांग मन्जूर नहीं की गई होगी। अगर कोई नई बात होगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री दिलीपसिंह—इन दो वर्षों में यहां की रूपरेखा कितनी बार बनाई गई ?

श्री रामकरण जोशी—अधिनियम के मन्जूर होने के बाद बनायी गई है।

श्री दिलीपसिंह—इसकी रूपरेखा कितनी दफा बनाई गई ?

श्री रामकरण जोशी—बनाने का प्रयत्न ५० से जारी है किन्तु प्रकट में तो कोई नहीं आई।

प्रश्न संख्या १३४८

सन् १९५३-५४ में तहसील सिरोही के लिए तकावी की स्वीकृत रकम

श्री जवानसिंह—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही तहसील के लिये सन् १९५३-५४ व वर्तमान साल में कितनी रकम सरकार से किसानों को तकावी देने के लिये मन्जूर हुई ?

(ख) गत वर्ष में कितनी रकम ऋण में दी गई और वर्तमान साल में कितनी रकम वितरित की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—

(क) सन् १९५३-५४

राजस्व तकावी	५००० रु०
ग्रो मोर फूड तकावी	३००० रु०
वर्तमान वर्ष यानि ५४-५५	
राजस्व तकावी	२००० रु०
ग्रो मोर फूड तकावी	२००० रु०

(ख) गत वर्ष में ऋण के आंकडे प्राप्त नहीं हुए हैं। इस वर्ष १८०० रुपये का तकावी ऋण दे दिया गया है।

श्री जवानसिंह—क्या इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि कम-ज्यादा रकम की जरूरत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इससे इन्कार नहीं कर सकता किन्तु रकम ज्यादा उपलब्ध नहीं है।

श्री जवानसिंह—इस सम्बन्ध में विशेष रूप से निवेदन किया जाय तो क्या आप ज्यादा सहायता देने की कोशिश करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि इसका निश्चित उत्तर दे सकूं।

प्रश्न संख्या १३४९

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १३५०

तहसील मेड़ता में पिछले तीन साल में विभिन्न जातियों को दिया जाने वाला तकावी लोन

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) तहसील से जो तकावी लोन वितरण किया जाता है उसका क्या तरीका है ?

(ब) तकावी लोन किस २ जाति को दिया जाता है ? तहसील मेड़ता में सम्वत् २००९, २०१० व २०११ में किस २ जाति को कितना कितना लोन दिया गया ?

(स) क्या राजपूत, ब्राह्मण, महाजन व हरिजनों को तकावी लोन देना सरकार की तरफ से सर्वथा वर्जित है ?

(द) क्या तकावी लोन वितरण कमेटी में सर्व जातियों का समावेश किया जावेगा और एम. एल. ए. क्षेत्र व गांव पंचायत की भी राय ली जाएगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(अ) तहसील से जो तकावी वितरित की जाती है वह तकावी तकावी के नियमानुसार वितरित की जाती है।

(ब) तकावी लोन जाति के आधार पर नहीं दिया जाता है। यह निम्न स्टेटमेंट से स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ दूं क्या इसे ? लेटेस्ट साल के पढ़ दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कि पिछले दो सालों के और पढ़ूं । सन् ५४-५५ में तकावी जिन जिन को दी गई उनका अनुपात मैं बताता हूं :

राजपूत	४१ प्रतिशत ।
जाट	११ प्रतिशत ।
ब्राम्हण	२४ प्रतिशत ।
महाजन	० प्रतिशत ।
हरिजन एवं	७ प्रतिशत ।
अन्य	१७ प्रतिशत ।
कुल	१०० प्रतिशत ।

मैं समझता हूं कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी जाति विशेष को न दिया जावे, ऐसा नियम नहीं है ।

(ग) जी नहीं, इसका उत्तर (ख) में दिया जा चुका है ।

(घ) शायद तकावी नियमों में ऐसा कोई प्रोवीज़न नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसको पार्टीवाइज़ भी निकालने की कोशिश की है आपने ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एक बार जांच की थी तो कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा दी जाती है, ऐसा पता लगा है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३५१

गांव भानपा व सारंगपुरा (त० डूंगला) में ग्राम पंचायतों के चुनाव

श्री दिलीपसिंह क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कांग्रेसी कम्युनिस्ट हो गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Too late.

श्री दिलीपसिंह (जारी)—(क) नया गांव भानपा व सारंगपुरा, तहसील डूंगला में ग्राम पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं ? अगर हां, तो कब ?

(ख) क्या उपरोक्त चुनावों का नतीजा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या उपरोक्त चुनाव अवैधानिक हैं ? अगर हां, तो अब तक दुबारा चुनाव क्यों नहीं किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—(क) इन स्थानों पर निर्वाचन के लिये पंचायत विभाग के अधिकारी मौके पर गये परन्तु जनता के एकत्रित न होने से चुनाव नहीं हो सके ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) राजस्थान पंचायत निर्वाचन नियम के अनुसार दुबारा चुनाव कराने की कार्यवाही जारी है ।

श्री दिलीपसिंह—यह सरकार की कौनसी कार्यवाही से पता लगा कि वहां जनता एकत्रित नहीं हुई थी ? मैं खुद वहां मौजूद था ।

श्री रामकरण जोशी—सरकार को पंचायत इन्सपेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर यह बात मालूम हुई है ।

श्री दिलीपसिंह—क्या सरकार इस बात की जांच कराने को तैयार है कि वहां उस दिन जनता एकत्रित थी और इन्सपेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है वह सही नहीं दी । उसमें इस फैक्ट को एबोलिश किया गया है ।

श्री रामकरण जोशी—अगर इस तरह की मांग की जावेगी तो अवश्य जांच कराई जा सकती है ।

श्री दिलीपसिंह—मैं ऐसी मांग जरूर करूंगा कि इसकी जांच कराई जावे ।

श्री रामकरण जोशी—प्रश्नोत्तर के समय ऐसी मांग नहीं की जा सकती ।

श्री दिलीप सिंह—मैं बाद में आपसे मांग कर लूंगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां, ऐसी बात खानगी में ही करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या १३५२

धौलपुर स्टोन कम्पनी के पत्थर का संग्रह तहसील बसेड़ी के निकट

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि धौलपुर स्टोन कम्पनी के पत्थर का स्टॉक तहसील बसेडी के पास जमा है ?

(२) क्या यह सच है कि उस स्टाक को जमा करने के लिये कम्पनी ने उस जगह को ठेके पर ले लिया है ? यदि हां, तो किस तरह से कितने रुपयों में, कितने समय के लिये और कब से ?

(३) क्या यह भी सच है कि अभी तक उस भूमि को किराये पर लिया जाना सरकार की ओर से तय नहीं हुआ है ? अगर नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) जी हां।

(२) जी हां।

दिसम्बर, सन् ५२ से। ४ बीघा २ बिस्वा तीस रुपया सालाना में ठेका देने का तय हुआ है।

(३) जी हां। ऐसे ठेके मंजूरी से पूर्व ठेकेदार को बमुराद मन्जूरी तहसील की ओर से कब्जा होता रहा है।

श्री हंसराज जटिया—क्या इतनी बड़ी जमीन, इतनी छोटी रकम में दे देना मुनासिब है ?

श्री अध्यक्ष—मुनासिब और नामुनासिब की बात नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो वहां कि स्थानीय परिस्थिति को देखकर ही कहा जा सकता है। यहां सदन में बैठकर कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुनासिब क्या है और गैरमुनासिब क्या ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री संतोषसिंह कछवाहा।

प्रश्न संख्या १३५३

जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी में आई हुई विभिन्न वस्तुओं पर कस्टम

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शिनी में कुल कितने व कौन कौन से व्यापारियों ने कितनी कितनी कौन कौन सी खाने-पीने, पहनने व अन्य प्रदर्शिनी की वस्तुएं कुल कितने कितने रुपयों की मंगवाई ?

(ख) इस प्रदर्शिनी में आने वाली वस्तुओं पर कितनी प्रतिशत कस्टम सरकार ने किस वजह से माफ अथवा कम किया ?

(ग) इस प्रदर्शिनी में आने वाली वस्तुओं पर किन किन व्यापारियों को कितने माल पर किस दर से कुल कितने कितने रुपये कस्टम के कम अथवा माफ हुए ?

(घ) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शिनी में आने वाली किस किस वस्तु पर तारीख २३। २। ५४ को सरकार ने पूरा कस्टम लेने का ऑर्डर दिया और क्यों ?

(ङ) तारीख २३. २. ५४ से पहले जो जो वस्तुएं प्रदर्शिनी में कम कस्टम से आई थीं क्या सरकार उनका भी पूरा कस्टम फिर से चार्ज करेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

(च) आधा माफ किया कस्टम फिर से लेने का कदम सरकार को क्यों उठाने की जरूरत पड़ी ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)--(क) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शिनी, १६५४ में कुल व्यापारियों ने जो जो वस्तुएं, जितनी जितनी कीमत की मंगवाई उनकी सूची सदन की मेज पर रक्खी जा रही है। जिन जिन वस्तुओं पर तोल पर कस्टम्स ड्यूटी वसूल होती है उसके आंकड़े तोल में ही दिये गये हैं। इनकी कीमत के आंकड़े रेकॉर्ड में नहीं है।

(ख) सरकार ने इस प्रदर्शिनी में आने वाली वस्तुओं पर ५० पर्सेन्ट कस्टम माफ किया। आज्ञा नं० एफ ६। ३५ एस आर ५३ दिनांक ५-१-५४ के जरिये यह माफी हुई। प्रदर्शिनी का उद्घाटन इण्डस्ट्रियल व एग्रिकल्चरल उन्नति को लक्ष्य में रखकर किया जा रहा था, अतः प्रदर्शिनी की सफलता में अपना योग देने के उद्देश्य से प्रदर्शिनी में आने वाली वस्तुओं पर सरकार ने कस्टम्स् सम्बन्धी रियायत मन्जूर की।

(ग) जिन व्यापारियों को जितने जितने माल पर जिस दर से कुल जितने रुपये कस्टम्स के माफ हुए उसकी सूची भी उसी के साथ है।

[श्री भोलानाथ]

(घ) सरकार ने ता० २३.२-५४ को कबाडा, शक्कर, गुड़, मोटरगाड़ियां, रंग, बीड़ी और सिगरेट पर पूरा कस्टम लेने की आज्ञा केवल थोक बेचान के केसेज़ के लिये दी और फुटकर बेचान पर कस्टम्स ड्यूटी की ५० परसेन्ट की छूट जारी रही। स्थानीय व्यापारियों ने उद्योग व कृषि से सीधा सम्बन्ध न रखने वाली आम व्यापार की वस्तुएं; जैसे गुड, कबाड़ा, खाण्ड, मोटरगाडियें, रंग व बीड़ी-सिगरेट अधिक मात्रा में यानि थोक में मंगवा कर बेचान करना आरम्भ किया इसलिये ऐसी वस्तुओं पर पूरी ड्यूटी लेने की आज्ञा दी गई। (आज्ञा नं० एफ.६। ३५ एस. आर ५३ दिनांक १०-३-५४)

(ड़) इस माल का (घ) में उल्लेख किया गया। है वह यदि ता० २३-२-५४ के पहिले बिक चुका तो उस पर पूरी ड्यूटी नहीं ली गई और इस तारीख के बाद बिकने की हालत में पूरी ड्यटी ली गई।

(च) सवाल ही पैदा नहीं होता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इसकी एक प्रति दे दी जावे तो अच्छा है।

श्री भोलानाथ—अच्छी बात है, दे दी जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह किसके सर्टिफिकेट से, किस अधिकारी के आदेश से, तय होता था कि अमुक माल प्रदर्शिनी के लिए आया है या नॉर्मली आया है।

श्री भोलानाथ—जो माल प्रदर्शिनी के अन्दर आता था उसके प्रदर्शिनी में आने पर ही उसमें आया समझा जाता था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक बार जो माल प्रदर्शिनी के स्टाल में पंहुच जाता था वह क्या प्रदर्शिनी का माल शुमार कर दिया जाता था? बाद में वापिस बचने पर वह कहां जाता था, क्या किया जाता था? इसको चैक नहीं किया जाता था क्या?

श्री भोलानाथ—बाद में तो चैक करने की जरूरत नहीं रहती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर वह माल वापिस नुमाइश से शहर में ले आया कोई तो इसका कोई रेकार्ड सरकार के पास नहीं है? जितना माल नुमाइश में आया उसमें से जो बिका वह तो ठीक, बाकी बचे हुए माल का सरकार के पास क्या रेकॉर्ड है कि जिस पर कस्टम के नियमों के मुताबिक कस्टम लेविएबल है।

Page No.38

श्री भोलानाथ—यह तो कोई जोधपुर के ही लिये हो, ऐसी बात नहीं है। यह तो कस्टम-का कायदा ही ऐसा ही है। जो भी माल जिस शर्त पर आता है उसके मुताबिक सभी जगह एक सा नियम है। अगर बिके नहीं तो वापिस ले जाने की इजाजत दी जाती है। इसके भी आंकड़े अगर आप मांगेंगे तो दे दिये जावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जो माल वहां नहीं बिका और वापिस शहर में ले गये उस पर कस्टम लिया गया या नहीं?

श्री अध्यक्ष—आप, अपना सप्लीमेन्टरी का जब वक्त आता है तब तो चुप बैठे रहते हैं, दूसरे को मौका देते हैं और खुद सप्लीमेन्टरी नहीं करते and other Members take advantage of it.

श्री भोलानाथ—क्या प्रश्न है आपका, सुना नहीं?

श्री अध्यक्ष—प्रदर्शिनी में जितना माल आया उसमें से जितना बिका और बिकने के बाद जितना बचा और जो जोधपुर शहर में ले जाया गया उसका भी आपको कस्टम दिया गया, क्या यह सही है?

श्री भोलानाथ—अगर वह प्रदर्शिनी में नहीं बिका और जोधपुर में रह गया तो उस पर जरूर कस्टम वसूल किया गया है।

श्री अध्यक्ष—तो इसका कोई रिकॉर्ड आपने रक्खा क्या कि इतना माल बिका और इतना नहीं बिका और वापिस शहर में ले जाया गया और उस पर इतना कस्टम लिया गया; यही तो वे पूछ रहे हैं।

श्री भोलानाथ—जिस समय माल एन्टर हुआ वह उतारा गया, बिका उसका हिसाब बता दिया गया; बाकी शहर में ले गये।

श्री अध्यक्ष—उसका कोई अकाउन्ट है क्या, रिकार्ड रक्खा गया है क्या; it is the intention of his Questions.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यही तो मैं भी पूछ रहा था कि इसका रेकॉर्ड रक्खा गया है क्या कि इतना माल बचा जो फिर शहर में ले जाया गया!

श्री भोलानाथ—प्रश्न के पहले और दूसरे भाग के उत्तर में सामान की एक लम्बी सूची तैयार की गई है कि किस भाव वह आई, कितना कस्टम लिया आदि आदि। वह सूची सदस्य महोदय को देखने के लिए सदन की मेज पर रख दी गई है। अगर इससे सन्तोष नहीं है तो फिर मंगा ली जावेगी और यह बहुत बड़ा काम था, यह तो आप जानते हैं। काफी लम्बी-चौड़ी सूची है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो आप खुलासा कर दीजिये कि वापिस गये माल की सूची है क्या?

प्रश्न संख्या १३५४

धौलपुर सब डिविजन में कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि फार्मों में आधुनिक कृषि मशीनों का प्रयोग

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि कृषि विभाग की ओर से यह प्रचार किया जाता है कि किसानों को उन्नति किये हुये बीज, सुधरे यन्त्र एवं बैलों के स्थान पर यथासम्भव मशीन द्वारा कृषि कार्य करना चाहिये?

(२) यदि यह सच है तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि धौलपुर सब डिवीजन में कृषि विभाग राजस्थान द्वारा संचालित फार्मों एवं फल उद्यानों में कितने अंश तक उपरोक्त प्रचार को वास्तविकता के साथ प्रयोग में लिया जाता है?

(३) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि धौलपुर युनिट में कितने फार्म व फल उद्यान हैं और क्या क्या नाम हैं?

(४) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनकी उन्नति के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं और भविष्य के लिये क्या योजना है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(१) नहीं।

(२) सिर्फ एक बड़े भाग में, राजगढ़ में बिजली के पम्प द्वारा बाग की सिंचाई की जाती है क्योंकि धौलपुर में कोई फार्म नहीं है। इसलिये अन्य कृषि उन्नति के साधनों का उपयोग नहीं हो सकता।

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

(३) सरकारी फार्म कोई भी नहीं है । निम्नलिखित ६ उद्यान हैं :

१. बाग रामपरसू
२. निंचली बगिया
३. नरसिंग बाग
४. कछावा बाग
५. रामसागर
६. मिलाना
७. मोहननगर
८. रामबाग बाडी
९. महाराज बाग बाडी ।

(४) नये पेड़ पौधे लगाये जा रहे हैं । नये पेड़ पौधे किसानों को वितरण करने तथा बागों में लगाये जाने के लिए एक नरसरी खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री हंसराज जटिया—इतने बाग जो हैं उनकी परवरिश का क्या इन्तजाम है ?

श्री अध्यक्ष—इनके मेन्टीनेन्स का क्या इन्तजाम है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उनकी देखभाल की जाती है । पुराने पेड़ों के बजाय नये पेड़ लगाने का इन्तजाम किया गया है ।

प्रश्न संख्या १३५५

तहसील पंचायत डूंगला के चुनाव के लिए नोमिनेशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख पलटना

श्री दिलीपसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील पंचायत डूंगला के चुनाव के लिये नॉमिनेशन पत्र पेश करने की अवधि,पत्र आने के पश्चात् भी तारीख २३.३.५४ के बजाय तारीख २.७.५४ कर दी गई ?

(ख) अगर हां, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी—(क) जी हां ।

(ख) राजस्थान पंचायत कानून के रूल २३ के मुताबिक ।

प्रश्न संख्या १३५६

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १३५७

मेड़ता तहसील में ग्राम पंचायतों की आज्ञाओं की तामील न होना

(प्रश्नकर्ता श्री भोपालसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह ने प्रश्न पूछा)

श्री जवानसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या मेड़ता तहसील की ग्राम पंचायतों की यह शिकायत सच है कि उनके हुक्म की तामील के कागज़ात रुकते रहते हैं और इस तरह पंचायतों का काम जमने नहीं पाता ?

(ब) क्या पंचायतों के फैसले की तामील कराने के लिये सरकार कोई माकूल बंदोबस्त करेगी ?

(स) क्या कोई अलग तहसीलदार या एस. डी. ओ. इस काम के लिए मुकर्रर होंगे या इसी स्टाफ से काम चलता रहेगा ?

श्री रामकरण जोशी—(अ) हां, ऐसे वाकयात नोटिस में आये हैं जिन पर संबंधित कलेक्टरों व कमिश्नरों को शीघ्र ही कार्यवाही करने के लिये लिखा गया है।

(ब) हां, पंचायत अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे हैं उनमें यह व्यवस्था रख दी जायेगी।

(स) उपरोक्त नियम लागू होने के बाद ऐसे प्रबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री जवानसिंह—उस रूल में क्या विशेष प्रोवीज़न्स हैं ?

श्री अध्यक्ष—They are to be framed.

श्री रामकरण जोशी—जो दिक्कतें बराबर मालूम हुई हैं उन दिक्कतों को दूर करने के ख्याल से उसमें इस तरह की व्यवस्था रखी गई है।

प्रश्न संख्या १३५८

सिरोही मोटर सर्विस की गाड़ियों के लिए रियायती रेट पर पेट्रोल प्राप्त करने के लिए १६५१ में एग्रीमेन्ट

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सिरोही मोटर सर्विस की गाड़ियों के लिए रियायती रेट पर पेट्रोल प्राप्त करने के लिए किसी से सन् १६५१ में एग्रीमेंट किया गया था ? अगर हां, तो उस एग्रीमेंट का पालन किया जा रहा है या नहीं ?

(ब) क्या कलेक्टर, सिरोही ने उक्त एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी कर दूसरी कम्पनियों से भी पेट्रोल लेने का हुक्म दिया है ? अगर हां, तो इससे पैदा हुई परिस्थिति में दूसरों के नुकसान का जिम्मेवार कौन है ?

(स) सिरोही मोटर सर्विस की जरूरत को पूरा करने के लिए आज क्या व्यवस्था है ?

श्री रामकरण जोशी—(अ) ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ।

(ब) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(स) पेट्रोल की आवश्यकता निम्नलिखित कम्पनियों से पूरी की जाती है :

१. कालटेक्स से	६०० गेलन
२. बर्मा शेल से	४०० ,,
३. एम. बी ओसो	२०० ,,

श्री जवानसिंह—क्या सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है ?

श्री रामकरण जोशी—इसी के अन्तर्गत काम हो रहा है।

श्री जवानसिंह—यह व्यवस्था कब से चालू हुई है ?

श्री रामकरण जोशी—यह व्यवस्था १ जनवरी, १६५२ से शुरू हुई है।

श्री जवानसिंह—क्या यह जो कुछ फरमा रहे हैं मंत्री महोदय, उसका सौवां हिस्सा भी सही है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री रामकरण जोशी—हां, जून, १९५४ में बर्मा शेल के आवेदन पत्र पर यह कार्यवाही की गई है ।

श्री जवानसिंह—अभी जो संकेत किया गया है कि ५२ में, तो उस वक्त क्या व्यवस्था रखी गई है ?

श्री रामकरण जोशी—५१ में उसके बाद कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था किसी एक कम्पनी के पास । वक्त पर जैसे जैसे आवश्यकतानुसार तेल मिलता रहा, वैसे वैसे लेते रहे ।

श्री जवानसिंह—मौजूदा व्यवस्था के पहले क्या व्यवस्था थी और इस व्यवस्था को क्यों अपनाया गया ?

श्री रामकरण जोशी—इस व्यवस्था में वहां पर जितनी कम्पनियों के पेट्रोल पम्प हैं उन सबसे पेट्रोल लिया जाता है अनुपात से और सब लोगों ने २ आना प्रति गेलन सरकार को रिबेट देने का तय किया है, तो उसमें कोई बाधा नहीं आती है ।

श्री जवानसिंह—सरकार पेट्रोल लेने में इतना ख्याल रखती है बचत के लिए, तो टेण्डर्स क्यों नहीं लिये जाते हैं इस सिलसिले में ?

श्री रामकरण जोशी—पेट्रोल के लिये टेण्डर लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जवानसिंह—क्यों नहीं ? जब कम से कम कीमत पर पेट्रोल मिल सकता है तो टेन्डर लेने की क्यों नहीं आवश्यकता मालूम होती है ?

श्री रामकरण जोशी—जितनी कम्पनियें रिबेट दे सकती हैं वे सभी कम्पनियां दो आना प्रति गेलन का रिबेट देती हैं, इसलिए आवश्यकता नहीं है ।

श्री जवानसिंह—मेरा कहना यह है कि टेण्डर्स क्यों नहीं कॉल किये गए, जिससे कि कम से कम कीमत में पेट्रोल मिल सके ?

श्री रामकरण जोशी—कुछ माल मोटर वगैरह ऐसे हैं जिनके बारे में रिबेट कुछ पर्सेन्टेज़ से ज्यादा कोई नहीं दे सकता है इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है टेण्डर्स की । मोटरकारों में टेण्डर की जरूरत नहीं होती है, सरकार के रेट्स निश्चित किए हुए हैं ।

श्री जवानसिंह—वह कौन से आदेश हैं जिनकी तरफ माननीय मन्त्री महोदय का इशारा है ?

Page No.44

श्री रामकरण जोशी मैं समझा नहीं।

श्री जवानसिंह – आपने अभी जिन आदेशों का जिक्र किया है कि जिसके तहत रिबेट सरकार को मिला करती है तो वह कौन से आदेश हैं।

श्री अध्यक्ष--That is beyond the scope of this question.

श्री जवानसिंह – He has replied.

श्री अध्यक्ष – Ask important main supplementaries, if any.

श्री रामकरण जोशी—दो आना प्रति गेलन रिबेट देने का तय किया, तो वहां के कलेक्टर ने बैठ कर जो जून, १६५४ में हुआ है, उसके मुताबिक तेल का प्रबन्ध चालू है; इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री जवानसिंह – आपके समझने में दिक्कत कतई नहीं आनी चाहिए, जब कि मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि और जगह टेण्डर लिये जाते हैं सरकारी विभागों में, तो क्या परेशानी थी टेण्डर से तेल लेने में जब कि कम से कम कीमत पर पेट्रोल सप्लाई हो सकता है ?

श्री रामकरण जोशी – पेट्रोल की कीमत फिक्स्ड है तो कम कीमत देने से हो सकता है; कम कीमत देने वाला कहीं न कहीं गबन करेगा।

श्री अध्यक्ष – नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३५६

गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बून्दी के प्रधानाध्यापक बालचन्द पाड़ा के विरुद्ध शिकायतें

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बालचन्द पाड़ा बून्दी के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुचित रूप से छात्रों से फीस वसूल करने, स्कूल के पेड़ों का ठेका देकर रकम वसूल करके सरकार में जमा न करने, झूठी हिसाब-बही बना लेने और रकम को निजी उपयोग में लाने के गम्भीर आरोप हैं।

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त गम्भीर आरोप की जांच शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टर, कोटा डिवीजन द्वारा होने पर अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया ?

[श्री छीतरलाल शर्मा]

(ग) क्या यह सच है कि जिन जिन अध्यापकों ने उपर्युक्त मामले में सही बयान देकर अपराध को मजबूत और सबूत किया है उनका ट्रान्सफर इन्सपेक्टर ने दूर दूर जगहों पर कर दिया है ?

(घ) क्या सरकार इसकी शीघ्र ही जांच करा कर मामले में अपराधी को माकूल सजा देने का कष्ट करेगी ?

श्री भोलानाथ—(क) हां।

(ख) इन्सपेक्टर द्वारा इस मामले की जांच होकर कागजात उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, उदयपुर के विचाराधीन हैं। अभियुक्त ने जांच के दौरान क्या जबान-देही की और उस पर इन्सपेक्टर को अभियुक्त के साथ क्या सलूक करना उचित था, ये बातें बताना और इसके विषय में मत प्रकट करना मामले की वर्तमान विचाराधीन स्थिति में उचित नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) यदि अपराध सिद्ध हुआ तो अवश्य ही उचित दंड दिया जायेगा।

श्री छीतरलाल शर्मा—अब तक इसके पड़े रहने का कोई कारण है ?

श्री भोलानाथ—पड़े रहने का कारण यह है कि इन्सपेक्टर ने जांच करके डिप्टी डाइरेक्टर के पास भेजी है।

श्री छीतरलाल शर्मा—कार्यवाही इतने अरसे तक पड़ी रहने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—कोई कारण नहीं।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री जुझारसिंह, डिविजन नम्बर १० ने दिनांक २३ अगस्त, १९५४ से पूर्ण सत्र तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष —We take the pending business. Clause 4 (43) or we should take clause 16 ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्लॉज़ १६ ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ४, इसमें दो और रह गई हैं सब क्लॉजेज़ ४ और ११ ए और १४ तथा १५ ।

खण्ड १६ ए

(श्री सुखाड़िया की ओर देखकर) क्लॉज़ १६ ए

श्री किशनलाल शाह ।

(अनुपस्थित)

श्री श्यामलाल गोयल ।

(अनुपस्थित)

श्री किशनलाल शाह ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ..

श्री हिम्मतसिंह—Serial Number ?

श्री अध्यक्ष—119.

श्री हरिकृष्ण व्यास—118 is also in respect of 16-A. There is some mis-print. It has been shown against clause 16.

श्री अध्यक्ष—For the present the Member is moving 119.

श्री हरिकृष्ण व्यास—118 and 119 both.

श्री अध्यक्ष—I have'nt got 118.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That has been entered against clause 16, but it relates to clause 16-A.

श्री अध्यक्ष—All right move.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, I beg to move the two amendments just now referred to and I now proceed to make my submission in that regard.

[संशोधन इस प्रकार है :

"Sub clause (1) part (b) :

Delete the proviso and insert in its place the following—

Provided that the compensation so assessed shall in no case exceed two times the annual rent of that land"]

खण्ड १६ ए, जिसका अभी जिक्र चल रहा है, इसका सम्बन्ध १६ ए. बी, सी और डी, से है। यह समझ लीजिये कि चारों लगभग एक साथ और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस वजह से १६ ए. पर जो २ संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन पर सदन अपना निर्णय साफ साफ तब दे पायेगा जब कि उनमें १६ ए. बी.सी. और डी. का एक साथ समावेश किया जा सकेगा। मेरा संशोधन इस प्रकार है : पहला यह है कि कंपेन्सेशन देने के सिलसिले में जो प्रोविज़न्स हैं उसमें अनइकोनोमिक होल्डिंग के ऊपर लागू नहीं किया जावे। अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ में बगैर खातेदारी के होने का प्रोविज़न हमारे कानून में रहेगा।

मेरा जो दूसरा संशोधन है उसका ताल्लुक इस बात से है कि मौजूदा १६ बी. सी. डी. में कंपेन्सेशन का तय करने के बारे में मार्केट वेल्यू का जिक्र है। अभी इसमें और दूसरे संशोधन आये हैं और रेन्ट के मल्टीप्ल के रूप में कंपेन्सेशन तय करने का इस प्रकार का संशोधन श्री नाथूराम जी ने, जहां तक मुझे खयाल पड़ता है, प्रस्तुत किया है। मैंने जो संशोधन दिया वह प्रोविजो के रूप में दिया। अध्यक्ष महोदय, इस वजह से हमने ओरिजिनल बिल में मार्केट वेल्यु के ऊपर कंपेन्सेशन मुनस्सर रखा है। मार्केट वेल्यु के ऊपर मुनस्सर रखें या रेन्ट के मल्टीपल के ऊपर मुनस्सर रखें, इसकी मिकदार दो गुना से ज्यादा नहीं है :

"Provided that the compensation is not more than twice the amount of annual rent." यह दूसरा मेरा संशोधन है। इस विषय में मैं सदन का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कंपेंसेशन का प्रश्न खातेदारी हकूक उपलब्ध करने के लिये, कंपेन्सेशन का प्रश्न और जो कि आज खुदकाश्त के रूप में दर्ज है उसमें टिनेन्ट ऑफ खुद-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

काश्त के लिये कपेन्सेशन देने के प्रश्न का संबन्ध जागीर पुनर्ग्रहण कानून से निश्चित तौर पर लगाना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्रीजी और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जिस नीली किताब का ज़िक्र रोज करते हैं और जिस नीली किताब के उनके खुद के मुखारबिन्द से बाइबिल के समान महत्व रखने वाली किताब है, ऐसा भी कभी कभी कह दिया है, अब मैं इसके मुकाबले में उनके खुद के द्वारा मानी गई बाइबिल को उनके प्रस्ताव के विरोध में कोट करना चाहूंगा। पंत रिपोर्ट के नाम से जो मशहूर दस्तावेज है उसके पेज २४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं और पेज २४ पर यह लिखा है कि:

"It is noteworthy that in the calculation of gross income under the Act for the purpose of determining the amount of compensation the assumed rent of Khudkasht land will be included,"

In other words although the Jagirdars will retain their Khudkasht after Jagirdari abolition, they will have received compensation as though they were being deprived of it. The process is obviously to the advantage of the Jagirdars.

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

पंत रिपोर्ट के पेज २४ पर यह कहा गया है माननीय चेअरमेन, कि जो जमीन खुदकाश्त के रूप में दर्ज है और हमने उनको मान लिया है या जो आगे खुदकाश्त के रूप में दर्ज होगा, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यह है कि इस जमीन के निस्बत कितना लगान मिल सकता है? इसका हिसाब लगाकर पहले हमने कंपेसेशन तय कर दिया चाहे पोलिटिकल, लीगल या मोरल दृष्टि से। That land belongs to the state. साथ में एक रीज़नेबल तरीके से स्वयं खेती करने के लिये कुछ जमीन यदि छोड़ी है तो उसके बाद परि- स्थिति यह पैदा होती है माननीय चेअरमेन, कि वह खुदकाश्त के नाम की जमीन है, उस पर दरअसल में टिनेन्ट या सब-टिनेन्ट का जो कब्जा है वह आता है राज्य सरकार के पास और कहते हैं कि मैं यहां पर टिनेन्ट या सब टिनेन्ट के रूप में काबिज हूं, मुझे खातेदारी हक दीजिये। लेकिन राज्य सरकार कहेगी कि तुम खुदकाश्त होल्डर को मुआवजा देने के लिये २०-२२ गुना लगान दो और तब काश्तकारी का हक उपलब्ध होगा। तब वह किसान कहेगा कि मैं तो इसका मुआवजा पहले ही दे चुका हूं या राज्य को दे रहा हूं। राज्य के पास जो रकम आती है वह मेरी ही रकम है। इन्डाइरेक्टली मैं पहले से ही २२ गुना मुआवजा दे चुका हूं, फिर आप मुआवजा फिर से देने के लिये किस कानून से और किस न्याय से कहते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो मैं महसूस करता हूं। इस बिल के प्रस्तावकों के दिमाग से और अभी जो संशोधन पेश करने वाले सदस्य हैं उनके दिमाग से यह बात हट गई है, ऐसा प्रतीत होता है।

मैं एक और चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि इस प्रकार का सिस्टम जहां जहां है, चाहे वह पेप्सू में है, चाहे पश्चिमी बंगाल में है, मैंने जान बूझ कर पेप्सू और पश्चिमी बंगाल दोनों की मिसाल दी है। पेप्सू एक ऐसी जगह है जहां राजस्थान के मुकाबले की चीज है। पश्चिमी बंगाल में पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट हो चुका है, इसलिये माननीय चेअरमेन, वहां

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिस प्रकार के संशोधन पुराने कानून में आये और नये भूमि-सुधार के कानून बने उनमें किन किन चीजों की ओर ध्यान दिया गया, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। मैं आपके जरिये उधर बैठने वाले मित्रों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब पेप्सू में यह प्रश्न आज से लगभग डेढ़ वर्ष पहले पेप्सू विधान सभा में आया था उस समय पेप्सू में सरदार रारेवाला की हुकूमत काम कर रही थी और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टी थी और जब पेप्सू में यह प्रश्न आया और कांग्रेस पार्टी जिस समय अपोजिशन पार्टी के रूप में काम कररही थी तब पेप्सू की कांग्रेस असेम्बली पार्टी ने ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया वह यह था कि जमीन को इस प्रकार से एक्वायर करके काश्तकारों के बीच में बांटने के लिये लगान का एक रुपये एक पाई कंपेन्सेशन के रूप में देनी चाहिये। मैं श्री हर्षदेव ने "Agrarian Reforms in India" नाम की जो पुस्तक लिखी है उसके पेज ३५३-५४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें लिखा है कि :

"The bill was in accordance with the recommendations made by the Venkatachar Committee. The Congress Assembly Party introduced an amendment proposing to reduce the rate of compensation to one-fifth per rupee inplace of eight times the land revenue stipulated in the Report. Tbe Government decided to reduce this rate to one pie per rupee."

पेप्सू की सरकार की जिन्दगी इस बात पर मुनस्सर थी कि ८ गुना कम्पेन्सेशन मंजूर हो या एक गुना कम्पेन्सेशन मंजूर हो? वह एक इतिहास हो गया, लेकिन इसके बाद भी जब वह कानून भारत के राष्ट्रपति के पास गया तो उसके बारे में कानूनी शंकायें, बाधाएं प्रस्तुत की गईं। इसके बाद भी माननीय चेयरमैन, जब कम्पेन्सेशन मुकर्रर करने का प्रश्न आया तो केवल ५ गुना कम्पेन्सेशन मुकर्रर किया गया। (सरकारी पक्ष की ओर से परस्पर बात-चीत की ध्वनि) थोड़ा धैर्य रखिए, मैं समझाऊंगा कि इस ५ गुना कम्पेन्सेशन का मेरे संशोधन से पूरा ताल्लुक है।

पांच गुना कम्पेन्सेशन दे देने के बाद टेनेन्ट्स को, बगैर एक पैसा दिये खातेदारी राइट्स दे दिये गये हैं, जो लगान एरियर्स थे उनके बारे में जरूर फॉर्मूला मुकर्रर किया क्योंकि पेप्सू में टिनेंसी बिल था। वहां लगान देने का काम शुरू कर दिया और लगान न देने का जो पहले मूवमेंट चला था और लोगों ने लगान देना बन्द कर दिया था, पुराने रेंट के एरियर्स दिलाने के बारे में कानून में व्यवस्था है। परन्तु परमानेन्ट टिनेन्ट बनाने के बारे में राजस्थान सरकार ने कम्पेन्सेशन दिया है, इसके अलावा बुरा कुछ नहीं हो सकता।

इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में माननीय चेयरमेन, जो वहां की सरकार ने किया है उतना तो कम से कम हम कदम उठा सकते हैं। परमानेन्ट सेटलमेंट में...लेंड लोर्डिज्म की प्रथा वहां थी, ५०-१०० रीज़न्स दिये जा चुके थे। तो राजस्थान सरकार के पास यह प्रश्न आया कि कम्पेन्सेशन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

देने के अलावा जो काश्तकार हैं उनको कैसे हक दिये जावें ? ४४ एकड़ जमीन उस परमानेन्ट सेटलमेन्ट के अन्दर जिसमें पहले काश्त की उसको छोड़ कर बाकी सब जमीन ले ली है और for distributing it to the persons who are actually tilling the soil.

पर राजस्थान में हमने विचित्र सा कदम उठाया है। हमने पहले सारी जमीन का कम्पेन्सेशन दिया है और खुदकाश्त में जो जमीन दर्ज है उसके लिये यह रखा गया है कि उसे खुदकाश्त में रखा जायगा। अब अगर टिनेन्ट खातेदारी राइट्स लेना चाहें तो उसे और कम्पेन्सेशन देने का आग्रह किया गया है।

मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, फैजपुर कांग्रेस में कांग्रेस का प्रोग्राम मुकर्रर हुआ है उसकी ओर। उन्हीं श्री हर्षदेव की "Agrarian Reforms in India" के पृष्ठ ६३ और ६४ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्या कार्य-क्रम मुकर्रर किया है कांग्रेस ने ? पहला तो कार्यक्रम यह मुकर्रर किया कि :

"Uneconomic holdings should be exempted from rent and other land taxes."

किस हद तक कांग्रेस की घोषणा की जा रही है, जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनको रेंट ऑफ लैंड से मुक्त घोषित कर दे। १९३६ में कांग्रेस के ४९ वें अधिवेशन, फैजपुर में ५० वें अधिवेशन के ऊपर यह घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकली थी और उस समय इसकी दाद देने वाले उधर बैठे हुए सदस्य थे या नहीं; पर भारत के दूसरे उनके साथी दाद देने वाले थे। जो फिक्सिटी ऑफ टेन्योर का अधिकार दे रही है।

"fixity of tenure with heritable rights along with the rights to build houses and plant trees should be provided to all tenants."

यह क्लॉज़ ६ है। माननीय उपाध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यक्रम का क्लॉज़ ६ यह कहता है फिक्सिटी ऑफ टेन्योर के बारे में :

"Fixity of tenure with heritable rights along with the rights to build houses and plant trees should be provided to all tenants."

यह जो "ऑल" शब्द है, इस पर मेरा विशेष जोर है। कांग्रेस का प्रोग्राम बनाते समय शायद इतनी कानूनी जानकारी कांग्रेस के नेताओं की उस वक्त नहीं होगी या इतनी जबर्दस्त समझ जो आज हमारे बीच में आ गई है उतनी उनके दिमाग में घर नहीं कर गई होगी, इसलिये उन्होंने "ऑल टिनेन्ट्स" को एक केटेगरी में माना। लेकिन राजस्थान में हो क्या रहा है ? एक एस्टेट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

होल्डर है, जागीरदार है, उसके पास ५० हजार बीघा जमीन है और १०-१० हजार बीघा जमीन को अलग अलग खुदकाश्त में दर्ज कर दी। वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं, परन्तु पड़ौस में रहने वाला चीवडां गांव का रामा और धानमा गांव का गोमा है, उनमें से एक रह गया खुदकाश्त टिनेन्ट और दूसरा रह गया यों ही। जो यों ही रह गया उसको टिनेन्सी एक्ट लागू होगा, उसी दिन से खुदकाश्त खातेदारी के हक मिल जायेंगे। संशोधन के रूप में, शुरू में बिल था उसके अनुसार बाजार भाव की कीमत अलग और फिर पगड़ी अलग। इस रूप में मुआवजा देना होगा। जब पूरी जमीन का मुआवजा दे चुके हैं कि अगर यह जमीन किराये पर दी हुई होती और लगान उपलब्ध हो सकता होता और अगर उस लगान को जागीरदार की आमदनी में मिला सकते होते तो ठीक था; पर वह तो पहले से ही दिया जा चुका है। जो पहले से जमीदार काश्तकार हैं और एक जमीन के ऊपर सब टिनेन्ट के रूप में काश्त कर रहे हैं तो उनकी सब टिनेन्सी की क्या स्थिति होनी चाहिये ? जहां तक मैं समझ पाया हूं सबसे ज्यादा दलील इस बात की दी जाती है कि यह सब टिनेन्ट है उसको तो खातेदार टिनेन्ट का मुआवजा देना चाहिये। पहली बात मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि यदि वस्तु स्थिति को देखें तो खण्ड १६ ए. बी. सी. और डी. के मुताबिक ९८ परसेंट टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, २ परसेंट सब टिनेन्ट पर असर पड़ सकता है। यदि यह भी हमें कठिनाई महसूस होती है कि खातेदार और सब टिनेन्ट के बीच और खुदकाश्त होल्डर और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के बीच इस एक्ट में हमने दो केटेगेरीज़ बनाई हैं, सब टिनेन्ट को अलग और टिनेन्ट ओफ खुदकाश्त की अलग; एक की निस्बत मुआवजा दे दिया गया है और दूसरी की निस्बत मुआवजा नहीं दिया गया है, इसे न्याय की दृष्टि से भी देखें तो फरक समझ में आता है सरकार को अगर और कारणों से हिचकिचाहट हो, अगर राजनैतिक समझौते, पंचार लगने की शंका है, अगर डर है कि दुनियां में कहा जायगा कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है तो ९८ फी सदी टिनेन्ट्स का गला मत काटिये। बल्कि सही तो यह है कि २० गुना मुआवजा की संख्या को देखकर, मेरी हिम्मत दो गुना तक का प्रॉपोजल करने की हुई। पेप्सू में जो हुआ है उसे देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिये कि हमारी सरकार रुपये के लगान के पीछे एक पाई का मुआवजा रखेगी। अगर हम इस हद तक नहीं जा रहे हैं और इतने आगे नहीं बढ़ें तो दो गुना मुआवजा से ज्यादा न रखें। अगर इससे दो प्रतिशत लोगों को नुकसान होता हो और ९८ प्रतिशत लोगों को फायदा हो रहा है तो मैं समझता हूं कि वे दो प्रतिशत व्यक्ति भी इसको मंजूर करेंगे और सहर्ष कहेंगे कि हमने अपने भाइयों के लिये इस प्रकार की गड़बड़ी में नुकसान भी उठाया, तो हमें कोई हर्ज नहीं।

अब कहा यह जाता है कि अगर हम इस प्रकार का प्रोविज़न करें या न करें, तो उसका असर क्या पड़ेगा ? हमने टीनेन्ट को, टीनेन्ट ओफ खुदकाश्त को बेदखल होने से रोका है। हम उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट आदि के लिये राइट्स दे रहे हैं। अगर हम उन लोगों को बहुत बड़ी रकमें दे दें और जिनको देनी हो नहीं दें तो क्या फर्क पड़ेगा ? इस प्रकार की जो दलीलें माननीय उपाध्यक्ष, दी जाएं तो वे बिल्कुल लचर दलीलें हैं। हमने टीनेन्ट, सब टीनेन्ट, टीनेन्ट ओफ खुदकाश्त को लीज़ और ट्रांसफर आदि के मामलों में बराबर नहीं रखा है। यहां तक कि हमने उन्हें इजेक्टमेंट के मामलों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में भी बराबर नहीं रखा है। इस संबन्ध में प्रोविज़न है और आप उसे देखें तो आपको मालूम होगा। ऐसी हालत में यह कहना कि खातेदारी का कोई महत्व नहीं रहता। यह लच्चर दलीलें हैं और वे नहीं मानी जानी चाहिये। मैंने जैसा देखा, इसका एक ही नतीजा निकल सकता है! मुआवजे का रुपया दिया उसको देखें, काश्तकार के भविष्य को देखें। इससे क्या नतीजा निकलेगा। सीलिंग कमेटी का क्या अर्थ होगा? मुझे आप क्षमा करेंगे अगर मैं यह कहूँ कि राजस्थान के भूस्वामियों ने किन्हीं कानूनी विशेषज्ञों को अपने स्वार्थ की रक्षा के लिये यह आदेश दिया होता कि ऐसा कोई तरीका निकालो कि अगर कानून बने तो उससे बचाव हो सके। तो वह सिवाय इसके और क्या सलाह देता कि आप ऐसी कोशिश करें की सीलिंग मुकर्रर होने के पहले जमीनें अपने नाम करालें। कहीं कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। किसी की नीयत में शक किया जावे या नहीं, किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी हो रही है कि एक तरफ हम सीलिंग का कानून ला रहे हैं और उसके जरिये जिसके पास जमीन ज्यादा है उन लोगों से लेकर उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास जमीन कम हैं या बिल्कुल नहीं है। उन को बांटेंगे लेकिन इससे पहले हम टीनेन्सी बिल में प्रोविज़न कर रहे हैं कि खुदकाश्त खातेदार के नाम से जो जमीन दर्ज करा लेगा उनका क्या होगा? कोई भी व्यक्ति १००० या २००० बीघा जमीन दर्ज करा लेगा। उस जमीन का सीलिंग के बाद क्या होगा? जब सीलिंग आवेगी और जमीन लेगी तो उसको उस जमीन का २० गुना मुआवजा लोग ले लेंगे और वे खुशी से, दिलचस्पी से राजी २ से कहेंगे कि भला हो राजस्थान सरकार का कि जिसने सीलिंग मुकर्रर की और इससे मेरा तो जो बिगड़ने वाला था नहीं बिगड़ा, मैंने तो रुपया व्याज सहित जांच कर वसूल कर लिया।

इसका तात्पर्य यह होगा कि हमने एक चीज करने का फैसला किया है और वह यह है कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचावें। लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के बजाय... (अश्रव्य)

हम ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई खेत में लकड़ी गाड़ कर उस पर हांडी लगाकर उसमें थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा कोट जैसा लटका कर चिड़ियों को डराया करता है कि आदमी खड़ा है, उसी प्रकार आप कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सीलिंग कमेटी आ रही है, घबराओ मत, भागो सीलिंग कमेटी आ रही है। मैं यह कहूँगा कि सीलिंग कमेटी के आने से उनका क्या होगा? आपने इसके पहले ही मार्ग खोल दिया है कि पहले संभल जाओ, जितनी जमीन सीलिंग में मुकर्रर करें, सीलिंग कमेटी रख लेना और बाकी की जमीन का २० गुना मुआवजा उठा लेना। सीलिंग कमेटी से हम लोगों को यह तसल्ली दिला पाएंगे कि यह सीलिंग कमेटी ने किया है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस क्लॉज़ के बारे में हम गंभीरता से विचार करें। मैं यहां तक चाहता हूं कि आप बाकी की जमीन के लिए उनसे यह कह दीजिये कि यह जमीन ६ महीने तक तुम रखो और ६ महीने के बाद खुदकाश्त की जमीन को छोड़ देनी होगी और वह बाकी की जमीन बिना पैसे ले ली जावे, और उस सब टीनेन्ट को दे दी जावे जो अब तक खुदकाश्त करते आये हैं, without price, without money and without payment.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हम कांग्रेस का अब तक का प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि सीलिंग का मतलब भी यह होता है कि हम इस प्रकार का कानून लावें कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं हो उन्हें उन लोगों से जमीन लेकर दें जिनके पास ज्यादा जमीन हो। इसको लक्ष्य में रखकर अगर देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि यह कानून उनको कितना फायदा पहुंचाएगा। अगर दरअसल १६ ए. बी. सी. और डी. का उपयोग करना है तो इसमें आपको संशोधन करना होगा :

Ceiling Committee will be a redundant committee, Ceiling committee will become the law of the land of the market. इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे दोनों संशोधन प्रस्तुत करता हूं और उनको एक बार फिर से रिपीट करता हूं।

(१) सीलिंग मुकर्रर होने के बाद जो जमीन रहे उसको वगैर मुआवजा मिलनी चाहिये।

(२) यदि हमारे दिल में उदारता है तो मैं यह कहूँगा कि किसानों के हित के लिए दुगुना मुआविजा से ज्यादा न दें। मैं अपने संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, टीनेन्सी एक्ट के क्लॉज़ १६ (ए) में मेरा संशोधन है। इस संशोधन का नम्बर १६२, लिस्ट नम्बर ११ है। यह जो क्लॉज़ १६ (ए) है वह अपनी तरह का एक ही क्लॉज़ इस एक्ट में है। जो पुराने टीनेन्सी एक्ट, जो दूसरे प्रान्तों में है उनमें यह क्लॉज़ जो १६ ए०, बी०, सी०, डी० इस कानून में दी वह हमारी जो मौजूदा जमीन सम्बन्धी नीति है उसको ध्यान में रखते हुए यह क्लॉज़ इस एक्ट में एड किया गया है।

सन् १९४८ में जिस समय कि यह ट्रान्जीशन का पीरियड था और जमीन पर अधिकार करने के लिए जब तरह तरह की दौड़ धूप चल रही थी तो हमारे यहां पर एक टिनेन्सी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स पास किया गया और उस ऑर्डिनेन्स के जरिये यह तय किया गया कि सन् १९४८ में जो किसान जिस जमीन पर जिस हैसियत से काबिज थे जो काश्त करते थे उन लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकेगा। परन्तु अब जब हम एक नया टिनेन्सी कानून बनाने जा रहे हैं तो हमारे देश के प्लानिंग कमीशन की भी यह नीति है कि जो लोग जिन जमीनों पर काबिज हैं उनको उन जमीनों पर से बेदखल नहीं किया जाय और जहां तक बन पड़े जिस जमीन पर जो काश्त कर रहा है उनको हक हकूक उन जमीनों और उन खेतों के बारे में दिये जांय। इसी इरादे को ध्यान में रखते हुए जो किसान जिनको कि पहले कानून के जरिये खातेदारी का हक हासिल हो चुका है और जिनको कि इस कानून की धारा १४

[श्री नाथूराम मिर्धा]

के मुताबिक और खातेदारी के हक हांसिल हो जावेंगे, परन्तु उन काश्तकारों को जो या तो वे शिकमी काश्तकार हैं या वे काश्तकार जो खुदकाश्त की जमीनों पर काश्त करते हैं उन लोगों को बचाने के लिए उन लोगों को कुछ हक और हकूक दिलाने के लिए ये धारायें इस कानून में जोड़ी गई हैं। यह जैसा कि साफ है शिकमी काश्तकार को और टिनेन्ट आफ खुदकाश्त को जिस तरह के वे किसान हैं उनको सीधे खातेदारी के हक नहीं मिल सकते और न ही दिये जा सकते हैं क्योंकि जिन जमीनों पर वे काश्त करते हैं उन जमीनों पर पहले से ही लोगों के हक और हकूक मौजूद हैं और उन लोगों के हक और हकूक लेने के लिये जैसा कि हमारा विधान कहता है कुछ न कुछ मुआवजा उन लोगों को देना पड़ता है और जब तक वह मुआवजा नहीं चुकाया जा सके तब तक जिन लोगों के हकूक उन जमीनों पर प्राप्त हैं, उनसे उनको नहीं छुड़ाया जा सकता। इसलिए ये धारायें इस कानून में जोड़ी गई हैं और जैसी की क्लाज १६ ए है, इस कानून में है जो इस तरह रीड करती है इस धारा के जरिये यह कहा गया है कि जो किसान खुदकाश्त की जमीन पर काश्त करता है, जो सब टिनेन्सी की हैसियत से काश्त करता है उन लोगों को भी खातेदारी हकूक प्राप्त करने के अधिकार होंगे। ये अधिकार हासिल करने के पहले उन किसानों को कुछ कार्यवाही अदालत में करनी पड़ेगी और उसका जो प्रोसिजर है उसको इन क्लॉज़ेज में दिया हुआ है और उसके साथ २ यह भी दिया हुआ है कि इनको कुछ न कुछ मुआवजा भी इन हकूकों को हासिल करने के लिए दिया जायगा, मौजूदा जो क्लाज़ है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"16 A. (1) Acquisition of khatedari rights--A Ghair Khatedar tenant of land other than land mentioned in section 15, a tenant of Khudkasht or a sub-tenant who is in occupation at the commencement of this Act shall have the right to apply to the sub-divisional Officer in the prescribed form for the acquisition of khatedari rights in the land held by him if-

(a) the land for which the application is made is in excess of the area prescribed by the State Government under section 131 ;

(b) he is prepared to pay to the land-holder such compensation as may be determined by the Sub-divisional Officer for the acquisition of khatedari rights within a period of six years from the Sub-divisional Officer's orders :

Provided that the provisions of this section shall not apply to a person cultivating the land of a land-holder where such land-holder provides bullocks, seed, manure and other means of agriculture and bears all costs of cultivation with the exeption of labour of his family.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a sub-tenant or tenant of Khudkasht holding land from any person mentioned in seetion 37."

[श्री नाथूराम मिर्धा]

तो उपरोक्त जो मौजूदा क्लॉज़ है उसके बजाय मेरा यह संशोधन है कि इस क्लॉज़ को हटाकर क्लॉज़ १६ ए. जिस तरह से मैंने रखा है उसको उसी तरह से रखा जाय। वह जो नई फोर्म में है उसको भी मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूँ :

"Acquisition of Khatedari rights—A tenant of khudkasht or a sub-tenant of land, other than a grove land, who, at the commencement of this Act was in possession of land which had been let or sub-let to him shall, on payment of the compensation under this Act, have the right to apply to the Sub-Divisional Officer in the prescribed form for the acquisition of khatedari rights and the right in improvements in that part of the land which is not in excess of the minimum area prescribed by the State Government for the purposes of clause (a) of section 131 :

Provided that the provisions of this section shall not apply to,--

(a) any land where the landholder provides bullocks, seed, manure and other meens of agriculture and bears all costs of cultivation, and

(b) any land held by a tenant of khudkasht or sub-tenant from any person mentioned in section 37 :

Provided further that all applications under this section shall be made within six months from the date of the commencement of this Act :

Provided also that the Sub-Divisional Officer may entertain any application made under this section after the period specified in the second proviso if he is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making an application within the specified period."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पुराना क्लॉज़ इस बिल में है, उसके बजाय मैंने यह नया क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट करने के लिए यह संशोधन रखा है। इन दोनों क्लॉजेज़ की भाषा को अगर अच्छी तरह से देखा जायगा और उन पर गौर किया जायगा तो मालूम होगा कि दोनों की भाषा में काफी अन्तर है। मौजूदा फॉर्म में जो भाषा है वह ज्यादा लीगल है, साफ है और अच्छी तरह से क्लियर समझ में आने वाली भाषा है, इसमें कुछ चेन्जेज़ भी हैं और खास तौर पर नीचे के जो दो प्रोविजो जोड़े गये हैं वे टाइम को स्पेसिफाई करते हैं कि छः महीने के अन्दर उनको दरख्वास्तें करनी पड़ेंगी और एस. डी. ओ. छः महीने के बाद भी अगर कोई खास वजुहात हों तो एप्लीकेशन को खातेदारी राइट्स देने के लिए एन्टरटेन कर सकेगा। इस तरह का प्रोविजन और इस तरह की बातें जो पुराना क्लॉज़ है उसमें नहीं है। इसके अलावा (ए) और (बी) जो मौजूदा क्लॉज़ में रखे गये हैं उन दोनों

[श्री नाथूराम मिर्धा]

सब क्लॉजेज़ को इस सेक्शन की बोडी में ही इनकोर्पोरेट कर लिया गया है और जो बोडी अब मौजूदा क्लॉज़ की बनी है उसमें खातेदारी राइट्स के साथ साथ "the rights in improvements in that part of the land which is..." यह क्लॉज़ भी जोड़ने से, जैसे बहुत से जमीनों में कुए बने हुए हैं या इम्प्रूवमेन्ट के साधन बने हुए हैं उन पर भी हक़ उन खातेदारी राइट्स के साथ साथ जरूरी हैं। तो इस तरह से इसमें ये चीजें भी साफ और अच्छी तरह से जोड़ दी गई हैं।

इसके बाद मैंने प्रोविजो के रूप में जो चीजें इसमें हैं इस सेक्शन की बोडी के मेन पार्ट (ए) और (बी) के फोर्म में और जोड़ दिया है। जिस तरह से कि मेन क्लॉज़ की बोडी के साथ में दो प्रोविजन्स जिनके द्वारा खातेदारी राइट्स उन जमीनों में हासिल नहीं कर सकेंगे, वे क्या हैं? एक वह जमीन है या एरिया है जो ३१ दफा का प्रेस्क्राइब किया जायगा। अगर वह मिनिमम एरिया से प्रेस्क्राइब्ड था तो वह ज्यादा एरिया नहीं होगा और उसके साथ में वह जमीन जिस पर काश्तकार अपनी लेबर देता है, बाकी की सारी चीजें जो जमीन का खातेदार है या लैन्ड होल्डर है उसके ऊपर हैं, यानि मेड़ बांधना, खाद डालना, तमाम एग्रीकल्चर की जो चीजें वह खातेदार बर्दाश्त करेगा और उस जमीन में सिर्फ किसान की लेबर ही लेबर लेते हैं तो उस जमीन में खातेदारी राइट्स के लिए सरकार को एप्लाई कर सकेगा और इसके अलावा दफा ३७ में जो जमीन सबलेट की हुई है उन डिसएबल्ड पर्सन्स के जरिये जो या तो इडियट, ल्युनेटिक, माइनर और विडो की जमीन है, जिसके सब लेटिंग के लिये खण्ड ३७ में वर्णन है उन जमीनों के लिये खातेदारी के लिये दरख्वास्त नहीं कर सकता। इन दोनों को प्रोविजन्स के रूप में रखा है। पहला और दूसरा प्रोविजन तो पुराने क्लॉज़ में है वह साफ तरीके से नहीं है। इस तरीके से यदि क्लॉज़ १६ ए. के सबस्टीट्यूशन के लिये जो संशोधन रखा है उस संशोधन को देखते हुए ये सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं और इस हिसाब से मेरा यह सुझाव है कि मौजूदा क्लॉज़ को हटाकर क्लॉज़ १६ ए. संशोधन के रूप में स्वीकार किया जाय, तो हमारी जो आशायें और इरादे हैं वे अच्छी तरह से हासिल किये जा सकते हैं।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन मौजूदा क्लॉज में एक प्रोविजो बढ़ाने का है। इस प्रोवीजो के शब्द ये हैं—

"Provided further that all applications under this section shall be made within six months from the date of the commencement of this Act."

तो उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है वह संशोधन....

श्री सोहनलाल भटनागर—आपका अमेंडमेंट सर्कुलेट नहीं हुआ इसलिये मैं ओब्जेक्ट करता हूं।

श्री जवान सिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए) —मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो संशोधन श्री मिर्धा जी ने प्रस्तुत किया, जो प्रोविजो मौजूदा क्लॉज़ में एड करने के लिये मैंने मूव किया है वह वही प्रोवीजो है जो उनके संशोधन में हैं। 'इसलिये मेरा ख्याल है कि अगर आपको मिर्धाजी के अमेन्डमेन्ट पर एतराज है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा ख्याल है कि मेरा अमेन्डमेन्ट उन्हीं का अमेन्डमेन्ट है।

श्री सोहनलाल भटनागर—मिर्धा जी का तो अमेन्डमेन्ट सर्कुलेट हो चुका है, किन्तु आपका अमेन्डमेन्ट सर्कुलेट नहीं हुआ, इसलिये एतराज है।

श्री उपाध्यक्ष—...It is supposed to be a part of that amendment.

श्री जवानसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए) —मेरा अमेन्डमेन्ट मौजूदा क्लॉज़ में प्रोवीजो एड करने के लिए है और श्री मिर्धाजी का अमेन्डमेन्ट जो प्रस्तुत हुआ है उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे माननीय मित्र जो जोधपुर से आने वाले हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्तव्य दे डाला और ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इस वक्त खातेदारी का हक़ प्राप्त करने के लिये कम्पेन्सेशन देने का सवाल उठ रहा हो। ऐसा मालूम हो रहा था कि जागीरी एबोलिशन का सवाल हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दरअसल जागीरी एबोलिशन के सवाल का अंग है।

श्री जवानसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट के पन्ने को उन्होंने पढ़ कर सुनाया उसके आगे का अगर एक सेन्टेन्स वे और पढ़कर सुना देते तो जिस चीज की तरफ उन्होंने इशारा किया था वह मेरा ख्याल है कि वह बहुत साफ होकर सदस्यों के समझ में आ जाता। उस एक सेन्टेन्स में जहां तक संकेत किया है उसमे सिफारिश थी इस जागीरी एबोलिशन की रिपोर्ट के सिलसिले में। जो आगे का सेन्टेन्स है वह बहुत महत्व रखता है लेकिन उन्होंने वह सेन्टेन्स नहीं पढ़ा जिसका अर्थ जो उन्होंने बताया उससे उल्टा निकलता है। इसलिये पेज २४, राजस्थान जागीरी एबोलिशन रिपोर्ट, जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित हुई है, उसके सफा २४ पर, जिसका कि हवाला जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने दिया और उन्होंने पढ़ा था, वह इस प्रकार है :

"It is noteworthy that in the calculation of gross income under the Act for the purpose of determining the amount of compensation the assumed rent ot Khudkasht land will be included. In other words, although the Jagirdars will retain their Khudkasht after Jagirdari abolition, they will have received compensation as though they were being deprived of it. The process is obviously to the advantage of the Jagirdars."

यहां तक पढ़कर छोड़ दिया। अगर वे एक सेन्टेन्स आगे का पढ़ते तो साफ हो जाता।

[श्री जवानसिंह]

It means in effect that the Government will be giving them ten times of the rent of Khudkasht land for mere conversion of Khudkasht rights into Khatedari rights.

श्री हरिकृष्ण व्यास — ....for a mere conversion ?

श्री जवानसिंह — "mere Conversion" जो रिपोर्ट में शब्द हैं उनका अर्थ निकाला जाय तो मेरा ख्याल है उन्होंने यह सेन्टेन्स जान—बूझकर नहीं पढ़ा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि वे इसको भी साथ में पढ़ते तो बहुत साफ हो जाता। मेरा यह निवेदन है कि जिन जागीरदारों के पास उनकी जागीरी की तमाम भूमि पर उनका मालिकाना हक था, और जब जागीरी पुनर्ग्रहण एक्ट पास हो गया और जागीरों का पुनर्ग्रहण काफी हद तक हो गया और कुछ बाकी हैं, जो भी हो जायगा, क्योंकि हम सिद्धान्त रूप से यह मान चुके हैं कि जागीरें खत्म होनी चाहिये। इस एक्ट के मातहत जो भूमि उनके अधिकार की भूमि थी उसमें से खुदकाश्त की भूमि एक विशेष महत्व लिये हुए थी और अब भी है। इसका अर्थ यह है कि इस वक्त उन्हें खुदकाश्त भूमि के लिये किसी प्रकार का लगान नहीं देना पड़ता क्योंकि यह निजी जायदाद थी। उनको पूर्ण अधिकार अपनी प्रोपर्टी के थे। अब खुदकाश्त की इस भूमि को जिन पर उनका अधिकार था अब वे अधिकार जागीरी पुनर्ग्रहण के बाद समाप्त हो गये। इसका मतलब दूसरा ही हो गया, उसका रूप ही बदल गया और वे खुदकाश्त की भूमि जिसके ऊपर किसी प्रकार लगान देने का सवाल नहीं था कोई पाबन्दी नहीं थी। दूसरे किसानों की तरह खातेदारी के हक उस भूमि के बदल गये और दूसरे काश्तकारों की तरह से वह खुदकाश्त भूमि खातेदार भूमि बन गई। इस परिवर्तन के लिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि उस जायदाद के ऊपर जो अधिकार थे उन अधिकारों के परिवर्तन के लिये १० गुना मुआवजा जागीरी रिज़म्पशन एक्ट में दिया गया है। अब सवाल यह रह जाता है कि उस वक्त जागीरों के पुनर्ग्रहण के बाद उन जागीरदारों की स्थिति एक खातेदार टीनेन्ट की हो जायगी।

अब जब उनके सामने स्तर आ गया खुदकाश्त होल्डर का और खातेदार टीनेन्ट का और इस चीज को हम मानते हैं कि खातेदार टीनेन्ट ने, जो कि अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए और उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मुआवजे के रूप में कीमत चुका दी है और तब उसे खातेदारी हक़ूक प्राप्त हुए हैं तो फिर हम उस खुदकाश्त होल्डर को, जिसकी स्थिति खातेदार टीनेन्ट के माफिक है इससे क्या आप उसके लिए रुकावटें डालना चाहते हैं जिसकी वजह से उसको मुआवजे की रकम देने में, जैसा कि अभी मेरे पहले जोधपुर से आने वाले मित्र ने निवेदन किया था, तो ऐसा भिन्न व्यवहार एक खातेदार टीनेन्ट और दूसरे खुदकाश्त होल्डर के साथ में करना ठीक नहीं होगा, और इस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट कमेटी ने विचार किया था और जिस कदर कि यह प्रोविजन १६ ए. रक्खा वह मेरा ख्याल है कुछ अंशों तक ठीक था।

[श्री जवानसिंह]

अब जो इस वक्त संशोधन माननीय नाथूरामजी मिर्धा ने पेश किया है और जिसे कि सिलेक्ट कमेटी ने इस सदन के सामने रक्खा है उन दोनों में क्या भिन्नता है और किस तरह से अधिकारों में फर्क आता है, इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

कहने के लिये तो यह दलील दी गई है कि इसमें केवल शाब्दिक अन्तर है, लेकिन असलियत में बहुत भारी अन्तर पड़ गया है, अधिकारों में और कम्पेन्सेशन लेने और देने के सिलसिले में। जैसा कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का एक क्लॉज़ है उसमें इस बात के लिए प्रोवीजन किया गया था कि हम खातेदार और टीनेन्ट के और खुदकाश्त होल्डर के और इसके साथ साथ टीनेन्ट और टीनेन्ट आफ खुदकाश्त के सिलसिले में हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहते और हम यह चाहते हैं कि सब अपने पास में इस प्रकार के अधिकार रक्खें जिससे वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें लेकिन इस वक्त जो संशोधन पेश किया गया है इसमें वह जो लिबरल पोलिसी सिलेक्ट कमेटी ने रक्खी थी उसको खतम कर दिया गया है, इस संशोधन के जरिये।

मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि सिलेक्ट कमेटी ने खातेदार टीनेन्ट के पास जो जमीन थी, या खुदकाश्त होल्डर के पास जो जमीन थी और उसमें से कोई हिस्सा उस खातेदार टीनेन्ट ने या खुदकाश्त होल्डर ने सबलेट कर दिया था तो सबटीनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के खातेदारी हक्कूक उस हद तक ही मिलने की गुंजाइश रक्खी थी कि जहां पर सरकार अपनी तरफ से एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट करेगी। वहां तक खुदकाश्त होल्डर या खातेदार टीनेन्ट के पास जो जमीन है तो सब टीनेन्ट को खातेदारी हक्कूक इस क्लॉज़ के माफिक यहां दिये जाने का अवसर था और यह अधिकार उसको प्राप्त थे, पर अब संशोधन के जरिये उस चीज को हटा दिया गया है और संशोधन इस बात को साफ कहता है कि चाहे खातेदार टीनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर के पास में जमीन कितनी ही हो, चाहे उसका मालिक एक हजार एकड़ से ऊपर पर अधिकार कर रहा हो, अगर उसने ९९५ एकड़ जमीन सबलेट कर दी है और पांच एकड़ भूमि ही जो खुद कल्टीवेट करता है तो हमें परवाह नहीं कि ९९५ एकड़ भूमि में खातेदारी हक्कूक खुदकाश्त होल्डर के रहते हुए भी उसके पास में वापिस कल्टीवेशन के लिए दें और उस खुदकाश्त होल्डर को और खातेदार टीनेन्ट को उनके हक्कूक का कतई खयाल न करते हुए हम सब-टीनेन्ट को और टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को इस संशोधित रूप में वे हक देने जा रहे हैं। यह बिलकुल गलत चीज है और इसको सदन मन्जूर नहीं कर सकता। हमारे लिये और सरकार के लिए यह जिम्मेदारी है कि हम तमाम काश्तकारों को एक साथ एक ही नजर से देखें, एक ही दृष्टिकोण से सबों के हित की बात सोचें। हम यह नहीं सोच सकते कि खातेदार टीनेन्ट को हम अधिक हक दे दें और सब टीनेन्ट को उसकी हैसियत से कम या ज्यादा दें। हमें सोचना होगा कि एक जमीन पर मालिकाना हक्कूक किसका है और इस नतीजे पर पहुँचने के लिये कोई मुश्किल नहीं आती कि खातेदार टीनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर के हक्कूक ज्यादा हैं या सब टीनेन्ट के या खातेदार सब टीनेन्ट के या गैर खातेदार के?

[श्री जवानसिंह]

इस बात को हम समझते हैं कि सब टीनेन्ट के हक खातेदार टीनेन्ट के हक से और खुदकाश्त टीनेन्ट के हक खुदकाश्त होल्डर के हक से ज्यादा नहीं हैं और खातेदार टीनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर के लिए एक निश्चित मियाद रखने की सोचते हैं। २५-३० या १००-१५० जितना कि आप धारा ३१ के अनुसार मुकर्रर करेंगे, वह करेंगे। हम मानते हैं कि एक जमीन जब कि आप मुकर्रर करेंगे तो क्या हर्ज है कि हम इस चीज को मानते हुए सब टीनेन्ट और खातेदार में भेद करें। पहले इस बात का हम क्यों नही हक देते हैं कि खातेदार टीनेन्ट की या खुदकाश्त होल्डर की जितनी भी मियाद सरकार मुकर्रर करेगी उतनी जमीन कम से कम खातेदार टीनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर के पास हमेशा रहेगी ? उस सीमा के उपरान्त जो खातेदार टीनेन्ट या खुदकाश्त होल्डर के पास जमीन है तो वह सब जमीन खातेदार टीनेन्ट या खुदकाश्त होल्डर के पास रहेगी और जो मयाद बांध रक्खी है उस हद तक खातेदार के सबटीनेन्ट को और टीनेन्टऑफ खुदकाश्त को भी हक दिये जावेंगे।

इसके बाद भी जमीन रह जाती है तो हम उस जमीन को और लोगों को उस पर खातेदारी हकूक देने की बात कर सकते हैं। लेकिन यह कदापि नहीं मान सकते कि हम खातेदार टीनेन्ट को या खुदकाश्त होल्डर को जिस पर कि हमने एक ऐसा प्रतिबन्ध लगा रक्खा है, धारा ३१ में सरकार की यह नीति है कि (वह कम से कम १२००) सालाना आमदनी वाली जमीन काश्तकार के पास रहेगी जिससे सरकार यह चाहती है कि इतनी कम से कम पैदाइश वाली जमीन तो एक काश्तकार के पास रहनी ही चाहिये, इससे ज्यादा हो तो उसको उससे इजेक्ट करा दिया जावेगा।

अगर इस बात को हम मानते हैं कि एक सब टीनेन्ट के लिए या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिए आवश्यक है कि उसकी आमदनी के लिए १२००) की जमीन होनी चाहिए तो हमें यह चीज मानने में क्यों कोई परेशानी होती है कि बारह सो रुपये की आमदनी वाली जमीन खातेदारी टीनेन्ट या खुदकाश्त होल्डर के पास में भी क्यों न हो।

हमें एक दृष्टि से सबको देखना होगा। टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और सब टीनेन्ट के लिए अगर एक लिमिट जरूरी है तो वह लिमिट उतनी ही जरूरी एक खातेदार टीनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर के लिए भी होनी चाहिये। आखिर खातेदार टीनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर भी जिन्दा रहना चाहते हैं और अपनी जमीनों पर खुदकाश्त करना चाहते हैं। तो फिर क्या वजह है कि आप सब टीनेन्ट के लिए १२ हजार रुपयों की एक मयाद रखना चाहते हैं और खातेदार टीनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर के लिए नहीं रखना चाहते। अगर ऐसा आप करेंगे तो इससे एक अजीब परिस्थिति पैदा हो जावेगी।

मैं और कहूँ, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे यहां आर० पी० टी० ओ० चार पांच साल से लागू है और उस वक्त से आजतक हमने किसी तरह के काश्तकार के अधिकारों में कोई फेरफार नहीं किया जो जिस प्रकार की स्थिति इस आर० पी० टी० ओ० के लागू होने से पहले थी

Page No.61

[श्री जवानसिंह]

वैसी आज भी है। जहां तक टीनेन्ट या उस जमीन के मालिक का सवाल है उनके अधिकारों में कोई अन्तर नहीं होने पाया है। हमारे यहां चूंकि राजस्थान बनने के बाद विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, जहां किन्हीं स्टेटों में टीनेन्सी लॉज़ थे और किन्हीं में नहीं थे, और उनमें कुछ ऐसे प्रोवीजन थे कि जिनकी वजह से काफी बेदखलियों की सम्भावना थी, उस डर का ख्याल करते हुए इस एक्ट को लागू किया गया। आर० पी० टी० ओ० ने किसी के भी अधिकारों को तय नहीं किया। जैसी परिस्थिति उस समय थी उसी को आज तक कायम रक्खा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आर० पी० टी० ओ० फोर्स में आया और जिसको आज पांच छः साल का अर्सा गुजर गया, उन पांच छः सालों को ध्यान में नहीं लाना है।

परन्तु आज हम नये सिरे से काश्तकारों के अधिकारों को तय करने जा रहे हैं और जब हम खातेदार टीनेन्ट और सब टीनेन्ट, खुदकाश्त होल्डर और खुदकाश्त टीनेन्ट और गैर खातेदार सब के अधिकारों को तय करने जा रहे हैं ऐसे समय वह आर० पी० टी० ओ० किसी तरह से किसी के अधिकारों को न बढ़ाता है और न कम करता है। वह अधिकारों के मामले में बिल्कुल चुप है और इसलिये आर० पी० टी० ओ० की तरफ ख्याल न करते हुए वह पांच—छः साल का अर्सा जो इसकी तहत में गुजर चुका है उसके जब अधिकारों का सवाल आज पैदा होता है तो ध्यान में नहीं लाना चाहिये और अगर उस परिस्थिति को ख्याल में रखना है और अधिकारों को किस प्रकार से तय किया जावे, किसके हक में ये अधिकार दिये जावें; यह इस आर० पी० टी० ओ० को सामने रख कर ही निश्चित करना है।

मैं आर० पी० टी० ओ० की एक धारा ६ की तरफ खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिसमें आर० पी० टी० ओ० का क्या अर्थ रहेगा और उसका क्या असर रहेगा, उसमें साफ कर दिया गया है : "No person re-instated under section 7 shall, while in the occupation, of any land in which he has been so re-instiated during the Contiunance of this ordinance, shall, virtue of such occupation, acquire any tenancy rights therein over and above those which he had in such land at the time of his ejectment..." मेरा निवेदन यह करना है कि आर० पी० टी० ओ० यह साफ तौर से इस चीज को तय करता है कि यह जब से लागू किया गया है उससे पहले जो अधिकार थे तो आर० पी० टी० ओ० के बाद भी वह अधिकार कायम रहेंगे।

अब मैं जागीरदारों और राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ था और उसमें सबलेटिंग के प्रश्न को इस प्रकार से हल किया गया था उसकी तरफ भी निवेदन करना चाहूँगा, और उसका प्रोवीजन इस रिपोर्ट ऑन राजस्थान जागीर एबोलिशन के सफा ३६ पर मिलता है। उसमें राजस्थान सरकार के और जागीरदारों के आपस में जो समझौता हुआ है उसमें संख्या ३ के ऊपर सबलेटिंग के प्रश्न को लिया गया है। एक प्वाइन्ट जिसमें मतभेद था वह इस प्रकार था:—

[श्री जवानसिंह]

"There should be no restriction on sub-letting of khudkasht lands until Jagirdars get used to personal cultivation and acquire the means for doing so," इस प्रश्न को हल किया गया, वह इस प्रकार से किया गया है जिसको सरकार ने मंजूर किया है :
It was agreed thet the limit of five years proposed to be imposed on sub-letting of Khudkasht in the Rajasthan Tenancy Bill should do. The Tenancy Act should not be given retrospective effect in respect of the period of sub-letting."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम यहां पर सब टिनेन्ट्स को और टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को जो कि इस कानून के लागू होने से पहले के अर्से में सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त रह चुके हैं, इसलिए उनको खातेदारी हक देना चाहते हैं। इस बात की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया कि इस कानून के फोर्स में आने से पहले चाहे वह टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त एक महिने पहले से काश्त कर रहा हो, चाहे२महीने पहले से काश्त कर रहा है, चाहे एक साल पहले से काश्त कर रहा है, चाहे ४ साल से काश्त कर रहा है, चाहे १० साल पहले से काश्त कर रहा है तो उसके लिए इस बात का कतई ध्यान नहीं दिया। मैं राजस्व मंत्रीजी का इस ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा माननीय उपाध्यक्ष, कि एक सब टिनेन्ट को अधिकार देने के वक्त खातेदारी राइट के लिए इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि किन सब टिनेन्ट् को हम खातेदारी के हक देना चाहते हैं, आया इस कानून के लागू होने के पहले जो सब टिनेन्ट की हैसीयत से है उसको खातेदारी हक देना चाहते हैं या कानून के लागू होने से ५ साल पहले से सब टिनेन्ट बराबर चला आ रहा है उसको खातेदारी हक देना चाहते हैं या १० साल पहले से जो बराबर सब टिनेन्ट चला आ रहा है उसको हम खातेदारी हक्क देना चाहते हैं। इस मामले में एक स्थिति इस बात से स्पष्ट कर दें कि हमको उस अर्से को निकाल देना होगा जिस अर्से में आर. पी. टी. ओ लागू रहा है और उससे पहले कितने अर्से तक टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त की हैसियत से उसने काश्त की है कि जिसके लिए अब हम उसको काबिल समझते हैं कि उसको इस कानून के लागू होते ही खातेदारी के हक दे दिये जायं। इसलिए इस मामले में जो कुछ भी मतभेद था, जागीरदारों के बीच में और राजस्थान सरकार के बीच में; इसलिए इसको स्पष्ट रूप से डील किया गया और इसमें इस तरह से हक दिये गये हैं। जब कि सब टिनेन्ट को खातेदारी के हक देंगे तो इस बात को खयाल में रखेंगे कि जब से टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आयेगा तो उसके आगे एक सब टिनेन्ट जो ५ साल तक बराबर काश्त करता रहेगा उसके बाद में उसको खातेदारी के हक देंगे न कि इस वक्त इस के लागू होने से पहले से कितने ही अर्से तक वह सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त रहा है उस चीज को खयाल में रखेंगे। वाजिब भी यही होता अगर सरकार इस बात को सोचती है कि अगर आर. पी. टी. ओ. का समय निकाल लेने के बाद उससे पहले ही जितने समय टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त ने काश्त की है उसको अवश्य मौका दिया जायगा। दो साल पहले या ५ साल पहले सरकार कोई मियाद इस सिलसिले में मुकर्रर कर सकती है। अगर उस समय तक टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त ने काश्त की है तो मेरा खयाल है कि यह सोचा जाता है कि टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को उस वक्त खाते-

[श्री जवानसिंह]

हैदारी हकूक दिये जायं तो उचित होगा, लेकिन इस प्रकार बिना कोई मियाद दिये हुए, इस प्रकार का कोई तरीका मुकर्रर किये हुए और जिस दिन यह कानून फोर्स में उसी दिन से एकदिन पहले जो टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त मानलिया या रह चुका है उसको आप खातेदारी हकूक देना चाहेगें। मैं इस मामले में खास तौर से स्पष्टीकरण चाहूँगा क्योंकि इसका इस क्लॉज़ में सिलेक्ट कमेटी की क्लॉज़ में और न अब जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उनमें कोई प्रोवीजन रखा गया है ऐसे सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त का जिसको आप चाहे एक दिन पहले से सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त रह चुका है जिस दिन से यह कानून लागू होता है; तो क्या उसको खातेदारी हकूक देना चाहेंगे ? जब कोई मियाद नहीं रखी है चाहे वह सबटिनेन्ट कभी से चला आ रहा है इस कानून के लागू होने से पहले तो हम सबको इस क्लॉज़ १६ के अन्तर्गत उनको खातेदारी के हक देना चाहेंगे। यह बहुत गलत है, लेकिन इस बात से काफी उलझनें पैदा हो सकती हैं। इसमें जो अधिकार पाने के लायक हैं उनको भी अधिकार मिलेंगे और जो अधिकार पाने के लायक नहीं हैं उनको भी अधिकार मिलेंगे और जो नाकाबिल हैं उनको भी अधिकार मिलेंगे, तो उनसे उलझनें पैदा होंगी। जिनको अधिकार मिलना चाहिए वह उससे महरूम रह जायेंगे। वे जिनकी जीविका खेती है उनकी परेशानियां बढ़ जायंगी जिनको कि सुलझाना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जायगा।

मैं इस सिलसिले में एक और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह कि इस प्रकार की प्रथा कि जहां पर खुदकाश्त जैसी चीज़ पैदा होती है वह केवल हमारे राजस्थान में ही नहीं रही है। उसके जैसी प्रथा बहुत पहले किसी न किसी रूप में अभी थोड़े अर्से पहले ही इस चीज का निबटारा यू. पी. ने किया है और जगह भी थी .वहां पर मैं यह निश्चय पूर्वक कहता हूं कि उन्होंने इसी चीज को सुलझाया है बिल्कुल उचित तरीके से और जैसा कि सरकार और राजस्थान के जागीरदारों के बीच आपस में समझौता हुआ है वह संख्या ३ पर उसी प्रकार से है। यू. पी. ने भी इस प्रश्न को सुलझाया है। वहां पर उन्होंने सीरदार और आदिवासियों को भूमिदारी हक प्राप्त कराने के लिए जो समय दिया है कि इतने अर्से में वह भूमिदारी हक प्राप्त कर लेंगे। वह समय दिया है उस कानून के लागू होने के बाद में ५ वर्ष। अगर कोई आदिवासी या कोई सीरदार कानून के लागू होने तक ५ वर्ष तक बराबर काश्त करता रहा है तो उसको अधिकार है कि दस गुना लगान देने के बाद में भूमिदारी हक प्राप्त करले। तो फिर इस प्रश्न को हमारे यहां राजस्थान में अगर उस प्रकार से, जिस प्रकार से कि इस सरकार ने जागीरदारों से समझौता करते हुए मान लिया है तो फिर इस चीज को यहां पर क्यों नहीं माना जाय कि इस कानून के लागू होने के बाद में सबटिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को पांच साल तक और वह बराबर की हैसियत से काश्त कर करता रहा है तो उसको खातेदारी हक मिलेंगे और न कि इस वक्त जब कि हमने किसी तरह का कोई क्राइटेरिया मुकर्रर किया है।

एक चीज के बारे में मैं अंत में निवेदन और करना चाहूँगा कि बार बार हम यह आशा करते हैं कि हमारी सरकार ज्यादा लिबरल हो या कम से कम जो सिद्धान्त यू. पी. ने हमारे सामने

[श्री जवानसिंह]

रख दिये हैं उन्हीं मामलों के सिलसिले में कम से कम उस हिसाब तक तो उदार रहे। इस बात को मैं खास तौर से मानता हूँ क्योंकि हमने इस काश्तकारी बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश करते समय बार बार इन क्लॉजेज़ की तरफ ख्याल किया है जो यू. पी. के टिनेन्सी एक्ट में मौजूद हैं। यहां पर भी यदि उनका अनुसरण किया जाय उन मामलों में, तो मेरा ख्याल है कि यह ठीक होगा और इससे दोनों के हक सुरक्षित हो जायेंगे। इससे टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और खातेदारी टिनेन्ट दोनों को फायदा होगा। इसलिये इन क्लॉजेज़ को पास करते समय उन क्लॉजेज़ का जरूर ध्यान रखना है जो यू. पी. लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और यू. पी. टिनेन्सी एक्ट में दी गई हैं। श्री रामनिवास मिर्धाजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह मान्य नहीं हो सकता। यदि कोई ठीक है तो वह है जो सिलेक्ट कमेटी ने पास किया है। अलावा इसके जो मैंने संशोधन रखा है कि इतने अर्से में टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त तथा सब टिनेन्ट खातेदारी हक प्राप्त करने के लिये दरख्वास्त कर सकेगा, क्यों कि ऐसी मियाद नहीं थी इसलिये मियाद मुकर्रर करने के लिये निवेदन किया है, ताकि इस अर्से में जमीन सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को मिल सके। इस बात का ध्यान रखा जावे कि १२०० रु० साल की आमदनी सबसे पहले खातेदार टिनेन्ट या खुदकाश्त टिनेन्ट ने सब लेट करदी है उसकी होवे, तो दी जावे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज़ में एक संशोधन मुझे भी पेश करना है और वह यह है कि सेक्शन १६ ए. में एक प्रोविजो के बाद दूसरा प्रोविजो और एड कर दिया जाय और वह यह है कि :

" Provided further that a tenant who has been cultivating the land for 12 years or more shall not be required to pay any compensation for the acquisition of Khatedari rights. "

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके अन्दर जहां कम्पेन्सेशन का सवाल दिया हुआ है वहां यह पता नहीं है कि कम्पेन्सेशन किसको देना पड़ेगा? यदि एक टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त या एक सब टिनेन्ट ५० साल का टिनेन्ट है, क्या वह कम्पेन्सेशन देगा या २० साल का टिनेन्ट है तो क्या वह भी कम्पेन्सेशन देगा? इसलिये मैंने एक चीज एड की है जो यह है कि यदि १२ साल से कोई जमीन सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के पज़ेशन में चली आ रही है तो उसको कोई कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही आवश्यक चीज है क्योंकि हमारे यहां १२ साल यदि एक टिनेन्ट के पजेशन में जमीन रहे तो वह मौरूसी हो जाती है, उसको मौरूसी हक मिल जाता है। अब आप जब कि सब-टिनेन्ट को हक देना चाहते हैं और सब टिनेन्ट को गैर-खातेदार के हक देना चाहते हैं तो यह रखें कि १२ साल का किसी का किसी जमीन पर कब्जा है तो कोई कम्पेन्सेशन वह नहीं देगा।

इसके साथ ही मैं श्री मिर्धाजी ने जो संशोधन रखा है उस पर कुछ कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज यह देखनी है कि जो कानून हम बना रहे हैं उसकी मंशा क्या है, जो क्लॉज़ बन

[श्री गोपीलाल यादव]

रही है और जिस पर हम अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं उसकी मंशा क्या है ? उन्होंने जो संशोधित क्लॉज़ रखा है उसमें और पहले की क्लॉज़ में इतना फर्क है कि वे एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। यह संशोधन अमेन्डमेन्ट की तारीफ में नहीं आता। जब कि मूल पर्पज खत्म हो जाता है तो वह अमेन्डमेंन्ट की कैसा हुआ ? मैं निवेदन करूंगा कि ओरिजिनल क्लॉज़ में जो दिया गया है उसकी ओर हम देखें। ओरिजिनल में लिखा गया है कि:

" 16A (1)........acquisition of Khatedari rights in the land held by him if.

(a)the land for which the application is made is in excess of the area prescribed by the State Government under Seetion, 131 और उन्होंने जो रखा है उसको देखिये,

" is not in excess of the munimum area prescribed by the state Government for the purposes of clause (a) of section 131."

इन दोनों में जो अन्तर है वह मैं श्रीमान को निवेदन करना चाहता हूं। ओरिजिनल बिल जो सिलेक्ट कमेटी से आया है उसमें लिखा है कि " The land for which the applilcation is made in excess of the area" यह एक्सेस ऑफ एरिया टिनेन्ट के पजेशन से सम्बन्ध नहीं रखता। यह एक्सेस ऑफ एरिया उस एरिया से सम्बन्ध रखता है जो लैंड होल्डर के पास है। यदि लेण्ड होल्डर के पास जो एरिया है वह सेक्शन १३१ के प्रोविज़ो में दिया गया है। ३० एकड़ इरिगेटेड और ९० एकड अनइरिगेटेड, यदि इससे ज्यादा उसके पास है, तब तो नहीं लेकिन यदि कम है तो वह इजेक्टमेंन्ट की दरख्वास्त दे सकता है और यदि ज्यादा है तो इजेक्टमेंन्ट को दरख्वास्त नहीं दे सकता। मतलब यह है कि एक लैंड होल्डर के पास यदि ३० एकड़ जमीन है या ३० एकड़ से नीचे की जमीन में काश्तकार है, सब टिनेन्ट है तो वह दरख्वास्त पेश नहीं करेगा। खातेदारी राइट एक्वायर करने के लिये यदि उसके पास ३० एकड के बजाय ४० एकड़ जमीन है तो वह सब टिनेन्ट दरख्वास्त पेश कर देगा, खातेदारी राइट एक्वायर करने के लिये। जो अमेन्डमेंन्ट श्री नाथूरामजी ने रखा है उसकी मंशा यह है कि सब टिनेन्ट के पास उतनी जमीन नहीं है जो १२०० रुपये सालाना की आमदनी देता हो, चाहे खातेदार के पास १ से अधिक बीघा जमीन नहीं है तो भी वह खातेदारी राइट ले लेगा। जो मिर्धाजी रखना चाहते हैं उसमें और मूल क्लॉज़ में जमीन आसमान का फर्क है। जो वे रखते है उसका मतलब यह है कि अगर लैंड होल्डर के पास २ बीघा जमीन है और सब टिनेन्ट के पास १० बीघा जमीन है और उसकी आमदनी १२००रु नहीं होगी तो भी वह सब टिनेन्ट खातेदारी राइट के लिये दरख्वास्त दे सकता है, चाहे लैंड होल्डर घर बैठा हवा खाए, लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने यह रखा है कि यदि सब टिनेन्ट के पास ३०

[श्री गोपीलाल यादव]

एकड़ से ज्यादा जमीन है तो खातेदारी राइट के लिये दरख्वास्त देगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, दो तीन रोज से मैं यह देख रहा हूं कि इस कदर अमेन्डमेन्ट्स की बाढ़ आई हुई है कि सिलेक्ट कमेटी ने दो तीन महीनों में जो कुछ किया उसको अनडू (undo) करने का प्रयत्न किया जा रहा है और वह भी इस तरह कि यहां पर लोगों को विचार करने का मौका नहीं मिले और वे समझ नहीं सकें। मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो अमेन्डमेन्ट आ रहे हैं और उनमें जो पेचीदी भाषा आ रही है, जिसे लोग नहीं समझ सकते तो एक दफा फिर इसे सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करिये जो पूरी तरह से विचार करे कि अमेन्डमेन्ट का मतलब क्या है और फिर वे (अमेन्डमेंट) हाउस में पेश करें।

हमारे यहां खातेदार सब टिनेन्सी है; १० साल तक दरख्वास्त नहीं देता है, १० साल तक टिनेन्ट रह जाता है और १० साल बाद में दरख्वास्त देता है तो उसे खातेदार टिनेन्सी मिल सकती है।

तो यह एक ऐसी चीज है जो माने नहीं रखती। बहुत से सब टिनेन्ट ऐसे हैं जिनको ६ महीने में पता नहीं चलेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है वह बड़ा गलत है और बड़ी नासमझी से लाया जा रहा है। फिर इसके बाद खण्ड १४ और १६ ए. का अन्तर देखिये और मुलाहिजा करें कि आप किस नतीजे पर पहुँचते हैं।

क्लॉज़ १४ कहता है : "Khatedar tenants.-Subject to the provisions of Section 15 every person who, at the commencement of this Act, is......" खातेदार टिनेन्ट बन जायगा। फिर क्या : "Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to a temporary tenant or lease holder to whom land has been let out in Gang Canal, Bhakra , Chambal or Jawai Project areas, or such other area as may be notified..."

मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान्‌जी कि क्या कारण है कि आप एक लैंड होल्डर को जो खातेदार टिनेन्ट है उसको मुश्किल में डाल रहे हैं? सबसे बड़ी मुश्किल यह आ गई है कि जागीरें एबोलिश हो गई, फिर भी जागीर फोबियो बना हुआ है, उसी लाइट में टिनेन्सी एक्ट बन रहा है। जागीरें अभी मौजूद हैं, ऐसा समझ कर जागीरदारों को नुकसान पहुँचाने की गरज से अमेंडमेंट्स लाये जा रहे हैं। जागीरदारों से आप नफरत करते हैं तो सब को उठा कर कूओं में डाल दीजिये, पर जो खुदकाश्त खातेदार हैं उनके ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हैं? इसी वजह से करना चाहते हैं कि फीड करना चाहते हैं जागीरदारों को और बर्बादी हो जाती है खातेदार टिनेन्ट्स की। आपने यह कानून बनाया कि टेम्पोरेरी १० साल का टिनेन्ट हो तो भी उसे खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एक खातेदार ने ५००० रुपया लगा कर कूआ बनाया है, उसके कूए पर सब टिनेन्ट है, उसका कूआ आपके लिये उतनी ही कीमत रखता है जितनी कि भांखरा-नांगल बंध। एक तरफ जब आपको इतना लालच

[श्री गोपीलाल यादव]

नजर आता है। "Charity begins at home" अच्छे काम की शुरूआत आप खुद अपने से कीजिये। भाखरा में तो दे नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब एक ही है, दूसरा नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता था आपसे कि कानून बनाने जा रहे हैं, उस वक्त सब दलों की प्रगति की दौड़ है। दौड़ क्यों है ? दुनियां में उन आदमियों की तादाद ज्यादा है जिनके पास जमीने नहीं हैं। कॉम्युनिस्ट चाहते हैं कि रिवोल्युशनरी, एक्शनरी कहलायेंगे इसलिये हम ४ कदम और बढ़ जायं, दूसरा कहता है कि १० कदम आगे बढ़ जायं, तो तीसरा कहता है कि ५० कदम आगे बढ जायं। इससे कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो यह है कि यू. पी. का टिनेन्सी एक्ट लागू कर दीजिये। जब जागीरदारी खत्म हो जाय तो आप टिनेन्सी एक्ट बनाइये, गलत कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है।

श्री भीमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जो दो अमेंडमेंट्स क्लॉज़ १६ पर रखे गये उनके बारे में मैं फिर अर्ज करूंगा। पहले कुछ शब्द श्री एच. के. व्यास ने रखे और हाउस के सामने दलीलें जिस रूप में दीं, उसके बारे में थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं। उनका खास चार्ज यह था कि जब लैंड होल्डर्स को रिज़म्प्शन के टाइम, रिज़म्प्शन ऑन कम्पेन्सेशन के रूप में कम्पेन्सेशन मिल चुका है तो दुबारा कम्पेन्सेशन क्यों दिलाया जाय ? मैं समझता हूं कि यह शब्दों की तोड़ मरोड़ थी और गुमराह करने की बात थी क्यों कि इस क्लॉज़ का हैडिंग देखा जाय तो यह है "Primary rights of tenants."

इसमें कहीं लिखा है "Primary rights of Jagirdars;" यह जो खातेदार के लिये, लैंड होल्डर खातेदार नहीं बन जायं तब तक लागू ही नहीं होता। तो यहीं उनका पहला सवाल है, वह खत्म हो जाता है।

दूसरा आर्ग्युमेंट रखा था कि कम्पेन्सेशन मिल चुका है, तो मेरा निवेदन है कि लैंड होल्डर को कम्पेन्सेशन, एज़ ऑनर जो लगान मिलता था उसका मिला है, जो इम्प्रूवमेंट्स किये हैं उनका कम्पेन्सेशन नहीं मिला है। जो हमेशा के लिये रेन्ट मिलने का हक था उसको खत्म करके एक बार में ७ गुना देकर खत्म किया। जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किये हैं, इसके बाद उस जमीन की खातेदारी सबलेट करते हैं, उस जमीन के काश्त करने का हक है, दूसरों को सब लेट करके दे रखी है ; ये सब हक मारे जायेंगे। उसने इम्प्रूवमेंट किया है, उसका कम्पेन्सेशन कैसे दिलाया जायगा ? तो इस तरह उन्होंने जो दलीलें दी थीं वे गलत थीं।

उन्हें इस क्लॉज़ को देखना चाहिये था कि जो इम्प्रूवमेंट किया और जो काश्त करने का हक था, उसके लिये कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है। इस सबको आप mix up नहीं करें, जैसी कि उनके दल की टेक्टिक्स रही हैं, गुमराह करने की कोशिश नहीं करें।

[श्री भीमसिंह]

इसके बाद जो श्री नाथूरामजी मिर्धा ने अमेंडमेंट रखा है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्री नाथूरामजी यहां मौजूद नहीं हैं, नहीं तो उनसे निवेदन करता। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में फरमाया था कि मैंने भाषा साफ की है, अच्छी की है, लीगेलाइज्ड की है। वह भाषा अच्छी करते समय, पहले वाले बिल में से यह नया रूप दिया तो गलती से या ओवर साइट से एक शब्द और बढ़ा दिया। वह बढ़ाना नहीं चाहिये था, वह शायद गलती से बढ़ा दिया है। अमेंडमेंट नम्बर १६२ की ६ठी लाइन में "Is not in axcess" लिखा है। यह "नोट" ओवर साइट से बढ़ गया है, 'नोट' को हटा देते हैं तो उनका अमेंडमेंट ठीक है, सुन्दरता भी भाषा में आ गई है और कोई हेर-फेर की आवश्यकता नहीं है और अगर जान बूझ कर रखा है तो फिर खाली भाषा में सुन्दरता में और लीगेलाइज्ड करने में, सुन्दरता नहीं आई बल्कि सिलेक्ट कमेटी ने जो मंशा रखी थी उस मंशा का पूरा रद्दोबदल कर दिया गया है। इस 'नोट' के लगा देने से सिलेक्ट कमेटी का पूरा का पूरा तात्पर्य खत्म हो जाता है। मुझे उनके 'नोट' रखते हुए संशोधन से घोर विरोध है। सिलेक्ट कमेटी की साफ मंशा है कि अगर किसी खातेदार के पास जमीन इन एक्सेस है, जो मिनिमम होल्डिंग रखा है और उसने सबलेट कर रखा है तो उस सब टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स दिये जा सकते हैं। अगर एक्सेस नहीं है और खातेदार के पास मिनिमम होल्डिंग जो रखा है, उससे कम है तो वह उस खातेदार की प्रोपर्टी है और उस सब-टिनेन्ट को इसके बाद प्रायोरिटी है लेकिन श्री नाथूराम मिर्धा के 'नोट' लग जाने से उसी हालत में सब टिनेन्ट को पॉवर्स मिल जाते हैं और जिसको खातेदारी राइट्स हों, जिसने जमीन को इम्प्रूव किया हो, खेती करता हो मगर किसी कारण से उसको उस जमीन को कुछ समय के लिये सब-लेट करनी पड़ी हो और बाद में आर. पी. टी. ओ. लग जाने के कारण वह उस जमीन पर काबिज़ रहने से महरूम रख दिया जाता है तो इससे उसको बहुत नुकसान हो जाता है। इसके लिये मैं आपके सामने एक कॉंक्रीट एक्ज़ेम्पल रखना चाहता हूं। हमने ३० एकड़ इर्रिगेटेड लेन्ड की बात रखी है। किसी शख्स के पास ४० एकड़ जमीन थी। वह उस जमीन को १५ एकड़ खुदकाश्त करता था और २५ एकड़ उसने किसी दूसरे को सब-लेट की। तो ऐसी हालत में २५ एकड़ वाले के पास मिनिमम से ५ एकड़ ही कम रह जाती है। जब वह खातेदारी राइट्स के लिये प्रार्थना-पत्र देगा तो ऐसी हालत में उसको खातेदारी राइट्स पहले मिल सकते हैं, सिवाय उसके जिसके पास १५ एकड़ जमीन है। इसके अनुसार पहले उस शख्स को खातेदारी राइट्स मिलेंगे जिसके पास २५ एकड़ जमीन है और बाद में उसको मिलेंगे जिसको जमीन है। ऐसी सूरत में मैं श्री नाथूरामजी से निवेदन करूंगा कि वे 'नोट' को हटा लें और अगर वे 'नोट' शब्द हटा लेते हैं तो इस एमेन्डमेंट को स्वीकार कर लिया जावे और अगर नहीं हटाते हैं तो मैं यह कहूंगा कि जिस समय यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया था उस समय सिलेक्ट कमेटी के २५ सदस्यों में, श्री नाथूरामजी भी एक सदस्य थे और उन्होंने भी अपनी राय उस समय सिलेक्ट कमेटी में दी थी; अब उन्होंने एक सदस्य के नाते यह एमेन्डमेंट पेश किया है जो बिल्कुल नावाजिब है और मैं यह कहूँगा कि इसको मंजूर नहीं किया जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, 'नोट' शब्द के बारे में काफी सदस्यों ने ऐतराज उठाया है। मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी के सामने दो प्रश्न मुख्य थे। रीज़नेबल लिमिट जैसा कि पेप्सू में रखा गया वैसा रखा जावे और जिसके पास अधिक एरिया है उसको ५ वर्ष रखा जावे। दूसरी तरफ यह था :

" Irrespective of the area whether it goes to the land-holder or not. "

उन सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को खातेदारी राइट्स दे दिये जावें। सिलेक्ट कमेटी के अनुसार रीजनेबल लिमिट को पेप्सू ने आजमाया वही रखा जावे लेकिन मैं यह कहूंगा कि क्लॉज़ १३१ को देखा जावे और उसी के साथ इस क्लॉज़ को देखा जावे तो दोनों में समन्वय तभी बैठता है जब 'नोट' शब्द हो; यह शब्द 'नोट' इनएडवर्टेन्स (inadvertance) से रह गया आगे जाकर:

"Nothing in sub-section (1) shall apply to a sub-tenant or tenant Khudkasht." जिस तरह "टिनेन्ट खुदकाश्त" कोई वर्ड नहीं होता और न कोई सेन्स रखता है उसके बीच में 'ऑफ' होना चाहिए जिससे उसका सेन्स ठीक हो। उसी तरह यहां भी "नोट" शब्द का रहना जरूरी है और यह "नोट" शब्द ओवर साइट (Oversight) से रह गया मालूम होता है। क्लॉज़ १३१ से यह साफ जाहिर है कि १२००) रुपये की आमदनी से ज्यादा जिसके जमीन होगी उसका safe guard इस बात का किया उस पर सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त का पजेशन रहेगा। इसका समन्वय तभी बैठता है जब 'नोट' शब्द लगाया जावे। इसका मैं समर्थन करता हूं।

अब श्री नाथूराम मिर्धा ने ६ महीनों का जो अमेन्डमेंट रखा है उसके बारे में मुझे ऐतराज है। मैं निवेदन करूंगा कि सेक्शन १३१ में ३ वर्ष का समय दिया गया है। अगर वह इस मयाद में नहीं करेगा तो खुदकाश्त होल्डर को अधिकार होगा। माननीय उपाध्यक्षजी, कई ऐसे केसेज़ होते हैं जिसमें फसल बोने वाले को यह मालूम नहीं हो सकता कि वह टिनेन्ट है या सब टिनेन्ट है और टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है। अगर वह बैठा रहे और ६ महीनों में दरख्वास्त नहीं दे तो ऐसी हालत में उन पर बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिये माननीय मित्र, जिन्होंने इस प्रकार की तरमीम पेश की है, हो सकता है कि आगे चल कर जो प्रोविजन है उसके अनुसार मयाद बढ़ाई जाय और बढ़ाई जा सकती है; उसके बारे में यह कहा गया है कि एस. डी. ओ. के डिस्क्रीशन पर यह बात निर्भर है कि वह चाहे तो मयाद बढ़ा सकता है। उसके बाद यह अर्ज करूंगा कि जो प्रोविजन है उससे crop-sharing encourage होती है।

मैं यह कहूंगा कि जैसे यू.पी. में है उसका समावेश यहां नहीं किया गया है कि इस प्रोविजो, crop-sharing को इन्ट्रोड्यूस करना है और इससे किसानों के शोषण होने का अन्देशा है। इससे कोई लेन्ड लॉर्ड झूठ मूठ किसान पर केस करता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि 'PERSONAL CULTIVATION' की डेफिनेशन थी और उसको तरमीम किया उसमें यह रखा कि जो

[श्री सोहनलाल भटनागर]

शेयर लेते हैं अगर शेयर भी लिया जाता है और बीज वगैरह देते हैं तो सब टिनेन्ट है और सब टिनेन्ट की डेफिनिशन निगेटिव करके crop-sharing ज्यादा बांटा लेंगे। किसी भी किसान का शोषण होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रोविजन को एड नहीं किया जावे।

श्री भैरूंसिंह केलवा—माननीय उपाध्यक्ष, वास्तव में श्री यादवजी ने कहा कि नेतागिरी की घुड़दौड़ हो रही है। वास्तव में वही परिस्थिति मालूम हो रही है। मैं यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी ने जो रखा है वह सोच-समझ कर यहां रखा है और मेरी समझ में जो सिलेक्ट कमेटी ने रखा है वह ठीक है। अपनी अपनी नेतागिरी बताने के लिए अलग अलग आर्ग्युमेन्ट पेश किये हैं। एक माननीय सदस्य ने तो जमींदारों की ऐसी भूमिका बांधी और सारा भाषण उसी पर आधारित रखा। जागीर एबोलिशन का सवाल है, जब जागीरदारी एबोलिश हो रही है, रिटें जो की गई थीं खारिज हो चुकी हैं और २००) रु० से ज्यादा की सब जागीरें जब्त हो रही हैं। २००) रु० सालाना की जागीरें रहेंगी; उसका मतलब यह हुआ कि एक चपरासी की तनख्वाह जो है वह एक जागीरदार की रखी है। उसकी पोजिशन एक चपरासी से बहतर है। लेकिन उन्होंने जो तस्वीर खींची वह कुछ और थी और वास्तविक परिस्थिति कुछ और तथा सारा एक्ट कुछ और। जागीर एबोलिशन बता रहा है और आगे सीलिंग एक्ट भी बतायगा कि स्थिति क्या रखी है। क्योंकि उन्होंने शुरू में जो अपने आधार बनाये वे गलत थे, फिर उन्होंने जो तस्वीर हाउस के सामने खींची वह गलत थी। उनके कथन का एक मात्र आधार यह था कि जो कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है वह पूरी जमीन का नहीं दिया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि कम्पेन्सेशन पूरी जमीन का नहीं दिया जाता। जमीन सरकार की है। सरकार जमीन की मालिक है इसलिये कम्पेन्सेशन का प्रश्न पैदा नहीं होता। यह अधिकार जागीरदारों को था कि जो लगान वे लोगों से लेते थे वह रेन्ट जेनरेशन तक वसूल किया करें। यह अधिकार था और वह एक सोसाइटी का ऑर्डर था। जमीन का हक काश्तकार को सब जगह है और खालसे में भी बराबर होता था। सिर्फ जागीरदार जो उनसे रेन्ट लेते थे उसका मुआवजा दिया गया है। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि जमीन का अधिकार हमारा है। इस तरह का गलत आर्ग्युमेन्ट सामने रख कर आपने किसी तरह का जोश, कांग्रेस में कांग्रेस के अधिवेशन की बातें कह कर, दिलाने की कोशिश की कि किसी तरह से जोश पैदा हो।

लेकिन अगर न्याय से देखें और शान्ति से देखें तो ये बिल्कुल निराधार हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जागीर एबोलिशन होने के पश्चात् यह तो निश्चित बात है कि जागीरों की एवज़ में जो कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है वह तो सिर्फ रेन्ट का ही दिया जा रहा है और रेन्ट भी इस वजह से कि जिन जागीरदारों को पीढ़ियों तक जागीरों की आमद खाने के अधिकार प्राप्त थे उन अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। तो यह जो कम्पेन्सेशन है वह रेन्ट का है, न कि जमीनों का। जागीरों के एबोलिशन हो जाने के पश्चात् जो जागीरदार के पास जमीन है वह उस जमीन का खातेदार होगा। जब जागीरें नहीं ली गई थीं तब तक तो उसको पूर्ण अधिकार थे। वह खुद किसी सब टिनेन्ट को,

[श्री भैरूंसिंह केलवा]

किसी शिकमी काश्तकार को खातेदार बना सकता था, प्रोप्राइटरी हक दे सकता था, चूंकि उसके पास पूर्ण हकूक थे, कानूनी तरीके से भी। तो जब सरकार ने जागीरें ले ली हैं तो वह खातेदार काश्तकार रहेगा। किन्तु अब उसको जबर्दस्ती तोड़ मरोड़ कर यह साबित किया जाता है कि वे खातेदार नहीं हो सकते, चूंकि पैसा ले लिया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये आर्गुमेन्ट किस आधार पर पेश किये गये हैं।

दूसरा जो आर्गुमेन्ट दिया जा रहा है वह यह है कि दफा १६ जो है वह एक्वीजिशन ऑफ खातेदारी राइट्स के लिये है। वह खातेदारी राइट्स को एक्वायर करने के लिए ही रखा गया है। खातेदारी राइट्स कौन एक्वायर करेगा। जो सब टिनेन्ट है उसको यह अधिकार होगा। जिसके पास जमीन है वह उससे खातेदारी राइट्स एक्वायर करेगा। किस परिस्थिति में करेगा? इसमें मतलब उल्टा कर दिया है। मिर्धाजी ने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसका मतलब तो यह है कि सब टिनेन्ट अपनी जितनी जरूरत है उतनी जमीन रख लेगा और बाकी की खातेदार के लिये रख देगा। यह खातेदारों के साथ क्या अन्याय नहीं होगा? अगर किसी खातेदार के पास एक बीघा जमीन बची है और उस सब टिनेन्ट को एक बीघा लेने का अधिकार इससे मिल जाता है तो क्या खातेदार भूखों मरेगा? सब टिनेन्ट ने तो अपने लिए रख लिया और खातेदार चाहे भूखा मरे, इसकी किसको परवाह? तो इस सेक्शन से तो हम यह अधिकार देते हैं कि खातेदारों से राइट एक्वायर करने का मतलब होगा कि सब टिनेन्ट अपने पास चाहे जितनी जमीन रख कर बाकी की खातेदार के लिये छोड़ दे। तो मैं समझता हूं कि इसका यह सेन्स गलत हो जाता है। कानून की मंशा इसके विपरीत है।

जो समय छः महीने का दिया गया है वह ठीक है। एक दृष्टि से समय निर्धारित करना ठीक होता है। जो चीजें होनी होतीं हैं वे समय के मुताबिक सही हो जाती हैं और बाद में उजरदारियां नहीं होतीं। राइट्स का कार्य ठीक हो जाय और समय पर अपनी बातों को साफ करलें ताकि बाद में अदालतों में लिटिगेशन न हो, लड़ाई झगड़ा न हो। तो जहां तक समय को बढ़ाने का सवाल है मैं निवेदन करूंगा कि जो है वही रखा जाय।

एक डिफेक्ट है जिसे कानूनी तौर पर भी भारी डिफेक्ट माना जाता है और वह यह है कि जहां कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का सवाल है, वहां जो पुरानी लीज़ हैं, उन पर भी असर डालने वाला होता है। तो पुरानी लीज़ हैं उन पर इस कानून के जरिये से कोई असर डालने की जरूरत नहीं है। एक साल की लीज़ हो, चाहे पांच साल की लीज़ हो उन सब पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालने की कोशिश की गई है। पंच फैसले में यह साफ है कि इस प्रकार रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं डाला जायगा। मुमकिन है यह नेतागिरी की दौड़ का सवाल हो या अपने आपको एडवान्स समझते हों। मैं समझता हूँ कि कानून तो ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ न्याय करे। खुदकाश्त होल्डर भविष्य में खातेदार बनने वाला है। सब के साथ न्याय होना चाहिए और तब

Page No.72

[श्री भैरूसिंह केजवा]

हो वह कानून ठीक माना जायगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट-जबर्दस्ती लादना ठीक नहीं है। मिर्धाजी का जो अमेंडमेंट है उससे भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का ही मतलब निकलता है। जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखने वाला कानून होता है वह दरअसल हार्शनेस रखने वाला होता है। अगर मिर्धाजी का अमेन्डमेन्ट मंजूर किया जाना ही है तो उसमें से 'नोट' शब्द हटा दिया जाय तो उचित होगा।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ १६ ए पर दो तरह के विचार इस सदन के सामने पेश हुए हैं और सिलेक्ट कमेटी में जो खण्ड १६ ए लिया है उस पर काफी चर्चा हुई है। मैं भी सिलेक्ट कमेटी का एक सदस्य था और उसमें जो बहस हुई और जिस तरह से दफा १६ सिलेक्ट कमेटी से गुजरी उसका इतिहास मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा।

दफा १६ को अगर ठीक तरह से समझा जाय तो वह इस बिल की जान है। इसलिए इसको विचारते वक्त सब दृष्टिकोणों को सामने रखा गया था। यह कहा गया है कि नेतागिरी की दौड़ है और यह भी कहा गया कि प्रगति की दौड़ है, वह उससे आगे छलांग मारना चाहता है तो वह उससे २० कदम आगे दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यह अपने अपने कहने का ढंग है, तरीका है; मगर मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें किसी की दौड़ नहीं है, वास्तविकता का ही बयान है। यह हमको मानना पड़ेगा कि सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त आज की मौजूदा हालत के अन्दर, सिलेक्ट कमेटी की राय में यह ठीक समझा गया कि जब कि आर. पी. टी. ओ. हट जायगा इस कानून के पास होते ही वे सब बेदखल कर दिये जावेंगे, इसलिए वे बेदखल न हों और उनके पास जो कि खेती की जमीन वे जोते हैं वह उनके पास जमीन रहे जिससे कि वे अपना गुजारा कर सकें। प्लानिंग कमीशन ने पहले यह सुझाव हमारे सामने रखा था और उसके आधार पर सिलेक्ट कमेटी में इस तरह की तरमीम पेश हुई थी और वह प्रिन्सिपल था रीज़नेबल लिमिट्स के बारे में। जिन खातेदार के पास या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के पास ये जिस लिमिट से जो उस दफा में ७० एकड़ या ७५ एकड़ या जो कुछ मुकर्रर है उस जमीन को रखे और उससे ज्यादा हो, एक्सेस हो तो वह सब टिनेन्ट को दे दिया जाय। ऐसी तरमीम आई थी और उस पर बहस की गई थी। उसके बाद उस तारमीम की बहस के दौरान में यह ठीक समझा गया कि रिज़नेबल लिमिट्स के जो प्रिन्सिपल्स माने गये हैं कि १२००) रु० साल की आमदनी हो तो इस लिहाज से जो टुकड़ा बच जायगा और सब टिनेन्ट के पास जो रहेगा उससे उसका गुजारा नहीं होगा। असली बात यह मानने की है। इसमें किसी की दौड़ नहीं। सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के पास, जो आज तक खेती कर रहे हैं, कम से कम इतनी जमीन चाहिए कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके, यही दृष्टिकोण सामने आया। उसके लिये केलक्युलेशन किया गया और समय १३१ दफा में रखा गया। यदि १२००) रुपये की आमदनी साल भर में हो जाय तो उतनी जमीन उसके पास छोड़ देनी चाहिए और उससे ज्यादा हो तो टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त रह सकता है, खातेदार के पास छोड़ी जा सकती है। यही उसूल समझा गया। रीजनेबल लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए यही उचित समझा गया और इसलिए १३१ के बजाय १६ ए जोड़ा गया है। मगर दफा १६ का ड्राफ्ट पहले हो चुका था और

[श्री मथुरादास माथुर]

उसके बाद में रीज़नेबल लिमिट के अधिकारों की दफा १३१ ड्राफ्ट हुआ था । फिर हमने इस सिद्धान्त को बदल दिया । जब आखिरकार १३१वीं धारा पर सिलेक्ट कमेटी में बहस हुई तो उसमें इस सिद्धान्त को इनकोरपोरेट (incorporate) किया गया । वहां तो इसको इनकोरपोरेट कर दिया गया, किन्तु यह १६वीं धारा पीछे छूट गई । इस एक्ट की धारा १६ ए को पढ़ा जाय और सिलेक्ट कमेटी द्वारा शोधित धारा १३१ को पढ़ेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं निकलता, दोनों दफा आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं । दफा १३१ में १२००) रुपये तक की आमदनी की जमीन खुदकाश्त के लिये छोड़ देनी चाहिये । उसको खातेदारी के हक मिल जाते हैं । यह उस क्लॉज़ में कहा गया है । १६ ए में "नोट" लफ्ज़ नहीं हो तो इससे वह मतलब जोड़ नहीं खाता । यह अन्तर सिलेक्ट कमेटी द्वारा ही रखा गया था । वह गलती से रह गया होगा । उस समय १३१ को देखकर ड्राफ्ट हुआ था और शुरू २ में ही हो गया था । जब हम रीज़नेबल लिमिट लागू करते हैं तो १६ ए की भाषा ठीक प्रतीत होती है । जब हम १३१ को लागू करते हैं तो "नोट" शब्द आपको डालना पड़ता है, बिना इसके मतलब नहीं निकलता है । यह दफा १६ ए का ड्राफ्ट है, वह लेंग्वेज की भूल से रह गया है । यह इसका पूरा इतिहास है । जो मैंने आपके सामने रखा ।

अब मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्लॉज़ में इसलिए गलती रह गई थी कि इसका ड्राफ्ट पहले हो चुका था और १३१ का बाद में । रीज़नेबल लिमिट के बारे में जो अधिकार क्लॉज़ १३१ में है यदि हम उसका ध्यान नहीं रखते तो यह गलती रह जाती । यह गलती सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में है । अगर नाथूरामजी ने इसमें तरमीम पेश नहीं की होती तो इसका मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता, १६ ए के मायने कुछ नहीं होते । यह मैंने जानकारी इसलिये रखी है कि 'नोट' शब्द के बारे में जो गलतफहमी हुई थी, उसको दूर करूं ।

श्री हिम्मतसिंह—ऐसे अधूरे बिल यहां क्यों पेश किये गये ?

श्री मथुरादास माथुर—बिल तो पूरा है । सही तरीके से पढ़ा जाय तो वह 'नोट' गलती से रह गया था । वह गलती बताई गई है । हमें यह आशा थी कि सदस्यगण जरा दिमाग लगायेंगे और इसको ठीक करेंगे ।

दूसरी दलील हमारे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दी और पन्त रिपोर्ट का हवाला दिया । उन्होंने यह कहा कि पन्त रिपोर्ट में जो तथ्य है उससे दूर हो रहे हैं । इस बारे में दो तरह की विचारधारायें हैं । एक तो एक्स्ट्रीम राइटिस्ट और दूसरा एक्स्ट्रीम लेफ्टिस्ट; दोनों का हमला इस पर हो रहा है । एक तरफ से तो यह कहा जाता है कि कम्पेन्सेशन क्यों दिया जाता है और कुछ साथी जो उधर बैठे हुए हैं उनका यह कहना है कि यह एक हाथ से पन्त रिपोर्ट के अनुसार दिया जा रहा है और दूसरे हाथ से उसे सरकार ले रही है । इस प्रकार इन दोनों प्रकार की विचार-धारा रखने वालों की तरफ से हमला हो रहा है । इस तरह से दोनों तरफ से जो

[श्री मथुरादास माथुर]

हमले हो रहे हैं उस स्थिति को खूब समझ कर, जब कि दोनों का दृष्टिकोण मिलता नहीं है तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला है। वही ठीक रास्ता है और उसी के अनुसार हमने जागीरदारों को कम्पेन्सेशन दिया है इससे जागीरदारों को जो प्रोप्राइटरी राइट्स थे वे हमने छीन लिये हैं और उनको खातेदार बना दिया है। यह जो कम्पेन्सेशन दिया गया है वह प्रोप्राइटरी राइट्स छीन कर खातेदार बनने के लिए और अब जो खातेदार बन गये हैं तब वे उन खातेदारों की श्रेणी में आ जायेंगे जो आज मौजूद हैं; उनमें और इनमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। और जब खातेदारों के हकों को छीनने की बात आयगी तब उनको भी कम्पेन्सेट करके उनके हकों को भी छीना जा सकता है। पहले प्राप्त किये हुए मालिकाना हकों को छीन करके हम उनको खातेदारी के हक दे रहे हैं, और प्रोप्राइटरी राइट्स के छीनने के एवज़ में कम्पेन्सेशन दे रहे हैं।

लेफ्टिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि उनके पास काश्त के लिये जो जमीन थी वह हमने उनसे छीन ली है और जागीरी रिज़म्पशन में हमने काश्त के लिये जमीन दी है, दे रहे हैं और दी जायगी। इसके बाद वे राजस्थान के किसान बन जाते हैं और खातेदार बन जाते हैं। जो उनको प्रिविलेज़ दिये गये हैं उनके लिये दुबारा कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है। अगर हमारी नीयत में खराबी होती तो पन्त रिपोर्ट की अवहेलना करके भी हम उनके मालिकाना हकों को छीन सकते थे और मालिकाना हकों को छीन कर हम आपको खातेदार के हक भी नहीं देते, लेकिन हम आज उनके इन हकों को कनफर (Confer.) कर रहे हैं। उनके हकों को छीनकर हम उनको हर तरह से उनकी जमीन को वितरण करवाते। मगर हमारी मन्शा यह नहीं थी। हमारी मन्शा जो रही है वही जागीरदारों की भी वही मन्शा रही है कि हम कोई प्रिविलेज़ नहीं चाहते, हमको केवल काश्त की जमीन दी जाय। हम लोग जागीरदारों को कम्पेन्सेट कर रहे है। हो सकता है वह १५ टाइम्स हो। जब हम उसके ऊपर गौर करेंगे तब देखा जायगा कि उसके ऊपर आप लोगों को जो भी सुझाव होंगे उन पर भी मेरा ख्याल है माननीय मन्त्री अवश्य गौर करेंगे और सदन के इस तरफ बैठने वाले सदस्य भी गौर करेंगे। इसलिए जो कुछ मुख्य पोइन्ट उठा था उनका स्पष्टीकरण हो चुका है। आशा है इस क्लॉज़ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about exemption of uneconomic holdings on Payment of compensation.

श्री मथुरादास माथुर—आगे और दफा आवेगी और उस पर बहस करेंगे तब ये बातें भी आ जायगीं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष जी, दफा १६ ए. पर काफी बहस हो चुकी है। जहां तक दफा १६ का प्रश्न है, जहां इसमें एक तरफ सिद्धान्त का प्रश्न है वहां इसमें कठिनाइयां और

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

बारीकियां भी हैं। कुछ खण्ड जो पहले हमने पास किये हैं, कुछ क्लॉजेज़ से १३१ सबटिनेन्ट और खुदकाश्त टिनेन्ट से संबन्धित हैं। आगे आते है। उनसे यह पता चलता है कि दरअसल यह टीनेन्सी बिल पास करने में हमारी इच्छा क्या है ? सदन और हम यह स्वीकार करते हैं कि जमीन पर उसी का हक है जो उस पर काश्त करता है। जिस वक्त खुदकाश्त की परिभाषा पर बहस हो रही थी, जिस वक्त खातेदार की परिभाषा पर बहस हो रही थी, उस वक्त यह ऐतराज किया गया था कि बहुत सारा जमीन खुद-काश्त में दर्ज करा ली है। बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो दरअसल काश्तकार नहीं किन्तु पटवारियों से मिलकर, राज्य की मशीनरी से साजिश करके जिन्होंने अपने नाम खातेदारी के खानों में दर्ज करा लिये हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक बड़ा पेचीदा प्रश्न आता है कि एक तरफ तो हम उन आदमियों को; उन काश्तकारों को जो "otherwise than as a sub-tenant or tenant of Khudkasht" हैं, उनको इस टीनेन्सी एक्ट में हम खातेदारी के हक देते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो उन्हीं की तरह काश्त करते हैं, लेकिन गलतफहमी की वजह से या वैसे साधन प्राप्त न होने की वजह से अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज कराने में असमर्थ रहे हैं। हमने जो धारायें पास की हैं उसमें स्पष्टतया माना है कि सब टिनेन्ट को खातेदार काश्तकार से कुछ कम हक देना चाहते हैं। सबसे पहला अधिकार जो कि आगे धाराओं में दिया हुआ है वह है सबटिनेन्ट को बेदखल नहीं किया जा सकता, जैसा कि १३१ में दर्ज है। १३१ में स्पष्ट है कि १२०० रुपये की आमदनी वाला सब टिनेन्ट, टिनेन्ट और खुदकाश्त बेदखल नहीं किया जा सकता। बेदखल नहीं किया जा सकता इसके मायने मेरी समझ में यह नहीं आता है कि खातेदारी हकूक उन्हें न दिये जावें; क्या यह संभव हो सकता है ? आज लेन्ड होल्डर, खातेदार टीनेन्ट, और सब टीनेन्ट को किसी भी वजह से बेदखल नहीं कर सकते तो फिर क्या अर्थ है इस बिल का कि उन लोगों की जिन्दगी सप्लीमेन्ट चलती रहे। अगर हम क्लॉज़ ६७ को मुलाहिजा करें तो उसमें मेक्जिमम रेन्ट मुकर्रर की है। इससे पता चलता है कि हमने सब टिनेन्सी को डिस्करेज करने का प्रयत्न किया है और कम से कम रेन्ट देने का प्रयत्न किया है, यहां तक कि इसमें यह लिखा है कि हम डेढ़ गुना से ज्यादा रेन्ट सब टीनेन्ट को नहीं देंगे। जिसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ हुआ कि एक खातेदार काश्तकार, जो खुद जमीन काश्त नहीं करता है पर सब टीनेन्ट की मार्फत कराता है तो अगर वह लैण्ड रेवेन्यु के रूप में ४०) रु० सालाना सरकार को देता है तो अपने टिनेन्ट से वह ६०) रुपये से ज्यादा नहीं ले सकता। इसका मतलब यह हुआ कि वह २०) रु० से ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकता। इसकी वह दूसरा मतलब भी हुआ कि एक तरफ तो उसको बेदखल नहीं कर सकता और दूसरी तरफ डेढ़ गुना से ज्यादा लगान नहीं ले सकता। तो ऐसी स्थिति में सालाना २०) बीस रुपये की आमदनी पर उसे डिपेन्ड रहना पड़ेगा और यह खातेदार के तो इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा कि सब टिनेन्ट खातेदारी राइट्स ले ले और जो खुद खातेदारी टिनेन्ट है वह केवल २०) रु० सालाना आमदनी में ही सब्र करे। तो इससे कठिनाइयां पैदा होंगी।

तो सिद्धान्त रूप में हमने यह स्वीकार किया है कि सब टिनेन्ट को उस जमीन में खातेदारी राइट्स मिलने के अधिकार होने चाहिये जिससे उसे कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं हो सकती, खातेदार टिनेन्ट उसे कानूनन या और किसी तरह से सता नहीं सकेगा।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

दूसरी तरफ मेरे लायक दोस्त ने कहा है कि सिलेक्ट कमेटी में हमने यह सिद्धान्त माना था कि अगर लैण्ड होल्डर के पास मिनिमम से ज्यादा जमीन है जो प्रेस्क्राइब्ड गवर्नमेंट लिमिट पर ३० बीघा या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वहां की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है,उससे अधिक जमीन हो तो उस पर सब टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स मिल सकते हैं और उस मिनिमम पर लैण्ड होल्डर को खातेदारी राइट्स मिल जायें।

मैं अर्ज करता हूँ कि यह वाकयात के खिलाफ बात है। जैसे श्री मथुरादास जी ने बताया कि यह सही है कि जिस वक्त हमने दफा १६ पास की थी उस वक्त यह प्रश्न सिलेक्ट कमेटी के सामने था। लेकिन जिस समय १३१वें क्लॉज पर बहस हो रही थी तो हमारे सामने एक दूसरा सुझाव आया था और वह यह था कि हमें तो ऊपर से नहीं नीचे से सिलेक्ट करना चाहिये। जब सिद्धान्त रूप में हम यह मानते हैं कि सब टीनेन्ट को जमीन पर अधिकार मिलना चाहिये, जिसे सिलेक्ट कमेटी ने उस वक्त माना था और जिसमें मेरे लायक दोस्त भी सदस्य थे तो उस समय भी आपकी कोई तरमीम नहीं थी। यह सर्वसम्मति से सिलेक्ट कमेटी में मन्जूर हुआ था और १२००) रु० मिनिमम आमदनी की जमीन का सिद्धान्त हमने माना था और यह तय किया था कि इसी को आगे चल कर लेजिस्लेचर से पास कराना है। तो ऐसी स्थिति में श्री नाथूराम जी की यह तरमीम बिल्कुल सही है कि हमें खातेदारी राइट्स उन सब टिनेन्ट्स को या खुदकाश्त टिनेन्ट्स को उस हद तक दे देना चाहिये जो १३१ के अन्दर प्रोवाइडेड हैं।

अब इस बहस के दौरान में मैं इसके लफ्जों पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। श्रीमिर्धाजी ने अमें डमेंट रखा है कि "A tenant of Khudkasht or a snb-tenant of land, other than a grove land, who, at the commencement of this Act, was in possession of land which had beenlet or sub-let to him shall, on payment of the compensation under this Act, have the right to apply to the Sub-Divisional Officer in the prescribed form for the acquisi- tion of Khatedari rights and the rights in improvements." etc. etc. तो इससे पता चलता है कि पहले सब टीनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को कम्पेन्सेशन दे देना पड़ेगा और इसके बाद अधिकार मिलेंगे खेती करने के। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे मित्र नाथूरामजी की यह मंशा है कभी कि पहले कम्पेन्सेशन दे, डिटर्मिन नहीं होने से पहले। तो डिटर्मिन होने से पहले ही क्यों डिपोजिट करा दिया जावे ? इसलिए मेरा ख्याल है कि शायद इससे उनकी मंशा यह थी कि अगर वह सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त, खातेदारी राइट्स किसी जमीन पर लेना चाहें तो कम्पेन्सेशन देने के लिए जिसका कि जिक्र इसके अन्दर है वह एप्लाई कर दें। तो ऐसी स्थिति में मैं श्री मिर्धाजी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इसके लिये क्लैरिफिकेशन दें। या मैं जहां तक समझा हूँ उनकी मंशा यह है कि अगर कोई सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त इस बात के

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

लिए तैयार है कि वह कम्पेन्सेशन देने के लिए राजी है तो उनको अधिकार मिलने चाहिये और कम्पेन्सेशन के लिए एप्लाई कर दें, न कि पहले कम्पेन्सेशन दे और फिर एप्लाई करने का अधिकार मिले। तो यह स्पिरिट, जहां तक मैं समझा हूँ उनकी नहीं है। यह केवल भाषा की गलती हो सकती है। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से इस भाषा को इस तरह से कर दिया जावे तो अच्छा होगा : "A tenant of khudkast or a snb-tenant of land, other than a grov-land, who, at the commencement of this Act, was in possession of land which had been let or sub-let to him shall, if he is prepared to pay compensation under this Act, have the right" तो मेरे ख्याल से जो मंशा आपके अमेंडमेंट की दिखती है वह इस संशोधन में फिट बैठेगी।

दूसरी बात मैं आपके सामने और अर्ज करना चाहता हूँ। एक तरफ तो हमने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया है कि सब टिनेन्ट को और खुदकाश्त टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स के अधिकार उस जमीन में दे देने चाहिये जिसका मिनिमम एरिया गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे। इसी में, यह भूलना नहीं चाहिये कि एक बात और भी लिखी है और वह है कि : "in the prescribed from for the acquisition of khatedari rights and the right in improvements in the part of the land which is in excess of the minimum area prescribed by the State Government for purposes of clause (a) of Section 131." तो मैं यह अर्ज करता हूं कि ऐसे भी बहुत से केसेज़ हैं कि एक जमीन जिस पर कि एक सब टीनेन्ट काबिज़ है वह सौ बीघा जमीन है और उस पर एक कुआ है और उसमें मिनिमम लिमिटेशन कर देने के बाद भी ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि जिसमें उसको ८०-९० या ५०-६० बीघा तक खातेदारी अधिकार इस कानून की तहत मिलें। पर उस साठ या पचास बीघा में यह भी मुमकिन हो सकता है कि जो कुआ दूसरे शख्स ने खुदाया है वह इस साठ बीघा में या पचास बीघा में शामिल न हो। ऐसी स्थिति में उसकी क्या स्थिति होगी, उस खातेदार काश्तकार की और उस सब-टिनेन्ट की कि जिसको हम खातेदारी हकूक इस कानून के तहत देना चाहते हैं क्योंकि उसकी होल्डिंग तो उस स्थिति में ६० बीघा की होगी। उसके आगे बाकी ४० बीघा जो बचेगी वह उस लैण्ड होल्डर के पास जावेगी और यह भी मुमकिन है कि वह, जो इम्प्रूवमेन्ट उस जमीन पर सब टिनेन्ट ने किया है या जो कुआ है जोकि उस चालीस बीघा में भी हो सकता है तो उसके लिए हमने क्या प्रोविजन इस कानून में रक्खा है। इसके भी स्पष्ट क्लेरिफिकेशन की यहां जरूरत है क्योंकि इससे यह साफ जाहिर नहीं है कि आया उसमें उस सब टीनेन्ट का पूर्ववत् अधिकार होगा या उसके लिए भी एप्लाई करने का अधिकार होगा या नहीं होगा। क्योंकि वह उसकी होल्डिंग में पहले था जो बाद में नहीं आवेगा। फिर ऐसा भी सम्भव है कि पहले उसके अधिकार में सौ बीघा चाही जमीन रही हो और बाद में खातेदारी के हकूक के वक्त जो जमीन बची उसमें वह कुआ नहीं आया या जो इम्प्रूवमेन्ट किया वह चला गया या चाही न मिल सकी, तो क्या वह कुआ खरीद कर सकता है या क्या होगा, इस सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी यह विचारने की बात होगी ?

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

दूसरा गम्भीर प्रश्न यह है कि सब टिनेन्ट और टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त से तो कूए का कम्पेन्सेशन न दिलाने की बात सोचते हैं पर खुदकाश्त होल्डर या खातेदार टिनेन्ट को कूए आदि के लिए २०-२० और १८-१८ गुना कम्पेन्सेन्शन नाल बंट के रूप में दिया जाता है। इसकी बात हम समझते हैं, पर ऐसे भी केसेज हैं कि जहां काश्तकार को खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं क्योंकि वे एज ए सब टिनेन्ट या टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त वहां काबिज थे; पर जहां नाल बंट जागीरदार की हैसियत में आते थे ऐसी स्थिति में क्या सूरत होगी, उसके भाग का कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी विचारने की बात है। हम उसको कम्पेन्सेशन देने की बात सोचते हैं या नहीं सोचते हैं?

इस बात के कम्पेन्सेशन के लिए भूलते हैं तो उस स्थिति में क्या करें। एक आदमी एक कुआ बनाता है। एक तरफ तो उस काश्तकार को खातेदारी के हक मिलते हैं तो उस कुए का कुछ नही मिलेगा। एक तरफ किसी वजह से खातेदारी के हक नहीं मिलने चाहिए तो सब टिनेन्ट को हक मिलता है, बीस गुना तक कम्पेन्सेशन मिलता है तो फिर उसने कुआ बनाया है और नाल बंट ले त रहा है। उनके कम्पेन्सेशन नहीं देने की बात मेरी समझ में नहीं आई।

भारतीय विधान के मुताबिक किसी आदमी की मिल्कियत बगैर कम्पेन्सेशन दिये ट्रान्सफर नहीं करा सकते। कुछ गुना लगान देकर काश्तकार खातेदारी के हकूक प्राप्त कर सकता है तो क्या एक शख्स जिसने कि कुआ बनाया है तो उसकी मिल्कियत को ट्रान्सफर करा सकते हैंबगैर उसको कुछ पैसा दिये, बगैर कुछ कम्पेन्सेशन दिये। क्या ऐसा अधिकार हमको विधान ने दे रखा है? मेरे सामने यह बड़ी शंका है। विधान में कभी किसी की प्रोपरटी को बगैर कम्पेन्सेशन दिये लेने का अधिकार नहीं है। हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स लगा सकते हैं कि कम्पेन्सेशन किस मात्रा में होना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं कि यह बात आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। जिन लोगों को कुआ हम काश्तकार से दिलाते हैं और जो कि इम्प्रूवमेंट की तारीफ में आता है उस सूरत में ओटोमेटीकली उनको लेने का अधिकार इस एक्ट के मुताबिक देते हैं; तो क्या उनको बगैर कम्पेन्सेशन दिये ही हम ट्रान्सफर करा सकते हैं? यह एक विचारने की बात है।

दूसरा एक प्वाइन्ट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं...

श्री माथुर राम माथुर—कितना देना है वह (१६) सी और (बी) में है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कम्पेन्सेशन देना है या नहीं, यह प्रश्न १६ ए में डील किया गया है और कम्पेन्सेशन क्या देना है वह (सी) व (बी) में है। विचारने की बात यह है कि कम्पेन्सेशन देना या नहीं? नहीं देना कानूनन जस्टीफाइड है या नहीं? नहीं देने के लिए यह बात १६ एमें चली गई है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि "On payment of compensation." यह लफ्ज इसमें लिखे हैं और (सी) में तादाद कायम की गई है, उसकी मात्रा कायम की गई है।

[श्री कपीलदेव अग्रवाल]

एक सवाल और है वह period of six months" का। माननीय-गोपीलालजी ने बताया कि "period of six months" फिक्स करना कानूनन गलत है। एक सबटिनेन्ट को आप यह अधिकार देते हैं कि वह ६ महीनों में यह एप्लाई कर सकता है कि उसको खातेदारी राइट्स दिये जायं। मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मिर्धा साहब से कि समझ लीजिये कि ६ महीनों में वह नहीं करता है तो क्या कर सकता है यह कानून। वह नहीं करता है तो कौनसा हक खत्म कर देता है? क्या कानून उसको खातेदारी राइट्स लेने के जो हकूक हैं उनसे रोक सकता है? तो क्या इसी एक्ट में आगे कोई क्लॉज़ है जिससे उसके हकूक खत्म होंगे, ऐसा कोई क्लॉज़ इस एक्ट में नहीं निकला है कि ६ महीनों में अगर सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त नहीं एप्लाई करता है तो क्या होगा उस स्थिति में? उस स्थिति में क्या होगा, ऐसा कोई प्रोवीजन बनाया नहीं। मैं यह अर्ज करता हूं कि जहां १३१ के अन्दर आपने ऐसा कानून बनाया है कि ३ साल के अन्दर अन्दर उसको ऐसा काम करना चाहिए। सबटिनेन्ट को ऐसी स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रोसीडिंग्स या ऐसा स्टेप लेना चाहिए, उसको खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए। अगर नहीं लेगा तो उसको इजेक्ट कराने के लिए लेन्ड होल्डर एप्लाई कर सकता है। तो मानलीजिये कि वह ३ साल तक नहीं करता है तो इजेक्टमेंट का प्रश्न आयेगा। आप एक तरफ यह कहते हैं कि ६ महीने में उसको कर देना चाहिए तो फिर ढाई साल के पीरियड के लिए क्या प्रोवीजन है। यह इस एक्ट से स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए मैं यह उम्मीद करूंगा कि एक दफा जिस टिनेन्ट को यह अधिकार दिया है कि वह खातेदारी राइट लेने के लिए एप्लाई कर सकता है तो हम उसके हकूक को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक पोज़ीशन आ सकती है और वह दलील बहुत अच्छी है कि एक सबटिनेन्ट क्यों लेगा खातेदारी हकूक? वह नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अगर उसको २०) रू० साल का ज्यादा देना पड़ता है तो देता रहेगा बजाय इसके कि वह दस गुना या २० गुना कम्पेन्सेशन देना पसन्द करेगा। ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कई लेन्ड होल्डर्स या खातेदार टिनेन्ट्स को अच्छी सालाना आमदनी से लटकाया नहीं जा सकता। इस लिए खातेदार टिनेन्ट या लेन्ड होल्डर्स की क्लॉज़ को असुविधा हो सकती है और वह यह कह सकते हैं कि हमें तो कम्पेन्सेशन दिलाकर खातेदारी राइट्स दिला दीजिये, उस सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को। तो ऐसी स्थिति में हमें यहां इस एक्ट में कोई अधिकार नहीं होता है कि अगर टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त एप्लाई नहीं करता है ६ महीने के अन्दर तो खातेदार टिनेन्ट या कि जो खुदकाश्त होल्डर है वह यह एप्लाई कर सके कि मुझको कम्पेन्सेशन दिला दिया जाय और उसको खातेदारी के राइट्स दे दिये जायें। ऐसा अगर इसमें प्रोवीजन रख देने पर टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त इसको एवोइड कर सकता है तो अगर उनकी डिफीकल्टीज़ को मद्देनजर रखते हुए खुदकाश्त होल्डर या खातेदार टिनेन्ट एप्लाई कर सकता है कि सबटिनेन्ट को अधिकार दे दिया जाय खातेदारी के और उनको कम्पेन्सेशन दिला दिया जाय तो इसका समन्वय हो सकता है। अगर सब टिनेन्ट खातेदार नहीं बनना चाहता है या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त नहीं लेना चाहता है खातेदारी के हकूक तो यह डिफिकल्ट है कि उसके लिये उसको मजबूर किया जा सकता है कि अगर खातेदार टिनेन्ट खातेदारी के हकूक लेना चाहता है तो कम्पेन्सेशन लेकर दिये जा सकते हैं और यह समन्वय कुछ इस किस्म का बैठ सकता है। इसके लिए माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

एक यह है कि : "and the rights in jmprovement in the part of the land which is not in excess" तो एक यह अर्ज करना है कि जहां हम सब टिनेन्ट को यह अधिकार देते हैं कि वह खातेदारी के हक़ूक प्राप्त कर सके तो हमारी भाषा यह है इस एमेंडमेंट की कि "on payment of the compensation under this Act, have the right to apply to the Sub-divisional Officer in the prescribed form for the acquisition of Khatedari rights and the right in improvements......" यह एक सब टिनेन्ट को महज खातेदारी राइट्स एक्वायर करने का ही अधिकार हमें नहीं देता है बल्कि उसके लिए हमने यह लाजमी रखा है कि वे जो इम्प्रूवमेंट हैं, जो कुए बने हुए हैं या दूसरे इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके लिए भी उसको लाजमी तौर पर एक्वीजिशन के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। यह हमारी भाषा है। तो क्या माननीय मिर्धाजी यह चाहते हैं कि अगर कोई सब टिनेन्ट कोई खातेदारी राइट्स एक्वायर करे तो उसके इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी साथ साथ एप्लाई करना पड़ेगा ? मेरा ऐसा खयाल है कि ऐसा इस क्लॉज़ में प्रोवीज़न रखा जाय कि खातेदारी राइट्स की दरख्वास्त देने के बाद उसको कम्पलसरीली इम्प्रूवमेंट्स के लिए एप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लाई सिर्फ खातेदारी राइट्स के लिए करना चाहिए लेकिन जो बाकी के इम्प्रूवमेंट्स हैं उसके लिए कम्पलसरिली उसको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। उसके लिए सेपरेटली एप्लाई करने की बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि एप्लाई करने के लिए कम्पलसरी नहीं है कि एप्लाई करे ही। अगर यह आवश्यक नहीं है तो जहां कि इम्प्रूवमेंट्स की परिभाषा दी है वहां हमने यह माना कि कुए खोदना, बान्ध बनाना यह इम्प्रूवमेंट की तारीफ में आता है; तो जमीन के साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स जायेंगे। एक जमीन एक हेन्ड से दूसरे हेन्ड को पास होती है, जमीन ट्रान्सफर होती है चाहे सेल से, गिफ्ट से या चाहे एक्वीजिशन से तो जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हैं उस जमीन में वे आॅटोमेटिकली ट्रान्सफर हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि खातेदारी हक़ूक के लिए सब टिनेन्ट दरख्वास्त पेश करता है तो उसके साथ साथ यह लाजमी रखा जाय कि इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी एप्लाई करें, इम्प्रूवमेंट्स के एक्वीज़िशन के लिए उसको अलग दरख्वास्त देना पड़े। स्थिति यह है कि इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ ट्रान्सफर होंगे। उसके लिए अलग एप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए सेपरेटली कम्पेन्सेशन क्या होगा और कैसे होगा, यह बात विचारने की होगी। जैसा कि आयन्दा के प्रोवीज़न में है, यह बात आयेगी।

जैसे मैंने पहले आपके सामने यह कहा था कि बार बार यह कहा जाता है कि जागीरदारों का इसमें सवाल है, लैंड होल्डर्स का इसमें सवाल है तो मैं यह गुजारिश करता हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स या रिज़म्पशन आॅफ जागीर बिल पहले हमारे सामने था, जो अब एक्ट बन चुका है और ज्यादातर जागीरें अबोलिश हो चुकी हैं। श्री गोपीलालजी ने जैसा फरमाया हमारे सामने जागीरों का प्रश्न अब नहीं है, इस वक्त तो हमारे सामने प्रश्न यह है कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको जमीनें कैसे दी जायं ? जो लोग खुदकाश्त नहीं करते हैं और जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिन्होंने खातेदारी में या खुदकाश्त के नाम से ज्यादा जमीन दर्ज करवाली है उनसे जमीन लेकर, जिनके पास नहीं है, उनको कैसे दी जाय ? आज हमारे सामने न तो जागीरदारों की समस्या है और न दूसरों

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

की। आज जब हम यह देखते हैं कि एक एक खातेदार के पास पांच-पांच सौ बीघा जमीन है तो हम नहीं चाहते कि उनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन रहे। जहां जागीरदारों से जमीन लेने के लिये एक्ट बनाया है वहां हम यह भी चाहते हैं कि जो खातेदार काश्त नहीं करते हैं उनसे जमीन लेकर दूसरों को दी जाय। यह जागीरदारों का कहां सवाल है? फिर आप क्यों ऐसा झगड़ा डालते हैं? हमारा मकसद टिनेन्सी बिल पास करने का यह है कि इससे टिनेन्ट्स का भला किया जाय और साथ में लार्जर इन्ट्रेस्ट (larger interest) यह है कि कौन से ऐसे टिनेन्ट्स हैं जिनको मेग्ज़िमम फायदा देना चाहिये। जागीर रिजेम्प्शन के बाद जागीरदार भी खातेदारी टिनेन्ट्स में आ जाते हैं। यदि वे भी बड़े खातेदार हैं तो उन पर भी यह चीज लागू होगी। ६० लाख जनता के लिये यह कानून है। किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के लिये यह कानून नहीं है। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, गुजारिश करता हूँ कि यह कहा जाता है कि यह जागीरदारों का हौवा है, तो मैं इस बात को मानने के लिये असमर्थ हूं। काश्तकारों का ज्यादा फायदा करने की दृष्टि से यह सेक्शन टिनेन्सी बिल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हम बेसिक राइट्स काश्तकारों को देना चाहते हैं। इसमें किसी को संदेह या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। हम क्या हक़ देना चाहते हैं यह साफ है। इस बारे में एक अमेंडमेंट मुझे पसन्द आया। मालूम नहीं मंत्रीजी उसे मानने के लिये तैयार होंगे या नहीं, लेकिन वह अच्छा सुझाव है। जो काश्तकार १२ साल से एक ही भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है उससे कम्पेन्सेशन नहीं लेना चाहिये। यह बात सिद्धान्त रूप से भी ठीक है। सेटलमेंट कानून के अनुसार भी यदि कोई काश्तकार १२ साल से काश्त करता आता है तो उसको खातेदारी हक आॅटोमेटिकली मिल जाने चाहिये। यह लॉ है, स्पष्ट लॉ है। यदि किसी कारण से उनको खातेदारी हक नहीं मिल सके हैं और २०-२५ साल से काश्त करते आये है और रेकर्ड में सब टिनेन्ट्स दर्ज हैं, सब टिनेन्ट्स कहलाते हैं, तो मेरी निजी राय में कम्पेन्सेशन ऐसे काश्तकारों से दिलाना गैर वाजिब है। इन बातों के साथ मैं अर्ज करता हूं कि श्री नाथूरामजी ने जो तरमीम रखी है उसमें "On payment of Compensation" की जगह यदि "if he is prepared to pay Compensation" शब्द रखे जायें और नालबांट के कारण और कम्पेन्सेशन कुओं के मुत्तलिक जो बातें दर्ज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री **गोपीलाल यादव**—On a point of explanation, sir, इस सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी का ज़िक्र आया है और मेरे दो मित्रों ने यह कहा कि सिलेक्ट कमेटी में जो चीजें मैंने बताई वे नहीं आई। अभी मेरे सामने रेकर्ड तो नहीं है लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। माननीय मित्रों के शब्दों को सही मानते हुए मैं अपनी बात को सही बताना चाहता हूं। उन्होंने यह माना है कि रिज़्यूमेबल लिमिट वाला सेक्शन था और उसमें यह था कि एक लैंड लोर्ड के पास इतनी जमीन है या कम है तो रिज़्यूम कर सकता है, ज्यादा है तो नहीं कर सकता। इस लाइट में यह भावना आई कि इसमें एक्सेस रखा गया है। यदि लैंड लार्ड के पास ज्यादा जमीन हैं तो उस जमीन के लिए काश्तकार दर्ख्वास्त दे सकता है, यह हमारे माननीय मित्र ने मान लिया। यहां

[श्री गोपीलाल यादव]

"not" रह गया । वहां 'in excess' था इसका मतलब यह था कि वह खातेदारी राइट्स के लिए दरख्वास्त तब कर सकता है जब रिज्यूमेबल लिमिट से ज्यादा जमीन है । वह लिमिट १३१ के प्रोविज़ो में बताई गई है । उसमें ६० एकड़ अन-इरिगेटेड, ३० एकड़ इरिगेटेड लिखा हुआ है । इससे ऊपर है तो दरख्वास्त दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता । यदि इसको 'इन एक्सेस' मान लिया जाय तो सेक्शन १३१ एब्सर्ड (absurd) हो जाता है । वह कैसे हो जाता है ? इस (सी) और (डी) में लिखा है कि:

"(c) that the land has been sub-let by the land holder on account of any disability mentioned in section 37 and he requires it for personal cultivation;"

कोई लिमिट नहीं है । इसके बाद : "(d) that the land had been personally cultivated by the land holder continously for 5 years prior to the year 1948 and the sub-tenant or tenant of Khudkasht has since..." यदि १६४८ से पहले मैं खुद अपनी जमीन जोतता रहा हूं तो मैं उसको वापिस ले सकता हूं । लेकिन यदि यह शर्त लगा दी जाय कि 'not in excess' है तो टिनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे और मेरी जमीन मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी । यदि वे क्लॉज़ १३१ को चेन्ज करना चाहते हैं तो १३१ को पहले ठीक कर लें, फिर १६ ए. को लें, क्योंकि इससे एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि हम क्या करना चाहते हैं । पहले रिज्यूमेबल लिमिट का सेक्शन तय करें, फिर १३१ को तय किया जाय और फिर १६ ए. को दूसरा सेक्शन चेन्ज करके रख दें; नहीं तो कल जब १३१ सेक्शन कंसीडरेशन के लिये आयगा तो उसमें और चेन्ज कर देंगे । मैं निवेदन करना यह चाहता हूं कि यहां १३१ इसलिये रख रहे हैं कि उससे ठीक तरह से लोगों के समझ में आ जाय । पहले हम यह समझा दें कि खुदकाश्त काश्त करते हैं तो हमें मिल जायगा, १६ ए पास करेंगे तो नहीं मिलेगा ! आप १३१ को पहले कर लीजिये फिर १६ ए को तय करें क्योंकि १६ ए. में १३१ को ला रहे हैं । १३१ क्लॉज़ इस बात के लिये रखा गया है कि उससे सब-टिनेन्ट्स को अधिकार देते हैं खातेदारी राइट्स देने के । जिस काश्तकार के पास रिज्यूमेबल लिमिट हो सकती है वह लिमिट १३१ के प्रोविज़ो में दी हुई है । उसमें साफ लिखा है कि :

"Provided that a land holder holding thirty acres of irrigated or ninety acres of unirrigated land under his personal cultivation shall not be entitled to apply for the ejectment of a tenant under clause (d) and a landholder........."

जो रिज्यूमेबल लिमिट १३१ में रखी थी वह १११ में अब भी मौजूद है लेकिन प्रोविज़ो के रूप में दी गई है । वह प्रोविज़ो यहां एप्लाई करेंगे । आप क्लियर करने के लिये यहां रख सकते हैं सेक्शन १६ ए. में ।

Clause 16 A.

"(1)......(a) the land for which the application is made in excess of the area prescribed by the State Government under Section 131;"

[श्री गोपीलाल यादव]

वे इसको फेल्योर कर देंगे, लेकिन आपने जिस मंशा से यह चीज रखी है वह यह है। अगर अब चेंज करना चाहते हैं तो यह कह कर चेंज कर सकते हैं कि हमें चेंज करना है; मगर यह कह कर चेंज नहीं कर सकते कि सिलेक्ट कमेटी की मंशा यह थी। लेकिन आप मेरी मेमोरी को गलत साबित नहीं कर सकते। यह कह कर चेंज कर दें कि सिलेक्ट कमेटी ने इस मंशा से रखा था और अब आपकी मंशा बदल गई है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १९ ए पर काफी बहस हो रही है; मैं भी इसके अन्दर अपना भाग लेना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ और यह कहने की आवश्यकता हुई : "मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त"। यह बात आज हमें हाउस में दिख रही है। श्री नाथूरामजी मिर्धा ने जब अपना अमेंडमेंट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि इस बिल का क्लॉज़ है उसमें और यह जो अमेंडमेंट पेश किया है उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। पर उनके पक्ष में बोलने वालों ने विचित्र बातें कह दीं और उनको सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। सिलेक्ट कमेटी के सामने यह रिज़्यूनेबल लिमिट की बात नहीं आई थी, आउट साइड दी हाउस, सिलेक्ट कमेटी से नहीं होने वाली बात को यहां हाउस में रखते हैं। समझ में नहीं आता कि मिर्धाजी ने तो सिर्फ अमेंडमेंट रखा है, जो लीगल लेंग्वेज को ठीक करता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सेक्शन १३१ और क्लॉज़ १९ को टेली करने के बाबत यह अमेंडमेंट लाया जाता है। श्री नाथूरामजी मिर्धा की तो यह मंशा नहीं, फिर इसके खिलाफ और और बोलते जा रहे हैं, यह किस प्रकार की बात है, मेरी समझ में नहीं आती है।

इसमें एक्वीजीशन ऑफ खातेदारी राइट्स को डील किया है। १९ ए में खातेदारी राइट्स सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को देने के लिये है। आखिरकार सब टीनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को आप खातेदारी राइट्स देना चाहते हैं और खातेदार टिनेन्ट को कोई अधिकार नहीं देना चाहते, यह कहां की न्याय की बात है? खातेदार टिनेन्ट को कोई अधिकार नहीं देकर आप सब-टिनेन्ट को और टिनेन्ट ऑफ खुद काश्त को खातेदारी के अधिकार देकर उसे खातेदार टिनेन्ट्स बनाना चाहते हैं और इस तरह वह सब टिनेन्ट हैं तो खातेदार टिनेन्ट बनेगा तो भी बिमारी तो बदस्तूर रही। पुराने खातेदार टिनेन्ट को खत्म करके नये खातेदार टिनेन्ट बनाना चाहते हैं तो भी खातेदार टिनेन्ट तो बदस्तूर रहे। तो ऐसी सूरत में जो खातेदार टिनेन्ट गवर्नमेंट से डाइरेक्ट होल्ड करते हैं उनको आप प्रोटेक्शन नहीं देते और आप सब टिनेन्ट को और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को प्रोटेक्शन देते हैं, जिनका गवर्नमेंट से कोई कन्सर्न नहीं।

आपने इसमें यह नहीं रखा है कि कितने साल तक काश्त कर लेने पर आप सब-टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स देने जा रहे हैं। यह नहीं होने से एक सब टिनेन्ट्स जो कल तक सब टिनेन्ट था वह खातेदार टिनेन्ट बना दिया जायगा। तो खातेदार टिनेन्ट क्या सौतेला लड़का

[श्री हिम्मतसिंह अटरु]

है और सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त क्या ज्यादा प्रिय हैं, खातेदार को जितना ट्रीटमेंट दें उतना ही और और टिनेन्ट्स को भी दें। इसके अलावा आपको यहां भी समानता रखनी चाहिये कि उधर १३१ के तहत एक सब टिनेन्ट से जमीन लेते समय, जमीन छुड़ाते समय समय वादा करते हैं कि कम से कम उसके पास १२०० की इन्कम की जमीन छोड़ दी जानी चाहिये, उधर खातेदार की आप कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं, उसके पास कुछ भी जमीन नहीं है तो वह भूखों मरता मर जाय तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं।

यह इस बिल की जान है, इसको बेजान क्यों बना रहे हैं ? इसमें जान तो रखिये, जिससे खातेदारों की जान तो बचे ! खातेदारों की जान नहीं बचा रहे हैं और सब-टिनेन्ट्स को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। फिर भी मर्ज तो वही का वही रहा, वह खातेदार टिनेन्ट बनेगा तो फिर उसके साथ भी आप इसी तरह का व्यवहार करेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १६ (ए) पर काफी चर्चा हुई। जिस वक्त मेरे मित्र नाथूरामजी मिर्धा ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया था मुझे अचम्भा जरूर हुआ कि वे सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे और सिलेक्ट कमेटी ने जिस प्रकार का क्लॉज़ रखा है उसके बिल्कुल विपरीत आपका संशोधन यहां प्रस्तुत हुआ है ! इसलिये ऐसी सूरत में अचम्भा होना आवश्यक था। पर जो खुलासा माननीय श्री मथुरादासजी माथुर ने किया है उसको देखते हुए पता चलता है कि रिज्यूमेबल लिमिट्स का सिद्धान्त आपने बाद में माना है और इसी सिद्धान्त को मानते हुए क्लॉज़ १३१ से मिलान किया गया है। लेकिन वह क्लॉज़ और क्लॉज़ १३१ को गौर से पढ़ा तो मुझको एनेमोलीज़ (anamolies) मालूम पड़ीं। जो सिद्धान्त आप ला रहे हैं वह १३१ से प्रतिपादित नहीं होता। १३१ में जो लिमिट तहत काश्तकार के रखना चाहते हैं उसके हकूक प्रोविज़ो में रखे हैं जो इसी क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (४) के साथ जुडा हुआ है।

हमें इस चीज़ को गौर से देखना है, इसको जान कही जाती है इस बिल की, नये हकूक पैदा करने जा रहे हैं। हम किन हालतों से गुजरे हैं और किस ओर जा रहे हैं, इसकी ओर हमें ध्यान रखना चाहिये।

हमने थोड़े ही दिनों पहले जागीर रिज़म्प्शन एक्ट पास किया है, पर अभी तक जगीर का ओब्सेशन लोगों के दिमाग में किये हुए है। जागीरदारों को मारने के लिये कुछ इस प्रकार के क्लॉज़ रखे जा रहे हैं जिससे उनके हकों के ऊपर कुठाराघात हो। कुछ को इस लिहाज़ से रखा जा रहा है कि खुदकाश्त के ऐसे अधिकार रखे हैं कि जागीरदार लोग इसी प्रकार का एक्सप्लोइटेशन जारी रखेंगे। इन दो प्रकार की मंशाओं से प्रेरित होकर कई अमेंडमेंट्स लाये जा रहे हैं। पर इस समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जो कानून बनाने जा रहे हैं वह जागीर खत्म होने के बाद वर्षों तक लागू रहेगा। इस कानून से हम जागीरदारों से सम्बन्धित जो जमीन है उसी पर अधिकार नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन जमीनों से भी यह कानून ताल्लुक रखता है जहाँ आज तक जागीरें नहीं रहीं।

[श्री वेदपाल त्यागी]

मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ १६ ए. की तहत हम उन लोगों को खातेदारी राइट्स देना चाहते हैं जो अब तक जमीन पर किसी प्राकर का कोई हकूक नहीं रखते थे, बल्कि केवल काश्त करते थे। मुझे मालूम है कि जब हमने टिनेन्ट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स पास किया था उस वक्त हमने एक बात का ध्यान रखा था कि जो लोग किसी भी तरह से काश्त करते हैं उनको नहीं हटाया जावे। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसके बाद टिनेन्ट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स में अमेन्डमेंट हुआ कि सन् १९४८ के बाद जो कोई व्यक्ति सब टिनेन्ट बन चुका हो तो वह भी प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स के अनुसार राहत पा सकेगा और उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। इसलिये उस वक्त यह ध्यान नहीं रखा गया कि किन किन व्यक्तियों को जमीन पर प्रोटेक्शन दिया जावे, लेकिन आज हम उनको हकूक देने जा रहे, हैं, इसलिये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से टिनेन्ट और सब टिनेन्ट आदि को हकूक नहीं दें। हो सकता है कि उनका कब्जा १५, १६ साल पहले का हो और प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स बनने से पहले एक साल उसने किसी काश्तकार को बोने के लिये जमीन दी हो और उसको टिनेन्सी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स के मुताबिक वापिस कब्जा नहीं मिला हो और इसलिये उन सब को एक हकूक दें, यह तो न्याय संगत नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहां टिनेन्ट का ध्यान रहा वहां खातेदार टीनेन्ट का भी ध्यान रखा। ऐसा नहीं हो कि खातेदार के हकूक छीन लें। क्लॉज़ १३१ में जो मिनिमम लिमिट हम रख रहे हैं उसमें खातेदार टीनेन्ट आता है; वह महज इसलिये कि हम सब टीनेन्ट को खातेदारी हकूक दे रहे हैं, उनके खातेदारी राइट्स हम खतम नहीं करते। इसलिए हमको बहुत गौर से इस बात पर सोचने की जरूरत है कि किसी प्रकार टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के राइट्स को हम सुरक्षित रखें। अगर आज यह बात जो माननीय माथुरजी ने कही है उसको मान ली जावे कि "resumable limit" ; तो मैं यह कहूँगा कि यह बात जब हम क्लॉज़ १३१ का निर्माण करने जा रहे थे यह बात हमारे सामने नहीं थी और जब १६ ए को बनाया उस वक्त यह बात हमारे सामने नहीं थी। उस वक्त हम नीचे से चल रहे थे। अब नीचे से नहीं चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान क्लॉज़ १३१, सब क्लॉज़ ४ के प्रोविज़ो में जो लिखा हुआ है उसकी ओर आकर्षित करूंगा :

"Provided that a land holder holding thirty acres of irrigated or ninety acres of unirrigated land under the personal cultivation shall not be entitled to apply for the ejectment of a tenant under clause (d) and a land holder holding less than such area shall be entitled to apply only for an area, which, together with the area already held by him, will not exceed thirty acres of irrigated or ninety acres of unirrigated land."

तो मैं यह कहूँगा कि जो लैन्ड होल्डर, जिसके पास कल्टीवेशन के अधीन अन इरिगेटेड लैन्ड ९० एकड़ हो और ३० एकड़ इरिगेटेड लैन्ड हो तो वह इस क्लॉज़ के अनुसार टिनेन्ट को

[श्री वेदपाल त्यागी]

बेदखल नहीं करा सकता और अगर उसके पास कम जमीन हो तो जितनी कम जमीन हो उसके लिए बेदखल करा सकता है । लेकिन क्लॉज़ १९ ए. जिस रूप में बनाया जा रहा है और जिस पर बहस हो रही है उसमें उन काश्तकारों का ध्यान नहीं रखा गया जो जमीन को अपने कब्जे में नहीं रखते हैं और दूसरों से खेती करवाते हैं, इसलिये उनका क्या होगा ? क्या हो सकता है ? यही हो सकता है कि जिन लोगों के पास, मान लें कि १०० एकड़ जमीन है और उसमें ९० एकड़ जमीन पर सब टिनेन्ट काश्त करते हैं और १० एकड़ पर वह काश्त करता है, इस लिये उस व्यक्ति को जिसके पास १० एकड़ जमीन है उसको हक़ूक नहीं मिलेंगे और उस व्यक्ति को, जिसको उसने अपनी जमीन सब टिनेन्ट की हैसियत से दी है, उसको वे हक़ूक मिल जायेंगे । कहने का तात्पर्य यह है कि उन लेन्ड होल्डर्स के हितों की और हक़ूकों की रक्षा नहीं हो सकेगी । इसलिये यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन खातेदार राइट्स रखता है और कौन नहीं रखता । ऐसा न हो कि उन लोगों के खातेदारी राइट्स भी रखते हों वे भी खतम कर दिये जावें । मैं समझता हूँ कि यह सिद्धान्त की बात है और साधारणत: इसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता है । आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं यह एक ट्रान्जिशनल पीरियड है । बहुत से लोगों ने अपनी जमीनों को जरूरत के माफिक रखा और ६० एकड़ किसि आदमी को उठादी । अब उस व्यक्ति के पास सिर्फ ४० एकड़ जमीन खातेदार टिनेन्ट के पास रह जावेगी और सब टिनेन्ट के पास ६० एकड़ जमीन रहेगी । इसलिए जिस ट्रान्जिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं और जिस सिद्धान्त से प्रोटेक्शन टिनेन्ट ऑर्डीनेन्ट्स को बनाया गया हैं उसको मद्‌देनजर रखते हुए इस बात की जरूरत है कि १९ ए. क्लॉज़ के सिद्धान्तों को बदलें, वरना उन लोगों के राइट्स खत्म हो जावेंगे । इसलिये मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने अमेंडमेंट पेश किए हैं और श्री नाथूराम मिर्धा ने अपना अमेंडमेंट रखा है उस पर फिर से विचार करेंगे और माननीय मंत्री भी इस पर पूरा विचार करेंगे ।

इसके अतिरिक्त जो प्रोविजन ६ महिनों में दरख्वास्तें पेश करने का रखा है वह अगर नहीं रखते हैं तो ठीक होगा । इसके लिये जैसा आगे आता है हमारे यहां लिमिटेशन के सिद्धान्त क्लॉज़ १५८ के तहत में लागू किये हैं । अगर वे ६ महिनों में दरख्वास्तें प्रस्तुत नहीं करते हैं तो अपने राइट्स खत्म हो जाते हैं । मैं यह कहूंगा कि आप उनको यह क्यों बाध्य करते हैं कि वे अपनी दरख्वास्तें ६ महिनों में ही पेश करें । इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की कोई लिमिट रखना बेकार बात होगी । अब रहा प्रश्न इस बात का कि किस प्रकार के टिनेन्ट्स को राइट्स दिये जावें ? इसके लिये श्री गोपीलालजी यादव ने कहा कि जो लोग १२ साल से मुतवातिर खेती करते हों और जमीन पर काबिज़ हों उनको हक मिल जाने चाहिये; क्योंकि १२ के बाद स्वत: ही कानूनन हक पैदा हो जाता है । आज भी वही होना चाहिये कि जो पुराने काश्तकार हैं, सब टिनेन्ट हैं या खातेदार टिनेन्ट हैं; जो खेती करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हों उनको हक़ूक नहीं देकर उन लोगों को दिये जावें जो खेती करने में दिलचस्पी रखते हों । इसलिये पुराने सब टिनेन्ट हैं, जो १२ साल से काबिज़ हों उनको ये हक दे दिये जावें । जो नये

[श्री वेदपाल त्यागी]

टिनेन्ट हैं और खेती में स्वयं दिलचस्पी नहीं लेते हैं उनको इस प्रकार के खातेदारी हकूक नहीं मिलने चाहिये, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि कोई सिद्धान्त मान कर चलें। १२वर्ष का पुराना काश्तकार हो उसको हक दे दें और नये काश्तकार हैं और जो खातेदारी टिनेन्ट के हक हासिल करना चाहते हैं उनको ज्यादा कम्पेन्शसन ले कर राइट्स देना चाहिये। इसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि एक ग्रेडेड लिस्ट होनी चाहिये और उसी के अनुसार उनको हकूक मिलने चाहिये। यह लिस्ट काश्तकार का कब्जा देख कर बननी चाहिये कि उसका कब्जा कितना पुराना है। अगर आप इन बातों पर विचार करेंगे तब जाकर आप इस क्लॉज़ १६ (ए)को ठीक कर सकेंगे। मैं इस सिद्धान्त को मानता हूं कि सब टिनेन्ट को जितना कम होना चाहिये, होना चाहिये क्योंकि Tillers of the soil must be owners of the soil ; इस सिद्धान्त को मानते है। इसलिये जो सोइल पर काश्त करता है उसको ही काश्तकार के हक होने चाहिये। मैं समझता हूं कि मैंने इस पर काफी कह दिया है और समय भी समाप्त हो रहा है,१२ भी बज रहे हैं और बहस काफी हो चुकी है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से यह क्लॉज़ रखा गया है इससे मैं सहमत नहीं हूं और इस पर सिद्धान्त परिवर्तन क्या हो सकते हैं,इस पर वे सोच कर पुनः विचार करें।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष.......

("१२बज चुके हैं" की आवज)

श्री हरिकृष्ण व्यास—कल भी बारह बजे शुरू किया जावेगा।

श्री मानसिंह महार—विरोधी दल के तो अभी पौने बारह बज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—कल बोल लीजिये।

आज समय हो गया है, अतः आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है; कल ८ बजे वापिस यह क्लॉज़ ले लिया जावेगा।

(सदन की बैठक कल दिनांक १५ अगस्त, १६५४ के ८-०० बजे प्रातःकाल तक के लिये, १२-०० बजे स्थागित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक: २४ अगस्त, १६५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्न कर्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

१३२६. (१६८ / एल. एल. एन.) श्री राम दयाल उपाध्याय, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२३—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जहाजपुर में नगरपालिका कब तक बनाई जावेगी ?

(ख) अब तक वहां पर नगरपालिका क्यों नहीं बनाई गई है ?

उत्तर

(क) इस ग्राम में नगरपालिका बनाने का विचार नहीं रहा ।

(ख) क्योंकि इस ग्राम की जनसंख्या ५००० से कम है ।

प्रश्न

१३३१. (१७७/ एल.एल. एम) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए, डिविजन नम्बर १४२—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क)क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर नगर के कुओं का पानी कब्जियत मलेरिया कारक है या बहुत भारी है ?

(ख) क्या सरकार कुओं का पानी फिल्टर होकर नलों द्वारा लोगों को मिल सके, इस विचार से कोई व्यवस्था कर रही है ?

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्य के लिये म्युनिसिपेलिटी सवाईमाधोपुर को योजना भेजने के लिये लिखा था ?

(घ) क्या म्युनिसिपेलिटी ने कोई योजना भेजी है ?

उत्तर

(क) ऐसा कहा जाता है, लेकिन कोई केमिकल analysis नहीं हुआ ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां।

(घ) नहीं।

प्रश्न

१३३५. (१७८ एल. एल. एम.) श्री श्रीदास गोयल एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४२—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जिला सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायतों के चुनाव किस तहसील में आरम्भ हो गये हैं ?

(ख) उक्त जिले में कब तक ग्राम पंचायत व तहसील पंचायतों के चुनाव पूर्ण हो जावेंगे।

(ग) क्या पंचायत खण्डार बोर्ड बिना कोरम पूरा हुए ही मुकद्मात का निर्णय दे रहा है ?

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत पर किस अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(क) अभी नये चुनाव आरम्भ नहीं हुए हैं। ऐसी आशा है कि माह अगस्त के अन्त तक निर्वाचन की कार्यवाही आरम्भ हो जावेगी।

(ख) पंचायतों के चुनाव हो जाने के पश्चात् तहसील पंचायतों के चुनाव करवाये जायेंगे। इन निर्वाचनों के पूर्ण होने में लगभग ३ माह लगेंगे।

(ग) ऐसी सूचना मिली है।

(घ) इस सम्बन्ध में पंचायत विभाग के स्थानीय अधिकारी द्वारा जांच करवाई जा रही है और जांच की रिपोर्ट आने पर सरकार उचित आदेश देगी।

प्रश्न

१३३६. (१७६ एल. एल. एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४२—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सवाई माधोपुर नगर में बन्दरों द्वारा इस कदर उत्पात बढ गया है कि कुछ व्यक्तियों को मकानों से धक्का देकर मार दिया गया है ?

(ख) क्या सरकार यह जरूरी समझती है कि वहां से बन्दरों को जल्दी पकड़वाया जावे ?

(ग) यदि हां, तो सरकार बन्दरों को पकड़वाने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(क) यह सच है कि सवाई माधोपुर नगर में बन्दरों का कुछ उत्पात है। तथा यह भी सच है कि कुछ व्यक्ति बन्दरों द्वारा धक्का दिये जाने के कारण छत पर से गिर पड़े हैं।

(ख) जी हां।

(ग) म्युनिसिपल बोर्ड इस विषय में सचेत है। बोर्ड की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण धन एकत्रित करने का यत्न किया गया था किन्तु सफल न रहा। इस साल २०००) रु० बन्दरों को पकड़वाने के लिए बजट में रख दिये गये हैं।

प्रश्न

1341. (216 E. M.) Shri Jujhar Singh M L. A., (Div. No. 10)—Will the minister in charge of Education be pleased to state—Do the Government consider it necessary to raise the School at village Harigarh, Tehasil Khanpur, to a Middle School in view of a big rush of students and the facility of the accommodation available there ?

उत्तर

It has not yet been decided as to how many and which Primari Schools will be raised to Middle Standard this year.

The question of raising the standard of Hari garh School will be considered along wiht the others on its own merit.

प्रश्न

1346. (217/E. M) Shri Jujhar Singh M, L. A, (Div. No. 10)—Will the Minister in charge of Education be pleased to state:

How often should an Inspectoror or Deputy Inspector of Schools visit his circle for inspection purposes in a year ?

Is it a fact that there are several complaints against the teaching staff of village SAROLA, Tehsil. KHANPUR, district Jhalawar and the Deputy Inspector has not made a single trip to inspect and investigate the matter so far ?

Is it also a fact that there is only one teacher in a 5th grade School at village "DOBRA" Tehsil Khanpur and nothing has been done by the Inspector of Schools Jhalawar to increase the strength of teachers in this school ?

Will the Government do something now ?

उत्तर

(१) निरीक्षकों का हर एक हाई स्कूल व उपनिरीक्षकों का हर एक मिडिल स्कूल वर्ष भर में कम से कम एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए ।

(२) स्कूल सरोला, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ के कुछ अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत आने पर वहां के उस समय के उपनिरीक्षक ने मामले में जांच पड़ताल की थी और उन अध्यापकों के प्रति उचित कार्यवाही कर दी गई थी ।

(३) प्राइमरी स्कूल दौबरा तहसील खानपुर पांच कक्षाओं तक चल रहा है और वहां के उपनिरीक्षक ने इस स्कूल में एक अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने की सिफारिश की है और उसकी यह सिफारिश विचाराधीन है ।

प्रश्न

१३४९. (२२०/ ई.एम.) **श्री रामदयाल उपाध्यक्ष, एम. एल.ए., डिविजन नम्बर १२३**— क्या पृथक राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(अ) क्या यह सही है कि तहसील हिन्डोली जिला भीलवाडा में कई स्थानों पर नाजायज शराब निकाली जाती है ? इन स्थानों पर गत दो वर्षों में नाजायज शराब निकालने के कितने मुकदमें पकडे गये और कितने मुकदमों में सरकार को सफलता मिली ?

(ब) क्या यह सही है कि तहसीलदार हिन्डोली भी नाजायज शराब निकलवा कर स्वयं के काम में लेता है ?

उत्तर

(अ) तहसील हिन्डोली, जिला बून्दी में नाजायज शराब की अधिक शिकायत नहीं है परन्तु जहाजपुर जिला भीलवाडे में शिकायत मालूम होने पर मुकदमे बनाये गये जिसकी स्थिति इस प्रकार है :

तादाद मुकदमा		तादाद मुकदमा जिनमें सफलता मिली
तहसील हिन्डोली (बून्दी)	१	१
तहसील जहांजपुर (भीलवाडा)	३६	१५ बाकी मुकदमे जेर ६ कार्यवाही

(ग) राज्य के नोटिस मे ऐसी कोई बात नहीं आई।

प्रश्न

१३५६. (२३०/इ. एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४२—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सवाई माधोपुर सरकारी हाई स्कूल में विद्यार्थियों की क्या संख्या है और वे कितने वर्ग गज भूमि पर बैठते हैं ?

(ख) क्या यूनिवर्सिटी द्वारा इस इमारत को नाकाफी या अनुपयुक्त कहा गया है और जहां कि हाई स्कूल नहीं होनी चाहिये ?

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि कक्षाएं इतनी नजदीक हैं कि शोर के कारण विद्या पढ़ाई नहीं कर सकते ?

(घ) क्या सरकार नई इमारत बनाने की सोच रही है ?

उत्तर

(क) विद्यार्थियों की संख्या २२५ है और वे ३६८ वर्ग गज भूमि पर बैठते हैं।

(ख) यूनीवर्सिटी ने इस इमारत को नाकाफी माना है, अनुपयुक्त नहीं।

(ग) सरकार ऐसा नहीं मानती कि इस इमारत में शोर के कारण विद्यार्थी पढाई नहीं कर सकते। जगह की कमी अवश्य है, जिसके कारण विद्यार्थियों को असुविधा है।

(घ) हां, आवश्यक धन की व्यवस्था होने पर सरकार यहां हाई स्कूल का नया मकान बनाने का विचार रखती है।

परिशिष्ट २

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रक्खे गये)

प्रश्न

१. (२३३३इ. एम.) श्री मंगलसिंह कछवाहा, एम. एल. ए. (६३)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मथानिया ग्राम जिला जोधपुर में मिडिल स्कूल कब से कायम है ?

(ख) इस स्कूल के हैडमास्टर सन् १९५३-५४ तक कौन थे और उनकी क्या एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन थी ?

(ग) उपरोक्त हैड मास्टर राजस्थान सरकार द्वारा कब रिटायर किये गये थे ?

(घ) किन खास कारणों की वजह से उनके कार्यकाल की अवधि लगातार बढ़ाई गई ?

(ङ) क्या यह सही है कि साधारणतया एक मिडिल स्कूल के लिये उपरोक्त एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन को हैड मास्टर नहीं रखा जाता है ?

(च) क्या सरकार के पास इनसे ज्यादा क्वालिफाइड सीनियर और काबिल हैड मास्टर थे ? अगर हां, तो उपरोक्त व्यक्ति को मिडिल स्कूल के हैड मास्टर रखने के क्या खास कारण हैं ?

(छ) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के डिविजनल ऑफिसर्स का रिश्तेदार होना एक गैर मामूली कारण था ?

(ज) उपरोक्त हैड मास्टर के अवधि काल में इस स्कूल में लड़कों की संख्या के निरंतर गिरते रहने के क्या कारण हैं ?

(झ) क्या यह सही है कि उपरोक्त हैड मास्टर अपनी स्कूल की ड्यूटी के अलावा और भी कई काम करते हैं ? अगर हां तो पिछले ८ साल में उन्होंने क्या २ काम किये और क्या उन सबकी शिक्षा विभाग द्वारा इजाजत दी गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही समझा गया था कि वे अच्छी तरह स्कूल की ड्युटी अदा करते रहेंगे ?

(ञ) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि उपरोक्त हैड मास्टर महीने में १५ रोज जोधपुर रहते हैं और लड़कों से स्कूल में दाखिला और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए निजी फीस गेहूं और लाल मिर्च में रखी है ?

Page No.94

(ट) क्या यह सही है कि स्कूल की बदइन्तजामी के कारण ग्राम पंचायत, मथानिया व उपरोक्त जगह के एम. एल. ए. ने उनके सन् १९५४-५५ में कार्यकाल की अवधि न बढ़ाये जाने की मांग की ?

(ठ) क्या यह सही है कि इस मांग के बावजूद भी उपरोक्त हैड मास्टर सरकारी नौकरी में है ? अगर हां, तो कहां ?

(ड) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इस बेकारी के जमाने में ऐसे मामूली पढ़े लिखे व्यक्ति का रिटायरमेंट होने के बाद से लगातार कार्यकाल बढ़ाना और जनता की उचित मांग पर भी उन्हें मथनियां मिडिल स्कूल का हैड मास्टर रखना जनता में असन्तोष का कारण बन गया है ?

(ढ) क्या यह सही है कि जनता को बहकाकर धोखे से उनके मथानिये में ही रहने के लिए एक रिप्रेजेन्टेशन पर हस्ताक्षर करवाये हैं ?

(ण) क्या सरकार वहां की मिडिल स्कूल की गिरती हुई हालत को देखते हुए एक योग्य व्यक्ति भेजने की तुरन्त व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(क) मथानिया ग्राम जिला जोधपुर में मिडिल स्कूल १ जुलाई, १९४९ से कायम है ।

(ख) इस पाठशाला के प्रधानाध्यापक श्री मदनलाल १९५३-५४ तक थे और वे एक अनुभवी मिडिल ट्रेन्ड थे ।

(ग) श्री मदनलाल दिनांक १६-११-४९ से ३० वर्ष की कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से रिटायर किये गये थे, न कि ५५ साल की उम्र होने से और चूंकि ऐसे समस्त अध्यापकों को पुनः नौकरी में ले लिया गया था अतः इन्हें भी उसकी तहत में सुविधा मिली ।

(घ) चूंकि वे एक अनुभवी ट्रेंड और सुयोग्य प्रधानाध्यापक थे और उन्होंने स्कूल की उन्नति में भरसक प्रयत्न किया इस कारण से उनको पुनः नौकरी में ले लिया गया ।

(ङ) साधारणतया हां । नहीं, परन्तु उनकी कार्य कुशलता को देखते हुये यह माना गया कि ये मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक का कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं ।

(च) हां । यदि इनसे कुछ सीनियर अध्यापक मौजूद थे परन्तु इनकी योग्यता एवं अनुभवों को ध्यान में रखा गया क्योंकि इन्होंने इस स्कूल का कार्य बड़ी दिलचस्पी से किया जब यह एक साधारण एक मास्टर स्कूल थी जो कि आज एक माध्यमिक और अच्छी पाठशाला के रूप में उपस्थित है ।

(छ) नहीं यह नितान्त भ्रम है ।

(ज) यह सही नहीं है । इस पाठशाला में छात्रों की निरन्तर वृद्धि होती रही है और यही कारण है कि इस पाठशाला को प्राथमिक से माध्यमिक रूप देना पड़ा ।

(झ) हां, वे डाक घर का काम एक लम्बे अर्से से करते आ रहे हैं जिसकी इजाजत महकमा डाक के अधिकारियों की सिफारिश पर दी गई जैसा कि ऐसे अन्य ग्रामों की पाठशालाओं में होता है । हां, वह डाक घर का काम स्कूल के समय में नहीं करते और इस कारण केस्कूल कार्यक्रम में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

(ञ) नहीं, ऐसी रिपोर्ट इस विभाग में इस सम्बन्ध में कभी नहीं आई । नहीं, इस आशय की रिपोर्ट की कि यह किसी प्रकार की निजी फीस गेहूं या लाल मिर्च आदि में लेते हैं, इस विभाग में नहीं आई ।

(ट) हां, ग्राम पंचायत सरपंच ने उपरोक्त जगह के एम. एल. ए. द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक २४-७-५४ को इस सम्बन्ध में प्रेषित किया है ।

(ठ) यह मांग केवल २४-४-५४ को दी गई है और सम्बन्ध में जांच जारी है !

(ड) जैसा कि जवाब नम्बर (ङ)में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है, फल निकलने पर निर्णय किया जावेगा ।

(ढ) ऐसा कोई प्रार्थना पत्र इस विभाग में इस समय तक प्राप्त नहीं हुआ ।

(ण) इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्यवाही जावेगी ।

प्रश्न

२. (२३४ । इ. एम.) श्री मंगलसिंह कछवाहा, एम. एल. ए. (६३)—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम मथानिया जिला जोधपुर में सरकारी स्कूल कब से कायम है? वहां मिडिल स्कूल कब से है ?

(ख) वहां पर आज तक सरकारी भवन स्कूल के लिए न बनाये जाने के क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सही है कि जनता द्वारा भवन निर्माण के लिये ५० प्रतिशत देने पर भी स्कूल भवन के निर्माण के लिए बाकी ५० प्रतिशत सहायता सरकार देती है ?

(घ) क्या यह सही है कि वहां की जनता ने लगभग २००००) हजार की लागत का एक आधुनिक स्कूल भवन का निर्माण किया है ?

(ङ) अगर हां, तो क्या सरकार इस स्कूल भवन को पूरा करने के लिए बाकी के २०,०००) की सहायता अब देने की उदारता करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(च) क्या यह सही है कि ता० २२-४-५२ को मथानिये की जनता ने एक स्टाम्प पर हस्ताक्षर करके इस भवन को सरकार के सुपुर्द कर दिया है ?

(छ) क्या सरकार ने इस भवन का फिजीकल व लीगल पजेशन ले लिया ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(ज) क्या सरकार ने उपरोक्त भवन में मिडिल स्कूल का संचालन शुरू कर दिया ? अगर हां, तो कब से ?

(झ) उपरोक्त भवन में मिडिल स्कूल संचालित करने के बाद से आज तक उस इमारत की मरम्मतादि के लिए क्या २ और कितनी लागत की रकम खर्च की गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ञ) क्या यह सही है कि बरसात में उपरोक्त भवन में छतों से पानी कमरों में टपकता है ?

(ट) क्या सरकार की जानकारी में है कि लगातार मरम्मत न कराने की वजह से उपरोक्त भवन गिर जाने की स्थिति तक पहुँच गया है ? अगर नहीं तो क्या किसी इंजीनियर द्वारा इस भवन की सुरक्षिता के बारे में जांच कराई है ?

(ठ) क्या यह सही है कि इस नये भवन में स्कूल संचालित करने से पहले यह स्कूल किराये के मकानों में चलती थी और सरकार को वह किराया चुकाना पड़ता था ?

उत्तर

(क) ग्राम मथानिया, जिला जोधपुर में सरकारी प्राथमिकपाठशाला १६२६ के पूर्व से कायम है। मिडिल स्कूल १-७-४६ से शुरू हुई है।

(ख) जब यहां प्रथमिक पाठशाला खोली गई उस समय ग्रामवासियों ने स्कूल भवन बगैर किराये के लिया। छात्रों की संख्या भी बहुत कम थी, धीरे धीरे छात्रों की संख्या में वृद्धि होने से स्कूल का मकान अपर्याप्त प्रतीत होने लगा। १६४३ में श्री जुहारमल लूमचन्द नामक एक प्रतिष्ठित फर्म ने पाठशाला का भवन बनवाने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया और सेठ साहब ने १६४६ तक भी अपने प्रार्थना पत्र पर कोई उचित कदम नहीं उठाया। चूंकि मथानिया एक जागीरी गांव था इसलिए जोधपुर राज्य सरकार ने मकान बनवाना उचित नहीं समझा। १६४६ में श्री सेक्रेटरी, महेश्वरी सभा ने एक विशाल मिडिल स्कूल भवन बनाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया। मथानिया जनता ने स्कूल भवन बनवाया जिसमें दस हजार सेठजी लूमचन्दजी ने दिया। यह मकान अभी अधूरा है। राज्य सरकार ने उपरोक्त कारणों से जागीरी गांव में स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया।

(ग) ग्रान्ट इन-एड नियमों के अनुसार यह नीति सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण करने के लिए लागू नहीं होती। ग्रान्ट इन-एड रूल्स के अनुसार भवन निर्माण हेतु ५० प्रतिशत सहायता केवल ऐडेड स्कूलों को ही दी जाती है। वह भी उस सूरत में जबकि उसके खर्चे की स्वीकृति खर्चा करने से पूर्व सरकार से ली गई हो।

(घ) हां, भवन अधूरा है।

(ङ) शिक्षा विभाग में भवन की पूर्ति के लिए आठ हजार रुपये की स्वीकृति के लिए कार्यवाही चल रही है।

(च) हां।

(छ) हां। फिजीकल पज़ेशन सन् १९५३ को लिया गया, पर लीगल तौर से नहीं क्योंकि राज्य कानून के अनुसार इसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

(झ) हां। उपरोक्त भवन में मिडिल स्कूल का संचालन जुलाई सन् ५३ से शुरू कर दिया गया है।

(ञ) नया भवन १९५२ में ही बन कर तैयार हुआ और सन् १९५३ में सरकार ने इसे अपने अधिकार में किया और भवन नया होने से इसकी मरम्मत आदि का प्रश्न ही नहीं उठा।

(ट) भवन नया होने से छतों से पानी टपकने की कोई सम्भावना नहीं की जा सकती है, न इस विभाग में इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आई है।

(ठ) भवन १९५२ में तैयार होकर सरकार को सन् १९५३ में सौंपा गया, इस थोड़े समय में नये भवन की ऐसी स्थिति की सम्भावना नहीं की जा सकती और इस विभाग को इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में इन्जीनियर द्वारा इस भवन की जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिस भवन में यह स्कूल चल रहा था वहां जगह की कमी के कारण दो चार कमरे किराये पर लिये गए थे जिसका किराया जनता ही दिया करती थी।

पाठशाला के भीतर बच्चों को हानि पहुंचने का उत्तरदायित्व सरकार पर ही है, पर उस नये भवन के इतने कम समय में गिर जाने की कोई सम्भावना ही नहीं की जा सकती।

यहां माध्यमिक पाठ शाला इसी आशय को लेकर खोली गई थी कि जनता इस पाठशाला के लिये भवन का निर्माण अपने निजी पैसों द्वारा कराते और ऐसा जनता ने किया भी है, इसलिये इसको खाली करने का अथवा स्वयं का भवन बनवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चूंकि यह भवन पाठशाला के लिये ही बनाया गया है अतः किराया देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है कि भवन १९५२ में बन कर तैयार हुआ और इस थोड़े से, समय में इसके मरम्मत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सूचना नहीं प्राप्त हुई है।